पंचम माला, खंड 50, अंक 21, मंगलवार, 18 मार्च, 1975/ 27 फाल्गुन, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 21, Tuesday, March 18, 1975/ Phalguna 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. migrated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. L Contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

(यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषाओं आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।)

(This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.)

M/P(N)3LSS—2

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 18 मार्च, 1975/27 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 21, Tuesday, March 18, 1975/Phalguna 27, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 384, 385, 387, 389 और 390	*Starred Questions Nos. 384, 385, 387, 389 and 390	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 386, 388 और 391 से 403	Starred Questions Nos. 386, 388 and 391 to 403	15—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 3704, 3706 से 3721, 3723 से 3766, 3768 से 3825 और 3827 से 3903	Unstarred Questions Nos. 3704, 3706 to 3721, 3723 to 3766, 3768 to 3825 and 3827 to 3903	28—140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	141
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	142
दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सत्याग्रह आरभं करने का कथित निर्णय	Reported decision of Delhi Higher Secondary Teachers to launch Satyagraha	142
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	143
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	144

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

M/P(N)3LSS

विषय	Subject	पृष्ट/ Pages
श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्डों के गठन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Setting up of Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees ·	148
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddy	148
केन्द्रीय तथा अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधयक संयुक्त समिति में एक सदस्य को नियुक्त करने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Central and other Societies (Regulation) Bill ·	149
	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to appoint a Member to Joint Committee ·	149
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनगर्ठन) संशोधन अध्यादेश 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	Statutory Resolution re. Disapproval of North Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Ordinance, 1975—Negatived · · ·	150
और	And	
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक—विचार किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill, · · ·	150
	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha	
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	151
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin ·	151
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta ·	153
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami · ·	153
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ·	155
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri · · · · ·	155
श्री जे० मथा गौडर	Shri J. Matha Gowder	155
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan ·	156
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 ·	157
पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Pass ·	158
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जहां प्रधान मंत्री को साक्ष्य देना था, हथियार ले जाने के कथित प्रयास के बारे में	Re. Reported Attempt to carry arms in Allahabad High Court where the Prime Minister had to give evidence	158

विषय	Subject	पृष्ठ Page
अनुदानों की मांगें (रेल॰), 1975–76	Demands for Grants (Railways), 1975-76	163
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	163
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	164
श्री बी॰ वी॰ नायक	Shri B.V. Naik . .	164
श्री तारकेश्वर पांडेय	Shri Tarkeshwar Pandey	165
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	165
श्री पी॰ जी॰ मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	165
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	167
श्री डी॰ बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	168
श्री अवधेश चन्द्र सिंह	Shri Awdhesh Chandra Singh	168
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey	169
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh .	169
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani .	170
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	174
श्री दामोदर पांडेय	Shri Damodar Pandey	176
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुई घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Incident at Allahabad High Court	170
श्री के॰ ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy. . . .	170

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 18 मार्च, 1975/27 फाल्गुन, 1896 (शक)

Tuesday, March 18, 1975 Phalguna 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई में भूमिगत रेलवे प्रणाली के बारे में निर्णय

*384. †प्रो० मधु दंडवते
श्री भाऊ साहब धामनकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में भूमिगत रेलवे योजना आरम्भ न करने सम्बन्धी सरकार का निर्णय अन्तिम तथा अपरिवर्तनीय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या बम्बई में भूमिगत रेलवे पर लागत, जो कि वर्तमान स्तर पर केवल 240 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, 1990 तक बढ़कर 600 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो जायेगी ? क्या इस परियोजना के कार्यन्वयन से बम्बई नगर के व्यापार और उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? क्या इस से महाराष्ट्र सरकार को बम्बई नगर की भीड भाड को कम करने की योजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में ये परियोजनायें राज्य सरकारों के कहने पर आरम्भ की गई थी । यह सच है कि प्रति वर्ष पूंजी लागत बढ़ती जा रही है । उदाहरण के तौर पर कौरिडोर सिक्स पर, जिस पर वर्तमान मूल्यों के आधार पर मूल अनुमान के अनुसार 90 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान था, अब 160 करोड़ रुपये खर्च होंगे । यदि माननीय सदस्य और राज्य सरकार यह चाहें कि हम इन परियोजनाओं को क्रियान्वित न करें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले ही बम्बई में एक परियोजना पर जिस पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह एक अन्य परियोजना है जिस पर वर्तमान मूल्य स्तर पर 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब आप इन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, जब कोनकन रेलवे परियोजना जिस पर केवल 270 करोड़ रुपये लागत आयेगी, की अवहेलना की जा रही है। क्या बम्बई में भूमिगत रेलवे पर खर्च करने की बजाये कोकन जैसे पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों को प्राथमिकता देना श्रेयकर नहीं होगा ? क्या आप ठोस निर्णय लेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को इस परियोजना को क्रियान्वित न करने का निदेश देंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैं ने कहा है यदि राज्य सरकार प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना चाहती है और वह बम्बई नगर में भूमिगत रेलवे नहीं चाहती, तो हम अवश्य इस मामले पर विचार करेंगें। हम पिछड़े क्षेत्रों के विकास का महत्व समझते हैं। आपटा-मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में स्थिति यह है कि इस के एक भाग का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है तथा दासगांव तक कुछ प्रारम्भिक कार्य भी पूरा कर लिया गया है। यदि माननीय सदस्य, महाराष्ट्र सरकार तथा उस क्षेत्र के अन्य माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम एम० टी० पी० परियोजना को छोड़ दें तथा कुछ अन्य परियोजनाओं में धन लगायें, तो हम अवश्य इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप समूची जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर डाल रहे हैं। यह केन्द्रीय परियोजना होनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार की बुद्धिमता पर निर्भर रहने की बजाय क्या आप स्वयं बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेंगे और कहेंगे कि कोनकन तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिये संसाधन उपलब्ध करने हेतु बम्बई नगर में इतनी अधिक राशि खर्च नहीं की जायेगी, जिस से उद्योगों के फैलाव में भी रुकावट आयेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम निर्णय कर चुके हैं कि बम्बई में भूमिगत रेलवे आरम्भ की जायेगी। यह निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा बदला जा सकता है। हम इसे स्वयं नहीं बदल सकते। इन सब बातों के बावजूद हम मध्य तथा पश्चिम रेलवे को अधिक कार्यकुशल बनाना चाहते हैं, जिस पर लगभग 158 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चरण 1 के पूरा होने पर हम मध्य रेलवे में हर पांच मिनट के बाद तथा पश्चिम रेलवे में हर चार मिनट के बाद गाड़ी चला सकेंगे। अन्तिम चरण के पूरा होने पर हम हर तीसरे मिनट गाड़ी चला सकेंगे। इन सब के बावजूद यह आवश्यक समझा गया कि कौरिडोर सिक्स को पूरा किया जाये। यदि राज्य सरकार इस परियोजना को छोड़ना चाहती है, तो हमें उस पर विचार करने में खुशी होगी।

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए।**

अध्यक्ष महोदय : केवल बम्बई के माननीय सदस्य श्री बी० वी० नायक।

श्री बी० वी० नायक : माननीय सदस्य ने नई रेलवे लाइनों के लिये संसाधनों की समस्याओं का ठीक ही उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के साथ साथ दूरदरस्थ, पहाड़ी, जंगली तथा पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाये हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत भारतीय रेलें गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हैं और शेष 20 प्रतिशत देश के 9/10 भाग में, जब कि योजना आयोग क्षेत्रीय विषमता को दूर करने, समानता स्थापित करने तथा पिछड़े

क्षेत्रों के विकास की दुहाई देता है, और जब भारत के पश्चिमी घाट जैसे पिछड़े क्षेत्र की बात कही जाती है तो साधनों की कमी की बात कह दी जाती है. . .

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है ?

श्री बी० वी० नायक : मैं क्षेत्रीय विषमता के बारे में पूछ रहा हूं । चाहे जो आंकड़े पेश किये जायें . . . (**व्यवधान**) वह पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं, जब कि मैं पश्चिम घाट से । यदि उन्होंने हमारी बात अस्वीकार कर दी, तो हम क्या कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: श्री साठे । -

श्री वसन्त साठेः माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि बम्बई में भूमिगत रेलवे का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा रखा गया था और उस का अनुमोदन कर दिया गया है। क्या इस परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा धन खर्च किया जायेगा अथवा वह कुछ धन का अंशदान देगी अथवा क्या सारा धन 240 करोड़ रुपये अथवा जो भी हो केन्द्रीय सरकार अर्थात रेलवे द्वारा खर्च किया जायेगा ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार कोनकन रेलवे लाइन को प्राथमिकता देने के बारे में, जो कि गत 20 वर्षों से लटक रही है, बातचीत करेगी? आपटा क्षेत्र में सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत थोड़ा सा मिट्टी का कार्य करने के अतिरिक्त एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इस लिये क्या आप बम्बई में भूमिगत रेलवे आरम्भ करने की बजाये कोनकन रेलवे को प्राथमिकता देने पर बातचीत करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महानगर रेल परिवहन परियोजना योजना आयोग के कहने पर आरम्भ की गई थी। इस परियोजना के लिये तथा आपटा-मंगलौर रेलवे लाइन के लिये भी धन की व्यवस्था योजना आयोग ने करनी है। यदि धन उपलब्ध किया जाये, तो फिर प्राथमिकता के प्रश्न पर निर्णय किया जा सकता है । परन्तु अभी तक जो थोड़ी - बहुत राशि उपलब्ध की गई है, वह इन परियोजनाओं पर खर्च कर दी गई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that underground railway project would be implemented in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. No definite shape has been given to this project so far. I want to know the time by which underground railways would be introduced, because traffic to bottlenecks have become the order of the day in big Cities ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : In different areas different projects are in progress. If our financial position remains the same as at present or it shows some improvement the project in Calcutta will be completed in 8 or 10 years. As per the amount spent in Bombay Corridor Six will be completed in nine years. Survey is in progress in Delhi and Bombay and the decision about the time to be taken will be taken up after considering the survey report.

डा० कैलास : महाराष्ट्र सरकार अथवा बम्बई नगर का एक भी व्यक्ति कोनकन रेलवे में दासगांव और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन बिछाये जाने के विरुद्ध नहीं है । परन्तु मैं प्रश्नकर्ता सदस्य पर आरोप लगाता हूं । हर कोई जानता है कि बम्बई के उपनगरीय यात्रियों की कितनी दुर्दशा है,

क्योंकि स्थानीय गाड़ियों में भारी भीड़ रहती है। इस लिये हम भूमिगत रेल की मांग कर रहे हैं। हम गत बीस वर्षों से यह मांग कर रहे हैं। बम्बई महाराष्ट्र का शहर है तथा वहां की जनता के लिये जो कुछ किया जाता है, उस का वहां का कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। बम्बई न केवल महाराष्ट्र अपितु भारत का दिल और आत्मा है। योजना आयोग बहुत अनुनय विनय करने के बाद इस के लिये सहमत हुआ है। मैं भूमिगत रेलवे के निर्माण को रद्द करने तथा इस के लिये नियत राशि को अन्यत्र खर्च करने के प्रस्ताव को समझने में असमर्थ हूं।

Mr. Speaker : I am surprised how this arises from the main question ?

डा० कैलास : अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न जोड़ दिये थे। मुझे उन को उत्तर देना है। यदि उन्होंने बम्बई के लिये ऐसा रवैया न अपनाया होता, तो मैं यह प्रश्न न उठाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय मन्त्री अथवा योजना आयोग को रद्द यह निदेश दे सकता है कि बम्बई में भूमिगत रेलवे के लिये नियत धन का अन्यत्र उपयोग किया जाये ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, न तो कोनकन रेलवे और न ही बम्बई में उपनगरीय प्रणाली को छोड़ने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परन्तु हमारी नीति सुसंगत है और उसका पालन किया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डे **खड़े हुए**।

अध्यक्ष महोदय : मैं बम्बई से बाहर नहीं जा सकता।

श्री राम सहाय पाण्डे : **

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि आठ वर्ष की अवधि में कलकत्ता में भूमिगत रेल पूरी हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वस्तुतः सच है और यदि हां तो इस के लिये कितनी राशि नियत की गई है? यदि आप ने कोई विशेष राशि नियत की है, तो आठ वर्ष में लागत बढ़ जायेगी और वह राशि पर्याप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रेलवे कठिनाई को दूर कैसे करेगी? इस बारे में आप का क्या निर्णय है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि लागत बढ़ जायेगी, परन्तु योजना आयोग से अधिक राशि उपलब्ध करने का अनुरोध करके इस समस्या को हल किया जा सकता है।

कटनी-सिंगरौली-चौपन सेक्शन में यात्री रेलगाड़ियों का चलाया जाना

*385. **श्री नरेन्द्र सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के कटनी-सिंगरौली-चौपन सेक्शन का निर्माण मुख्यतः यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिये किया गया था परन्तु इस सेक्शन में अभी तक कोई भी यात्री रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है ;

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेक्शन में इस उद्देश्य के लिये रेलवे स्टेशन की इमारतें प्लेटफार्म तथा अन्य संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सेक्शन में यात्री रेलगाड़ियों को न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री नरेन्द्र सिंह : माननीय मंत्री के उत्तर से मुझे बहुत हैरानी हुई है । कटनी-सिंगरौली लाइन का निर्माण 1962 में आरम्भ किया गया था तथा इसे काफी समय पहले पूरा कर लिया गया है । माल गाड़ियां काफी समय से चल रही हैं परन्तु यात्री गाड़ियां आरम्भ नहीं की गई हैं । इस लाइन पर एक यात्री गाड़ी चलाने का निर्णय किया गया था तथा प्लेटफार्म आदि बनाने का कार्य भी आरम्भ हो गया था । यदि यात्री गाड़ी नहीं चलानी थी तो प्लेटफार्म क्यों बनाये गये थे ?

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि प्लेटफार्म बनाया गया था, परन्तु प्लेटफार्म बनाने मात्र से तो कोई लाइन यात्री गाड़ी चलाने के उपयुक्त नहीं हो जाती । यात्री यातायात सर्वेक्षण का सर्वेक्षण करने के लिये प्लेटफार्म बनाया गया था ।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या सरकार यात्री गाड़ियां चलाने के लिये इस लाइन का सर्वेक्षण करना चाहती है ?

श्री बूटा सिंह : जी हां ।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary: I want to know the Capacity of these lines and the extent to which it is being utilised and if same Capacity remains unutilised the difficulty in the way of introducing passenger trains ?

श्री बूटा सिंह : यह लाइन मुख्यतय: यात्री गाड़ियां चलाने के लिये नहीं बनाई गई थी । जहा तक कैपेसिटी का सम्बन्ध है, इस लाइन की लम्बाई 254.26 किलो मीटर है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि इस से सिंगरौली से 60 लाख मीटरी टन कोयला ढोया जा सकेगा ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि इस लाइन की कैपेसिटी कितनी है और इस में से कितनी उपयोग में आ रही है और यदि कैपेसिटी बची है तो फिर यात्री गाड़ी चलाने में क्या कठिनाई है । उत्तर यह दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना में इतना कोयला ढोया जाना चाहिये था । मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : मैंने समझा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मालगाड़ियों की सिंगरौली से कितना कोयला ढोने की क्षमता है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : नहीं, मैंने लाइन की क्षमता के बारे में पूछा था ।

श्री बूटा सिंह : समस्या यह है कि यह लाइन केवल माल यातायात के लिये है । यह यात्री यातायात के लिये नहीं है । इस लिये मैंने समझा कि वह माल यातायात की क्षमता जानना चाहते हैं ।

श्री वसन्त साठे : क्या मन्त्री महोदय कहना चाहते हैं कि जिस लाइन पर माल ढोया जाता हो वहां यात्री गाड़ियों नहीं चल सकती ?

श्री मधु दण्डवते : सम्भवतया उनका विचार है कि दोहरी लाइन होने पर ही यात्री गाड़ियां चल सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अकेले व्यक्ति के लिये अकेली लाइन है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : What is the hitch in starting a passenger train from katni to Singrauli. Railway line already passes through the adivasi area. Passenger train will make it convenient for the labourers to go to their place of work. Moreover small scale industries can come up along with the line. A platform should be constructed at Indwar Bharwa which is inhabited by more than 30,000 people.

Shri Buta Singh : Safety is the primary consideration in starting a passenger train. Goods train is being run on this line at a very slow speed. It is difficult to run passenger train on this line. There should be a different line foundation for this purpose. We had sanctioned one passenger train on Chaupan—Singrauli line but the additional Commission for Railway safety has not given clearance in regard thereto. Passenger train on this line will be run after receiving the sanction.

Shri Sarjoo Pandey : This railway will connect Uttar Pradesh with Madhya Pradesh and is the shortest route. So it must be introduced.

Shri Buta Singh : This line has already been recommended, only the sanction has to come from the Commissioner for Railway safety.

Mr. Speaker : How can a passenger train be run on a line meant for goods train ?

ग्रेटर कलकत्ता में आड़ा-तिरछा-रेलमार्ग

*387. **श्री समरगुह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र में द्रुत परिवहन आवश्यकताओं के लिए भमिगत रेलवे के वजाय भूमि के ऊपर सर्कुलर और आड़–तिरछे रेल मार्ग के निर्माण में कम समय और कम धन की आवश्यकता होगी और ऐसे रेलमार्ग के निर्माण की अवधि के दौरान परिवहन सम्वन्धी ज्यादा कुठिनाइयां भी उत्पन्न नहीं होंगी ;

(ख) क्या कलकत्ता क्षेत्र में परिवहन को कुछ बाधायें कलकंत्ता ट्राम्बे के कारण हैं ;

(ग) क्या रेल मन्त्रालय कलकत्ता ट्राम्वे का प्रबन्ध अपने हाथ म लेगी और इसके स्थान पर आड़े-तिरछे रेल-मार्ग और सर्कुलर रेल-मार्ग तथा रेल-प्राधकारियों द्वारा संचालित ट्राली–बसों की व्यवस्था करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र में और उसके चारों ओर रेल-लाइनों के निर्माण के बारे में पुर्नविचार करने के लिए समिति गठित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। दैनिक यात्रियों के व्यापक द्रुत परिवहन के लिए धरातलीय सर्कुलर और आड़ी–तिरछी धरातलीय रेलवे कलकत्ता में उपयुक्त न होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) (क), (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह : क्या बात ठीक है कि 1970 में कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के लिये 140 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे और 1975 में यह राशि बढ़ कर 250 करोड़ रुपये हो गई थी। यदि यह योजना 1990 या 1995 तक पूरी हुई तो शायद यह व्यय बढ़ कर 1,000 करोड़ रुपये हो जायेगा। यह कहा गया कि है इससे केवल 8% यातायात हो सकेगा। क्या इस दशा में कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : महानगर यातायात संगठन ने सर्वेक्षण किये हैं। कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण के लिये परामर्शदाताओं के साथ परामर्श किया गया है। कलकत्ता की यह भूमिगत लाइन डमडम से टौलीगंज तक बनायी जायेगी और इस पर 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। योजना में आवंटित निधि में से अधिकतर राशि दी जा चुकी है और हमें आशा है कि निर्धारित समय में यह योजना पूरी हो जायेगी।

यह सत्य है कि लागत में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस से बचा नहीं जा सकता।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य नहीं है कि सभी महानगरों से ट्रामें हटा लिये जाने के कारण कलकत्ता जैसे महानगर में यातायात की समस्या पैदा हुई है। ट्यूब रेलवे 10 वर्ष में बन पायेगी और खुदाई आदि कार्य आरम्भ हो चुके हैं। मेरे विचार से ट्राली बसें तथा अन्य बसों द्वारा कलकत्ता में समस्या सुलझाई जा सकती है। क्या ये बसे ट्यूब रेलवे से अच्छी नहीं रहेंगी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अन्तिम रूप से कोई निर्णय लेने से पूर्व इन सभी बातों पर विचार किया गया था। कलकत्ता के लिये ट्यूब रेलवे की योजना सबसे उचित है।

श्री समर गुह : मैं कहता हूं कि यह योजना कभी कार्यान्वित नहीं होगी और अगर यह बन भी गई तो कलकत्ता की समस्याएं और बढ़ जायेंगी। पिछले कई वर्षों से लाइनों को इधर-उधर मोड़ा जा रहा है। पता नहीं 20 वर्षों के बाद कलकत्ता का क्या बनेगा ?

Shri Shankar Dayal Singh : It is gathered from Sh. Samar Guha's question that he wants the construction work relating to tube railway abandoned Residents of Calcutta should know that Sh. Guha does not want development of Calcutta. If people of Calcutta as has been said by Shri Guha, do not want this railway let this amount be utilised for Bombay.

I want to know the extent to which development has been made, the amount spent so far and the time by which the work relating to tube railway is likely to be completed ?

Shri Mohammad Shafi Qureshi : Work has already started on a part of work for which tenders had been invited. Originally it was estimated that the cost would come up to Rs. 140 Crores but due to increase in prices the cost has risen upto Rs. 250 Crores. It is presumed that the work, at the present speed, will be completed within the next ten years.

Shri Shankar Dayal Singh : I had asked a specific question about the money spent so far.

Shri Qureshi : The details are not with me at present.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रो० गुहा की तरह हम सभी इस बात के लिये उत्सुक हैं कि यह कार्य जितना सुगम तरीके से पूरा हो जाये उतना ही अच्छा है। भूमि के नीचे तो लाइन बिछायी जा रही है। परन्तु भूमि के ऊपर भी बहुत यातायात चलता है। इस सम्बन्ध में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि कलकत्ता निगम, सी० एम० डी० ए०, राज्य परिवहन, कलकत्ता ट्रामवेज के बीच अपेक्षित सहयोग और समन्वय की कमी है। लोगों को भय है कि निर्माण कार्य आरम्भ होते ही यातायात गड़बड़ा जायेगा। उत्तरी और दक्षिणी कलकत्ता के बीच यातायात को ठीक रखने के लिये कौन-कौन से सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह ठीक है कि इस प्रकार की परियोजना के लिये हमें सभी सम्बन्धित पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। भूमि में कुछ कटाई करने, उसे भरने और भूमि के नीचे पाइप बिछाने के कार्य किये जाने हैं। भूमि की कटाई करते हुए और उसे भरने के समय हमें यह ध्यान अवश्य रखना है कि यातायात को मोड़ने के लिये दूसरे मार्ग तैयार किये जायें। यातायात को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मैंने लोगों के साथ समन्वय करने सम्बन्धी प्रश्न पूछा था।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अभी तक हमें इस बारे में कोई कठिनाई नहीं आई है। जब कोई कठिनाई आयेगी तो हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे।

Shri R. S. Pandey : Sir, the population of Calcutta is 80 lakhs and that of Bombay 60 lakhs. 25 lakhs people live in suburbs. Both the Maharashtra Government and the Bengal Government have requested the Railway Ministry to go ahead with the underground railway projects because the people there have to face innumerable difficulties.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : „Corridor No. 6 scheme has been found to be the best for Bombay. The work will be started soon and it will cost Rs. 160 Crores. It is likely to be completed within 9 years.

डा० रानेन सेन : कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के सम्बन्ध में क्या गम्भीर कठिनाई पैदा हो गई है ? सोवियत संघ के विशेषज्ञ और तकनीशियन इस काम में सहयोग दे रहे हैं। क्या किसी अन्य से भी सहयोग लिया जा रहा है। यदि हां तो दो अलग-अलग संगठनों से सहयोग के बारे में पूरे और ठीक तथ्य क्या हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अलग-अलग संगठनों से सहयोग नहीं लिया जा रहा। मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने एक फर्म को ठेका दिया था। अब उस फर्म को कुछ कठिनाई आ रही है और वह पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ सहयोग करना चाहते हैं। कार्य के आरम्भ में रूसी परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध थी। उनका सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन सारा काम हमारे इंजिनियर करेंगे। हमारे तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने और परामर्श देने का कार्य रूसी परामर्शदाता करेंगे।

Average Expenditure Incurred on a Constituency in Bombay during Election to Lok Sabha in 1971 and 1962

*389. †**Shri Hemendra Singh Banera**
Shri Ishwar Chaudhri : Will the Minister of **Law, Justice and Company affairs** be pleased to state :

(a) the average expenditure incurred on a constituency in a big city like Bombay during elections to Lok Sabha in 1971 and the average expenditure incurred on a Bombay constituency during election to Lok Sabha in 1962 by the successful candidate, unsuccessful candidates, Government, various political parties and others, separately; and

(b) the steps taken by Government to reduce influence of money on elections and the extent to which the aforesaid average of election expenses will be reduced?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्रीमती सरोजनी महिषी) :

(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1971 में लोक सभा के लिये बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा खर्च किया गया औसत खर्च क्रमश: 25,144.11, 18,508.52, 11,956.63 और 5,829.74 रुपये हैं।

ये आंकड़े निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा दिये गये चुनाव सम्बन्धी विवरणों पर आधारित हैं।

चुनाव लड़ने वालों अन्य प्रत्याशियों द्वारा दिये गये चुनाव सम्बन्धी विवरणों के अनुसार बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उन का औसत चुनाव खर्च क्रमश: 7,210.08, 11,792.22, 3,746.26 और 3,458.94 रुपये है।

वर्ष 1962 में लोक सभा के लिये चुनावों के दौरान इन चार नगरों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित तथा अन्य उम्मीदवारों द्वारा किये गये खर्च के आंकड़े देना सम्भव नहीं है, क्योंकि संगत फाइलों आदि को नष्ट कर दिया गया है।

वर्ष 1971 में लोक सभा के लिये हुए चुनावों में बम्बई तथा दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों के संसदीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा किया गया औसतन खर्च क्रमश: 1,68,790.52 तथा 44,216.83 रुपये है। मद्रास तथा बम्बई के बारे में पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों के साथ साथ तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल विधान सभाओं के चुनाव भी हुए थे।

वर्ष 1962 और 1967 के आम चुनावों में इन चार महानगरों के नगरीय क्षेत्रों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये औसतन खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन वर्षों में लोक सभा के चुनावों के साथ साथ राज्य विधान सभाओं के चुनाव भी हुए थे।

सरकार को लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये खर्च की जानकारी नहीं है।

राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया खर्च निर्वाचन विधि की परिधि में नहीं आता।

(ख) निर्वाचन विधि में संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन भाग 1 में अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव भी दिया है कि मतदाता सूचियों की सप्लाई, मतदान एजेंटों तथा गणना एजेंटों की नियुक्ति के फार्मों तथा मतदान स्लिपों का खर्च सरकार वहन करे। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : महोदय, विवरण से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1962 के औसतन खर्च संबंधी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि वर्ष 1971 में किया गया खर्च वर्ष 1962 में किये गये खर्च से 60 प्रतिशत अधिक होना चाहिये। प्रत्याशियों द्वारा दिये गये चुनाव खर्च संबंधी विवरण कहां तक सच होते हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। वर्तमान निर्वाचन विधियों को जारी रख कर यह सरकार लोकतंत्र का उपहास कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिये विचार विमर्श करने हेतु प्रधान मंत्री ने एक गोल मेज सम्मेलन का सुझाव दिया है और यदि हां, तो यह सम्मेलन कब बुलाया जायगा, इसकी वास्तविक तिथियां बताई जायें और क्या यह सम्मेलन आगामी आम चुनावों से पहले बुलाया जायेगा अथवा उनके बाद में ?

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : महोदय, अनेक बार इस सभा में यह स्पष्ट किया गया है विधि मंत्री ने भी इस का उल्लेख किया था कि सरकार विपक्षी दलों से विचार विमर्श करेगी। संसद की दोनों सभाओं के समक्ष अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने भी यह स्पष्ट किया था कि चुनाव प्रणाली में कुछ सुधार होंगे। उस के अनुसरण में विचार विमर्श हो रहा है। वास्तविक तिथि निर्धारित नहीं की गई है। परन्तु यह प्रयास किया जा रहा है कि यह शीघ्रातिशीघ्र हो।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : मैंने वास्तविक तिथि पूछी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सम्मेलन आम चुनावों से पहले बुलाया जायेगा अथवा बाद में ?

अध्यक्ष महोदय : आप को क्या पता कि चुनाव कब हो रहे हैं। आप बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री हेमेन्द्र सिंह : यह प्रश्न कठिन जरूर है परन्तु साथ-साथ अति महत्वपूर्ण भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हें इस की जानकारी नहीं है।

श्री हेमन्द्र सिंह बनेरा : गत 27 वर्षों में सरकार ने निर्वाचन विधियों में कोई सुधार नहीं किया है। यदि सरकार चुनाव विधियों में सुधार नहीं करती, तो यह संसदीय लोकतंत्र के आधार को नष्ट करना होगा।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : उन क प्रश्न के दो भाग हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या विचार विमर्श किया जायगा। इस का उत्तर है कि विचार-विमर्श किया जा रहा है। अभी तक वास्तविक तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री हेमन्द्र सिह बनेरा : उत्तर के भाग (ख) में बताया गया है कि निर्वाचन विधि संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवदन के भाग I में सुझाव आदि दिये हैं। सरकार ने सहर्ष उस भाग को स्वीकार कर लिया है तथा दूसरी सिफारिशों की अवहेलना कर दी गई है। क्या समूचे प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा अथवा नहीं और क्या उसे स्वीकार किया जायेगा अथवा नहीं ?

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : समितियां नियुक्त की जाती हैं और वे अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करती हैं। उन पर विचार करने के बाद सरकार जिन सिफारिशों को सही मानती हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तविक पद्धति यह है जैसा कि उन को पता है, संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश किया था और उस प्रतिवेदन के आधार पर ही एक विधेयक तैयार किया गया है, जो कि सभा के समक्ष है।

Shri Mool Chand Dagi: I want to know whether any such arrangements are being made by the Government that memmoranda and sugestions are submitted by all parties before convening a meeting for reducing election expenses. All parties should be requested to submit the memoranda and put forward their suggestions and thereafter the meeting should be called.

Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi : Almost all the parties were represented in the Joint Committee and they have submitted their report after a very careful consideration.

Shri Paripoornanand Painuli : As the hon. Minister knows that mere amendments in election laws and consideration of the reports is neither going to eradicate the corrupt practices being adopted in election nor the mounting election expenses are going to be curbed thereby. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the fact the corruption went on increasing in England despite enactment of Corrupt and Illegal Practices Act, 1883. At least a Code of Conduct was prepared by the mutual consent of all political parties and thereby corruption was eradicated in one generation. So I would request the hon. Minister to assume the House that they would persuade all parties to have a Code of Conduct on the same basis with mutual consent.

Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi: The suggestions given by the hon. Minister would be considered. I want to tell the hon. Members that all these points have been considered in the Joint Committee and they have submitted a report before us. A bill has been brought before the house on that basis. The hon. Members have given full consideration to that. The Government is ready to consider the suggestions in regard to the recommendations of Tara Kunda Committee. It is an admitted fact that prices have gone up and election expenses have also increased considerably. We will consider as to how much increase should be permitted in election expenses.

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री जी ने उत्तर के भाग (क) में काफी पर्याप्त जानकारी दी है। उन द्वारा दी गई जानकारी की सराहना करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि लोक-सभा तथा निधान सभाओं के चुनाव निकट हैं तथापि उनकी तिथियां निर्धारित नहीं की गई हैं और इस बात को देखते हुए कि अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिवेदन उन के समक्ष है और सरकार चुनावों में सुधार सम्बन्धी जन रोष और जनता की मांग तथा उन की विचारधाराओं से परिचित है, क्या सरकार स्वयं कोई निष्कर्ष निकालेगी और प्रस्ताव रखेगी तथा शीघ्रातिशीघ्र सम्मेलन बुलायेगी ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के बारे में जनता के विश्वास में वृद्धि हो।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री पी० जी० मावलं कर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि चुनाव शीघ्र होने वाले हैं और यह मामले देश और संसद के समक्ष वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं तथा सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार इन मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी। मेरा कहना है कि शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जायेगा। अन्य बात कार्यवाही के लिये सुझाव है।

निष्ठावान रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार

*390. **श्री अरविंद एम० पटेल**
श्री वेकारिया } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन निष्ठावान रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने की कोई योजना है जिन्होंने मई, 1974 की रेल हड़ताल में भाग नहीं लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ग के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र मिल हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ; और

(घ) कितने आवेदन-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) रेलों पर चल रहे अनेक आन्दोलनों और काम रोक देने की घटनाओं के समय, रेल मंत्री द्वारा संसद में दिसम्बर 1973 को यह घोषणा किये जाने के बाद निष्ठावान कर्मचारियों की सेवाओं को अवश्य मान्यता दी जायेगी, फरवरी, 1974 में यह विनिश्चय किया गया था कि रेल कर्मचारियों को डराने धमकाने और हिंसा की घटनाओं का अधिकाधिक मामला करना पड़ रहा है और उसके बावजूद जो कर्मचारी उच्च कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें, उनके पुत्रों और पुत्रियों को भी अनुग्रह के आधार पर नियुक्तियां दी जायें। रेल प्रशासनों को प्राप्त लगभग एक लाख आवेदन पत्रों में से 7,000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे गये हैं। चूंकि खाली जगहों की संख्या सीमित है, इसलिए सब को नौकरी देना सम्भव नहीं हो सका है लेकिन जिन वफादार कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों को नौकरी नहीं दी जा सकी, उन्हें नकद पुरस्कार, अग्रिम वेतन-वृद्धि सेवा-काल में वृद्धि जैसे अन्य प्रोत्साहन दिये गये हैं।

Shri Arvind M. Patel : The hon. Minister has stated in the statement that out of about a lakh of application received, 7,000 persons have been offered employment. I want to know the basis on which selection has been made for these post the criterion adopted thereof and the level at which decision is taken in this regard.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It was decided that the sons and daughters of these railway employees who performed their duties with devotion in the days of strike in the face of danger would be offered employment in Railways. The employees have not been formed now only, but they were given awards in 1973 also during the locomen strike. Rules have been formed in different ones in this regard, according to which employment is offered. Those who do not avail the opportunity for employment are given cash award or extention in service or enhancement in increment. An attempt has been made to the effect that Scheduled castes and Scheduled tribes should also be given due representation. But complaints have been received that rules are not being followed. We are conducting enquiry in regard thereto.

Shri Arvind M. Patel : I would like to know whether Government will give employment to the sons and daughters of such railway employees who have not been given cash award or advance increments etc. under the schemes announced by the Government ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Yes, Sir, definitely.

श्री एन० आर० वीकारया : एक लाख आवेदकों में से केवल 7,000 को नौकरी दी गई है। अतः चयन में पक्षपात की संभावना है। मुझे संसद् सदस्य के नाते कुछ कर्मचारियों से शिकायतें मिली हैं। मैं समझता हूं कि पक्षपात के मामलों की जांच करने के लिये मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार जांच कराने का है अथवा नहीं ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें इस समय नौकरी नहीं दी गई प्रतीक्षा सूची में रखेगी ?

श्री मुम्मदक शफी कुरेशी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें विभिन्न स्रोतों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा समूची सूची की नये सिरे से जांच की जा रही है । यदि हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों का पक्ष किया गया है, तो उन गलतियों को दूर किया जायेगा ।

श्री एन० आर० वीकारिया : क्या प्रतीक्षा सूची रखी जायेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी हां, रखी जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ कर्मकारों को, विशेषतया नैमित्तिक कर्मकारों को पुनः नौकरी में नहीं लिया गया है, हालांकि उन्हें नौकरी में लेने का आश्वासन स्वर्गीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया था तथा उन्हें नौकरी में न लिये जाने का कारण यह है कि उन के स्थान पर तथाकथित वफादार कर्मकारों को रख लिया गया है । वे वफादार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकते हैं तथा उनकी प्रतीक्षा सूची अलग हड़ताल तक के लिये रखी जा सकती है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन वफादार कर्मचारियों पर ध्यान दिये बिना उन नैमित्तिक कर्मकारों को नौकरी में रखा जायेगा अथवा नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी निर्माण कार्यों के लिये रखा गया था तथा कुछ कार्यों को बन्द कर दिया गया है । ज्यों ही उन कार्यों को पुनः आरम्भ किया जाता है, उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे दस अथवा पन्द्रह वर्षों से काम करते रहे हैं । वे नियमित हैं । उन्हें नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that the persons whom employment has been offered are not related to the loyal workers, but they are related to those who occupy high posts in Railway Board or Divisional Headquarters ? Is it also a fact that the Scheduled Castes employees, about whom the hon. Minister has made a reference just now, have been given cash award of Rs. 100 or Rs. 200 only and none of their relatives have been given employment ? I would like to know from the hon. Railway Minister Shri Kamalapati-Tripathi whether an inquiry will be conducted in this regard and strict action will be taken against those who have offered employment to their relatives instead of giving employment to the relatives of actual loyal workers ?

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : It has already been stated that the complaints have been received to this effect and an inquiry would be conducted in this regard.

Shri D.N. Tiwary : After the announcement by the Railway Ministry that the relatives of the loyal workers would be given employment, applications were sent by the pesrons, but we have been receiving letters to the effect that the Railway Ministry is not fulfilling this announcement and those letters are being sent to the Railway Minister for necessary action but I am sorry to say that none of our letter is replied by the hon. Minister under these circumstances I want to know from the hon. Minister as to what should we do. ?

Shri. Mohd. Shafi Qureshi : The communications received from the hon. Members receive our due consideration. If there had been any mistake on our part and we had not been able to reply in time, the same will be rectified.

समस्तीपुर डिवीजन में रेलवे सेवाओं की स्थिति बिगड़ जाना

*386. **श्री एन० के० सांधी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने एक ज्ञापन द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में रेलवे सेवाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया है ;

(ख) क्या ज्ञापन में समस्तीपुर डिवीजन में रेलवे प्रशासन के वास्तव में समाप्त हो जाने का उल्लेख किया गया है और सरकार से रेलवे में व्यवसायी अपराधियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि, ऐसे तत्वों द्वारा रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के लिए रेलवे का खुले आम प्रयोग करने के उत्पातों का मुकाबला करने के लिये विशेष स्थानों पर सेना की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस प्रकार के ज्ञापन के मिलनें की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण

*388. **श्री डी०पी० जदेजा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्र में खाद्यान्न के वितरण के लिये रेलवे द्वारा कोई रियायत दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों में वितरण के लिए अभिप्रेत अनाज के परेषण के लिए रेलों ने जो रियायतें दी हैं, उनके प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं :—

(i) कि ये प्रेषण सद: गुरु सेवा संघ द्वारा उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसी स्टेशन से गुजरात राज्य के कच्छ, सुरेन्द्र-नगर, राजकोट और जामनगर जिलों के किन्हीं स्टेशनों को बुक किये गये हों ।

(ii) कि माल भेजने वाले के द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, कि परेषण दान के रूप में है और वह सूखे से प्रभावित लोगों में मुफ्त वितरण के लिए है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी किसी एजेंसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है ।

(iii) कि परेषण केवल उस जिला अथवा मण्डल मजिस्ट्रेट अथवा उप आयुक्त अथवा ब्लाक विकास अधिकारी को बुक किये गये हों जिनके अधिकार क्षेत्र में उपर्युक्त जिलों के स्टेशन आते हों ।

रिटज होटल के श्री रामनाथ कपूर द्वारा सैन्ट्रल प्राविन्सैज मैंगनेज और लिमिटेड में प्राप्त किये गये शेयर

*391. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिट्ज होटल, बम्बई (और/ या कलकत्ता) के श्री रामनाथ कपूर सेंट्रल प्राविन्सेज मैंगनीज ओर लिमिटेड, जो लन्दन में पंजीकृत कार्यालय वाली एक स्टर्लिग कम्पनी है, के निदेशक बन गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उस कम्पनी के शेयर प्राप्त किये थे और उन शेयरों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को बताया था ;

(ग) क्या यह विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन था ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें यदि किसी प्रकार का कोई दण्ड दिया गया है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख), (ग) तथा (घ) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, श्री राम नाथ कपूर ने जुलाई, 1972 में यह बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र दिया था कि उसे सेंट्रल प्राविन्सेज और लिमिटेड के निदेशक होने का प्रस्ताव किया गया था, जो उसने स्वीकार कर लिया था तथा कि उनका कथित कम्पनी में 250 पौंड मूल्य के हिस्से, उसे निदेशक के रूप में प्राप्त शुल्क से प्राप्त करने का इरादा था । ये हिस्से, श्री कपूर ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के लागू होने से पूर्व अपने निदेशक के शुल्क से प्राप्त कर लिये थे, तथा उसने इस आशय की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक को कर दी थी । यह प्रश्न, कि क्या इससे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम का कोई अतिलंघन हुआ था, वर्तमान में परीक्षान्तर्गत है, एवं प्रवर्तन निदेशालय को इस उद्देश्य के लिये निदश दे दिया गया है ।

पांचवीं योजना अवधि में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं

*392. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना अवधि में देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक योजना की प्रगति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पांचवी योजना के उर्वरक कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र में भटिण्डा, पानीपत, मथुरा, पेरादीप और ट्राम्बे में पांच नये बड़े पैमाने के उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की व्यवस्था है इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में फूलपुर में भी एक उर्वरक प्रायोजना की स्थापना की व्यवस्था है । कोटा, काकीनादा, बड़ौदा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ट्राम्बे उर्वरकों प्रायोजनाओं के लिए भी आशयपत्र प्रदान किये गये हैं । कार्यन्वनाधीन और कार्यन्वयन के लिए अनुमोदित प्रायोजनाओं के सम्पन्न होने पर उर्वरक उत्पादन की स्वदेशी क्षमता 65 लाख टन नाइट्रोजन और 17 लाख टन पी 2 ओ 5 तक बढ़ने की आशा है ।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

क्र० सं०	प्रायोजना की स्थिति	क्षमता ('000) टन के रूप में		पोषक	वर्तमान स्थिति
	सरकारी क्षेत्र	एन	पी 2 ओ 5		
1	भटिंडा (पंजाब)	235	—		प्रक्रिया लाईसेंस और डिजाइन इन्जिनियरिंग आदि आदि के लिए समझौता सुनिश्चित किया गया है और स्थल चयन और भूमि अधिग्रहण जैसे प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहें हैं। अक्टूबर 1977 तक यांत्रिक कार्य सम्पन्न होने का सम्मान है और व्यापारिक उत्पादन जनवरी 1978 तक होगा। यह
2	पानीपत (हरियाणा)	235	—		प्रायोजन सरकार द्वारा फरवरी 1975 में स्वीकृत की गई थीं और कार्यन्वयन के लिए 1975–76 में ली जायेगी ।
3	मथुरा (उत्तर प्रदेश)	235	—		यह प्रायोजना सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी गई है ।
4	पराद्वीप (उड़ीसा)	345	300		यह प्रायोजना सिद्धांत रूप से अनुमोदित की गई है और वित्तिय तथा अन्य प्रबंध सुनिश्चित होने पर कार्यन्वयन के लिए ली जायेगी ।

क्र० स०	प्रायोजना की स्थिति	क्षमता ('000) टन के रूप में		पोषक	वर्तमान स्थिति
5	ट्राम्बें (महाराष्ट्र)	130	—		यह प्रायोजना सरकार द्वारा अक्टूबर 1974 में अनुमोदित की गई थी और कार्यान्वियन के लिए ली जा रही है ।
	सहकारी क्षेत्र				
6	फूलपुर (उत्तर प्रदेश) (इफ्को)	223	—		एक आशय पत्र प्रदान किया गया है। कम्पनी इस समय वित्तिय तथा ठेके संबंधी प्रबन्ध सुनिश्चित कर रही है।
7	कोटा विस्तार (राजस्थान)	345	—		एक आशय पत्र प्रदान किया गया है।
8	बडौदा विस्तार (गुजरात)	243	—		एक आशय पत्र प्रदान किया गया है। कम्पनी वित्तिय तथा ठेके संबंधी प्रबन्ध सुनिश्चित कर रही है।
9	काकीनादा (आन्ध्र प्रदेश)	228	82		एक आशय पत्र जारी किया गया है ।
10	करनाटका राज्य औद्योगिक विकास निगम	—	83		निगम ने आशय पत्र वापिस कर दिया है और यह अनुरोध किया है कि आशय पत्र निगम द्वारा प्रवर्तन की गई कम्पनी को दिया जाये ।
	महाराष्ट्र सहकारी उर्वरक तथा रसायन लि० तारापुर	51	—		एक आशय पत्र प्रदान किया गया है कम्पनी इस समय वित्तिय तथा ठेके संबंधी प्रबन्ध सुनिश्चित कर रही है।

पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

*393. **श्री भगतराम राजाराम मनहर**
श्री भागीरथ भंवर } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा मुख्यरूप से आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है , और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य के उन क्षेत्रों की रूपरेखा क्या है जहां नई रेलवे लाइनों से लाभ होनें की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों का विकास किसी राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाता है । मुख्यतया: औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताओं और भारी उद्योग के क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों, पत्तन सुविधाओं के विस्तार, खनिज एवं प्राकृतिक साधनों के दोहन और उपयोग, सामरिक महत्व और रेलवे की परिचालन संबंधी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए देश क विभिन्न भागों में रेल परिवहन की सम्भावित भागों को ध्यान में रखकर आर्थिक सीमा के भीतर रेलों के विकास की योजना बनायी जाती है ।

नयी रेल लाइनों की व्यवस्था करके पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है और विकास के प्रयोजन से पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों के निर्माण से संबंधित नयी नीति का 1973–74 के रेलवे के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था और बाद के वर्षों के बजट भाषणों में भी इस नीति को दोहराया गया है । इस बात पर बल दिया गया है कि देश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण की परियोजनायें शुरु की जायेंगी ताकि आर्थिक दृष्टि से देश का संतुलित विकास हो सके । इस नयी नीति के अनुसार अनेक नयी लाइनों का काम हाथ में लिया गया है लेकिन सीमित वित्तीय साधनों के कारण पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनें बिछाने की योजनाओं को शुरु करने में बाधा पड़ रही है । फिर भी, अनक लाइनों के सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं और यह काम हो रहा है । इससे आर्थिक स्थिति के सुधरते ही इन परियोजनाओं पर काम करना सम्भव हो सकेगा ।

(ग) पूर्णत: अथवा अंशत: मध्य प्रदेश में पड़ने वाले पिछड़े/जन-जाति क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम हो रहा है विचार हो रहा है :

क्र० सं०	लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1	गुना-मक्सी बड़ी लाइन (193 कि० मी० लागत 10.51 करोड़ रुपये)	लाइन बन रही है और आशा है, अगले वित्तीय वर्ष में पूरी हो जायेगी ।
2	धालो-राजहरा-जगदलपुर बड़ी लाइन (251 कि० मी० लागत 27.60 करोड़ रुपये)	अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

क्र० सं०	लाइन क ानाम	वर्तमान स्थिति
3	हिरदागढ़-दमुआ बड़ी लाइन (14.3 कि० मी० लागत 2.25 करोड़ रुपये)	काम का अनुमोदन हो गया है और इसे 1975–76 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
4	महोबा-खजुराहो बड़ी लाइन (75 कि० मी०)	सर्वेक्षण हो रहा है ।
5	रांची-कोरबा बड़ी लाइन (100 कि०) मी०)	सर्वेक्षण हो रहा है ।
6	रतलाम-बांसवाड़ा बड़ी लाइन (90 कि० मी०)	सर्वेक्षण हो रहा है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का सोडा ऐश परियोजना की क्रियान्वित के लिए केरल सरकार का अनुरोध

*394. **श्री सी० जनार्दनन**
श्री वरके जार्ज } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा सोडा ऐश परियोजनाएं क्रियान्वित किये जाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केरल औद्योगिक विकास निगम को केरल में 200 मीटरी टन प्रतिदिन तक सोडा ऐश संयत्र की स्थापना के लिए एक आशयपत्र प्रदान किया गया था । राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर इस सोडा ऐश प्रयोजना को अपने हाथ में ले लें और फर्टीलाईजरस एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर ने 400 मीटरी टन प्रति दिन तक सोडा ऐश प्रायोजना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है । इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

एक अमरीकी फर्म द्वारा उड़ीसा तट पर तेल वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*395. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म, कार्ल्स वर्ग, द्वारा उत्तरी उड़ीसा तट पर किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण से वहां तेल वाले क्षेत्र विद्यमान होने के 'आशाजनक सकेत' मिले है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) कार्ल्स वर्ग-नेटोमस ग्रुप को दिए गए अपतटीय क्षेत्र में प्रारम्भिक सर्वेक्षणों से इस क्षेत्र में कुछ स्थल

मण्डल संरचनात्मक मुख्य बातें जैसे "दोष बन्दी" और अवनति की विद्यमानता के संकेत मिले हैं जो कि उचित भूगर्भीय परिस्थितियों के अधीन तेल और गैस संचयों के लिए अच्छे सकेत हैं। किन्तु ये इलाके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से काफी दूरी पर हैं।

Broad gauge line from Muzaffarpur to Darbhanga

†*396. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the 2nd January, 1975 late Shri L.N. Mishra was to go to Darbhanga from Muzaffarpur by a special train via Motihari-Sagauli and Raxaul ;

(b) if so, whether the idea behind his visit via the above stations was that he wanted to see for himself the said line and to convert it into a broad gauge one ; and

(c) if so, by what time Government propose to fulfil Shri Mishra's desire ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) No, Sir. However late Shri L.N. Mishra had a tentative programme of going to Nirmali via Sonpur, Samastipur and Darbhanga and not via Motihari-Sagauli and Raxaul.

(c) A study on the relative merits of gauge conversion of Muzaffarpur Raxaul or Darbhanga-Raxaul section is being made and a decision on the gauge conversion scheme including the alignment to be adopted would be taken after the report is finalised, subject to availability of funds.

गाड़ी के विलम्ब से चलने पर टिकट पर लगे अधिभार की राशि का लौटाया जाना

*397. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रैस और डीलक्स गाड़ियों के टिकटों पर अधिभार लगाने के बाद इन गाड़ियों का अपने गन्तव्य स्थानों पर बहुत देर से पहुंचना सामान्य सी बात हो गई है, यदि हां तो क्या सरकार का विचार गाड़ियों के निश्चित समयानुसार न चलने पर अधिभार की राशि को लौटाने का है ;

(ख) क्या पुणे और लौनावला के बीच चलने वाली स्थानीय गाड़ियां प्रायः निश्चित समयानुसार नहीं चलती है और प्रतिदिन आने जाने वाले मजदूरों की मजूरी की हानि होती है, और

(ग) पुणे और लौनावला के बीच स्थानीय उपनगरीय गाड़ियों के लिए एक अलग लाइन के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे पूरक प्रभार लगाये जाने के बाद से कुल मिलाकर इन गाड़ियों के समय-पालन में गिरावट दिखायी दी हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1974 के दौरान कानपुर-अचनारा सेक्शन पर टैलीग्राफ लाइनों से चोरों द्वारा तार की चोरी

*398. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान पूर्वोतर रेलवे के कानपुर अचनारा सेक्शन पर चोरों ने टेलीग्राफ लाइनों से लगभग 65,000 मीटर ए० सी० आर० एस० तार की चोरी कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, 1974 में पूर्वोतर रेलवे के कानपुर अछनेरा खंड पर तार की लाइनों से लगभग 34,014 रुपये के मूल्य के 57,980 मीटर ए० सी० एस० आर० तारों की चोरी की गयी थी ।

(ग) मामले की जांच पड़ताल और उसे दर्ज करने के लिए इस घटना की रिपोर्ट सिविल पुलिस में की गयी । पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ 1000 रुपये के मूल्य के चोरी के तार बरामद किये गये और उन व्यक्तियों पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

कलकत्ता की भूमिगत रेल-परियोजना के कार्य को रोक देना

*399. **श्री रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की भूमिगत रेल परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है ;

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इसका क्या कारण है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । 1975–76 के बजट में द्रुत पारवहन परियोजना, कलकत्ता के लिए 8. 4 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे में होने वाली हानियों के मामले में दावों की संख्या में वृद्धि

*400. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के गठन से पहले के वर्ष में हानियों के मामलों में विभिन्न पार्टियों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया ;

(ख) वर्ष 1973 और 1974 में हानियों के दावे कुल कितनी राशि के थे ;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल का उसके गठन के बाद विस्तार किया गया है ; और

(घ) क्या दावों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल का विस्तार करना उचित है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे चोरी, उठाइगीरी परेषणों का खो जाना, गीले हो जाने, टूट-फूट जाने, रिसने के कारण पहुंची क्षति ग्रादि । रेलवे सुरक्षा दल के रूप में वाच एण्ड वार्ड को पुनर्गठित किये जाने से पूर्व के वर्ष 1958-59 के दौरान, चोरी उठाई गीरी ग्रौर खो जाने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 204.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।

(ख) दावों के ग्रांकड़े वित्त वर्ष के ग्रनुसार रखे जाते है । 1972–73 में 912.95 लाख, 1973–74 में 984.16 लाख ग्रौर 1974–75 के पहले 9 महीनों में 757.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।

(ग) जी हां । दल का विस्तार मुख्यत: रेलवे सुरक्षा विशेष दल नामक एक विशेष दल बनाये जाने के कारण हुग्रा है । यह दल 1962 में चीनी हमले ग्रौर 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेल पथ ग्रौर दूसरी संस्थापनाग्रों की सुरक्षा तथा रेलों द्वारा ग्रधिप्राप्त नयी परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था ।

(घ) भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति के दावों में हुई वृद्धि को केवल रेलवे सुरक्षा दल के विस्तार के संर्दभ में ग्रलग से नहीं देखा जा सकता । रेलों पर ग्रपराध की स्थिति देश में व्याप्त कानून ग्रौर व्यवस्था की सामान्य स्थिति के साथ जुड़ी हुई है ग्रौर जहां तक ग्रपराधों का सम्बन्ध है ये बढ़ते ही जा रहे हैं । यातायात में हुई वृद्धि ग्रौर मूल्यों में हुई ग्राम वृद्धि को भी कुछ हद तक ध्यान में रखना होगा ।

हुबली डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के लिए बड़ी लाइन के बन्द माल डिब्बे

*401. **श्री ग्रण्णा साहिब गोट खिण्डे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी लाइन के बन्द माल डिब्बों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली डिवीजन में बड़ी लाइन पर माल चढ़ाने के सामान्य स्तर को बनाये रखने तथा मिराज ट्रांशिपमैंट स्थल पर मीटरगेज लाइन से माल उतार कर बड़ी लाइन पर चढ़ाने की कठिनाई हो रही है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ग्रौर (ख) : जी हां । ग्रभी हाल में ही हुबली मंडल की बड़ी लाइन पर माल के लदान में ग्रस्थाई कठिनाई ग्रा गयी थी क्यों कि सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को बीरम ग्राम ग्रौर साबरमती यानान्तरण स्थलों के रास्ते से माल भेजने में पश्चिम रेलवे पर यातायात ग्रधिक मात्रा में जमघट हो गया था । मिरज स्टशन पर भी माल के यानान्तरण में ग्रस्थायी रुकावट ग्रा गई थी । इसके बाद से यानान्तरण के काम का सुधार हो गया है ।

आरक्षण और बुकिंग सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*402. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आरक्षण और बुकिंग संबंधी समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है और उसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : आरक्षण और बुकिंग समिति––1972 ने अपनी पहली रिपोर्ट अक्तूबर, 1973 में दी थी। आशा है समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट 30 जून 1975 तक दे देंगी ।

मैसर्स होचेस्ट तथा अन्य औषध फर्मों को जारी किए गए लाइसेंस

*403. **श्री भामजी भाई रालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मैसर्स होचैस्ट, एबोट लैबोरेटरिज एलकली केमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और मैसंस बेयर (इंडिया) लि० को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों, अनुमति पत्रों, सी० ओ० बी० लाईसेंसों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इन लाइसेंसों/अनुमति पत्रों के जारी किये जाने के कारण सहयोग की कोई नई शर्ते अपनाई गई थी या सहयोग संबंधी वर्तमान समझौतों में संशोधन किया गया था और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इन फर्मों ने बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के क्या फार्मूलेशन तैयार किये है और उन्हें ऐसा करने देने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र, जिसमें मैसंस होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, मैसर्स अब्बोट लेबोरेटीरीज इंडिया लि० तथा मैसंस बेयर (इंडिया) लि० को चौथी योजना अवधि के दौरान दिये गये औद्योगिक लाइसस संख्या/अनुज्ञय पत्र संख्या/सी० ओ० बी० लाइसेंस संख्या तथा तारीख, निर्माण की मद, क्षमता तथा सहयोग । यदि कोई हो, अनुमोदित किए हुए वर्तमान करार के संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है, संलग्न है । उपरोक्त अवधि के दौरान मैसर्स एल्कली तथा केमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई थी ।

(ग) इस संबंध में, कि क्या कथित कम्पनियां बिना अनुमति के किसी औषध, सूत्रयोग का निर्माण कर रही है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

क्रं० संख्या	कम्पनी का नाम	लाइसेंस संख्या/ अनुज्ञय पत्र संख्या तथा तारीख	निर्माण की मद तथा क्षमता	सहयोग/अनुमोदित वर्तमान करार का संशोधन, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1	मैर्सस होचस्ट फार्मास्यु टिकल्स लि०	1. एल/22/400/70 कैमि० III दिनांक 24-10-1970	प्रोकेन एव सी० एल० 100 मीटरी टन (विस्तार केबाद)	शन्य
		2. एल/22/459/73/ कैमि० III दिनांक 8-1-1973	ज्वांईट कैप्सूल्ज 25 लाख	शून्य
		3. एल/22/400/73/ कैमि०/III दिनांक 9-1-1973	डायोनिल टेबलेट्स 20 मिलियन (कुल क्षमता के अन्तर्गत)	शन्य
			इंजैक्टबल्ज	
2	मैर्सस अब्बोट लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०	एल/22/423/71/कैमी० III दिनांक 20-9-1971 (सीओबी)		
			(क) बेजैक्टल (ख) बैजेक्टल सी लिवर (ग) बैजैक्टल टी० (घ) बेवेडैक्स	शून्य

	विवरण			
1	2	3	4	5
			तरल पदार्थ	
			(क) कैल्शिड्राइन	
			(ख) सीकन ड्राफ्ट्	
			(ग) इबेरोल लिक्विड	
			(घ) काल्टिन सी-नियोमाइसीन	
			(ङ) सैल्सम सस्पैशंन	
			(च) सरवेक्स सिरप	
			(छ) टोरफिन	
			(ज) सस्वेक्स सिरप	
			(झ) बिडेलीन एम०	
			(ण) विडेलीन एम० डाफ्ट्	
			(ट) विडेलीन ड्राप्स	
			(ढ) इवरेट सी	
			टेबलेट्स	
			(क) बेबीडेक्स	
			(ख) सीकन '500'	
			(ग) इराथोमाईसीन	
			(ङ) इबेसेल	
			(च) आप्टिलेट्स	
			(छ) आप्टिलेट्स एम०	

			(ज) प्रामिलेट्स (झ) सुसाराइल (ण) सरबेक्स शूगर कोटेड (ट) सरबेक्स **कैप्यूल्ज** (क) नेमबूटल (ख) ट्रिडियोन **ग्रेनूल्ज** (क) इराइथोसीन (ख) पेन्टेथल सोडियम	
3	मैसंस बेयर (इंडिया) लि०	एल/22/47/7/73/ कैमि० 111 दिनांक 3-8-73	क्लोरोवीक्वन फास्फेट 12 मीटरी टन प्रति-वर्ष (विस्तार के पश्चात्)	शून्य

Railway link between Ghoradongri Station and Satpura Power Station

†3704. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the absence of a railway link between the nearest railway station, Ghoradngri (M.P) and the Satpura Power Station would hamper the expansion of the Power Station; and (b) the action taken by the Railways to complete the railway siding work in time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri. Buta Singh) : (a) and (b) A request for provision of a siding between Ghoradongri Railway station and Satpura Power station has been received and is being examined.

बसंतपुर में चेनएज संख्या 6500 और 6800 के बीज फलैग स्टेशन

3706. **डा० हरि प्रसाद शर्मा : श्री आर० बी० बडे** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे पुनर्मार्गनिर्धारण परियोजना के अन्तर्गत चेन एज संख्या 6500 और 6800 के बीच बसंतपुर में एक फलैग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि ,हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है : और

(ग) पुनमार्गनिर्धारण लाइन पर झण्डी स्टेशनों की स्थापना के लिए किस माप दण्ड पर विचार किया गया है तथा क्या बंसतपुर इन शर्तों को पूरा करता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी स्थान पर फलैग स्टेशन की स्थापना वहां के यातायात की आवश्यकताओं पर और आस-पास के स्टेशनों पर निर्भर है। साथ ही उस स्थान के इंजिनियरी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है । बसन्तपुर इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता ।

रेलवे द्वारा डीज़ल तेल की खपत

3707. **श्री के० एल० राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने भारत में कितने तेल की खपत की और उसमें आयातित मात्रा कितनी थी ; और

(ख) डीजल इंजनों, कोयला इंजनों और बिजली से चलने वाले इंजनों की (एक) पुंजीगत लागत, (दो) चलाने की लागत और (तीन) रखरखाव की लागत में क्या अन्तर है ?

रेल मत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973–74 में लगभग 6.88 लाख किलोलिटर एच० एस० डी० तेल की खपत हुई थी । चूंकि देश में होने वाले उत्पादन और आयात से प्राप्त एच० एस० डी० तेल का स्टाक अलग नहीं रखा जाता और उसकी सप्लाई अलग-अलग नहीं की जाती है इस लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि रेलों द्वारा कितनी मात्रा में आयातित एच० एस० डी० तेल की खपत की गयी ।

(ख) विभिन्न कर्षणों के अन्तर्गत आने वाली लागत इस प्रकार है :—

(i) प्रति रेल इंजन पूंजीगत लागत (लाख रू० में) ;

		बड़ी लाइन	मीटर लाइन
डीजल	डब्ल्यू डी० एम० 2	27.54	18.64 (वाई डी एम 4)
	डब्ल्यू डी० एस० 4	12.00	
भाप		7.08	6.64
बिजली		39.00	10.00

(ii) चालन की लागत (रुपयों में) – 1000 कुल टन किलोमिटर

डीजल	3.92	5.06
भाप	7.25	9.70
बिजली	3.00	3.08

(iii) अनुरक्षण लागत (रूपयों में 1000 कुल मीटरिक टन किलोमिटर)

डीजल	1.47	3.13
भाप	1.74	2.00
बिजली	1.18	0.52

Complaints with Capital of more than Rs. 10 Lakhs Registered and liquidated in Uttar Pradesh During 1974

†3708. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of companies with a capital of more than Rs. 10 lakhs registered in Uttar Pradesh during 1974 ;

(b) the number of such companies with a capital of more than Rs. 10 lakhs liquidated in that State during the same period ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) Thirty two companies limited by shares each having an authorised capital of more than Rs. 10 lakhs were registered under Comapnies Act, 1956, in the State of Uttar Pradesh during the year 1974 (January to December, 1974).

(b) No company having a paid-up capital of more than Rs. 10 lakhs went into liquidation or was struck off under Section 560(5) of the Companies Act, 1956 in the State of Uttar Pradesh, during the year 1974 (January to December, 1974).

मैसर्स लेडरले लेवारेटरीज़ तथा अन्य औषध फर्मों को जारी किये गये लाइसेंस

3709. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैंसस लेडरले लेवोरेटरिज (साइनामाइड) मैंसस बूटस, मैंसस बी० डीं० एच० और मैंसस ड्यूमेक्स प्राईवेट लिमिटेड तथा फिजर को दिये

गये औद्योगिक लाइसेंसों, अनुमतिपत्रों, सी० ओ० बी० लाइसेंसों तथा अन्य सुविधाओं की मुख्य बातें क्या है ।

(ख) क्या इन लाईसेंसों / अनुमति पत्रों के जारी किये जाने के कारण सहयोग की नई शर्तें स्वीकार की गई, अथवा वर्तमान सहयोग करार में संशोधन किया गया और यदि हां, हां, तो उनमें से प्रत्येक की मुख्य बातें क्या हैं : और

(ग) इन फर्मों द्वारा कौन से फार्मूलेशन बिना औद्योगिक लाइसेंस के बनाये जाते है और उनको इस की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान मेसर्स लेडरले लेबोरेट्रिज (स्यानामाईड) मैसर्स बूट्स, मैसर्स बी०डी०एच०, डूपेक्स प्राईवेट लि० और फिजर लि० को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस और सी०ओ०बी० लाइसेंस के ब्यौरे दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9214–75 । उस अवधि के दौरान इन कम्पनियों को कोई स्वीकृति पत्र नहीं दिया गया था ।

(ख) औद्योगिक लाइसैंस सं० एल० 22/420/71 रसायन/III दिनांक 26 जुलाई 1974 के बारे में मैसंस बुट्स कंम्पनी इण्डिया लि० बम्बई के विदेशी सहयोग की शर्ते स्वीकृत की गई थी जिसके अन्तर्गत तकनीकी जानकारी की सप्लाई, ड्राईंग तथा अन्य विशिष्टयों की सप्लाई तथा ऐसी अन्त सहायक जो विदेशी सहयोगीकर्ताओं द्वारा अन्तराष्ट्रीय मानकों तक औषधों के उत्पादन के लिए आवश्यक समझे गए हों के संबंध में उनके विदेशी सहयोगकर्ता मैंर्सस बूट्स प्योर औषध कां० लि० इंगलैड के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु प्रपुंज डिलोक्सामाइड फूरोट के उत्पादन के मूल्यों पर करों की शर्तों पर 5 प्रतिशत की रायलटी की अनुमति दी गई थी । भाग (क) के उत्तर में निम्नलिखित लाइसेंस के लिए मर्सस फिजर के बारे में कोई विदेशी सहयोग मंजूर नहीं किया गया था परन्तु कम्पनी को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गए पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि अपनी विदेशी साम्ग्र पूंजी को जून 1975 तक 60 प्रतिशत तक लाएं ।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा किसी औद्योगिक लाइसेंस बिना यदि कोई सूत्रयोग उत्पादित है तो उनके नाम एकत्र किये जा रहे है और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

मैसर्स ग्लैक्सो तथा अन्य औषधि-फर्म में इनकी मूल्य कंपनी द्वारा आरम्भ में लगाई गयी इक्विटी पूंजी

3710. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंर्सस, ग्लैक्सो, बरोस वलकम (आई) लिमिटेड, पार्क डविस तथा मे एण्ड वेकरस की मूल कम्पनियों द्वारा इनमें आरम्भ में कितनी इक्विटी पूंजी लगाई गयी थी ।

(ख) इन फर्मों तथा इनकी मूल कम्पनियों के बीच, अलग-अलग, किये गये करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन फर्मों द्वारा आरम्भ में किन वस्तुओं के निर्माण की परिकल्पना की गई थी और बाद में क्या परिवर्तन किये गये है ; और

(घ) क्या विदेशी पूंजीनिवेश बोर्ड नें इन करारों का अनमोदन किया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रत्येक कम्पनी के मूल साम्य पूंजी के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	मूल साम्य पूंजी
1. मैर्सस ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इडिया) लि०	आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।
2. मैर्सस बोरोथस वैल्कम (इंडिया) लि०	रु० 5,00,000
3. मैर्सस वार्क ऊक्सि लि०	रु० 88,50,000
4. मेर्सस में एण्ड बेकर (इंडिया) प्रा० लि०	रु० 5,00,000

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

बंगला देश को तेल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की परिवहन दरों में वृद्धि

3711. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड (मार्केटिंग डिविजन) ने बंगला देश को तेल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की परिवहन दरें बिना टेंडर आमन्त्रित किये, 1972 में लगभग 6 महीनों के लिए 8 पैसे प्रति किलोर्मीटर से बढ़ाकर 19 पैसे प्रति प्रतिकिलोमीटर कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कुल कितनी राशि अधिक दी गई, क्या उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) : दिसम्बर 1971 में बंगला देश के स्वाधीन होने पर भारतीय तेल निगम से अल्पकालिक सूचना पर बड़ी मात्रा में पैट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने के लिए कहा गया था। दोनों देशों के बीच रेल यातायात की अनुपस्थिति में उत्पादों को भारत में कई जगहों से सड़कों द्वारा बंगला देश ले जाना पड़ा ।

यद्यपि निगम अपने परिवाहन ठेकेदारों को कलकत्ता सिलिगुरी रायगंज और से उस समय की 8 पैसे प्रति के० एल० आर० टी० के० एम० जो कि दर भारतीय सीमा में लागू थी, पर पदार्थ ले जाने के लिए मंगवाने में समर्थ हुआ था परन्तु बाद में सड़कों की खराब दशा क्षतिग्रस्त पुलियों के कारण

कठिन विप्पणन रास्ते में होने वाले विलम्भ आरम्भ में वृद्धि आदि कारणों पर प्रक्रिया की लागत क समस्त उलझाव की अनुभूति होने पर ठेकेदारों ने 20 पैसे प्रति के० एल० आर० टी० के० एम० की दर की मांग की और विद्यमान कम दर पर काम करने से इन्कार कर दिया। इसका बंगला देश को सप्लाई पर प्रभाव पड़ा और बंगला देश सरकार से शिकायतें आयी ।

बंगला देश को सप्लाई करने की आवश्यकता और ठेकोदारों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर भारतीय तेल निगम ने, इन स्थानों में कार्य करने वाले ठेकेदारों से प्राप्त कोटे इनके आधार पर, प्रति 19 पैसे प्रति कि० लि०/आर० टी० के० एम एक्स सिलीगुरी/रामगंज की दर पर स्वीकृति दी थी। प्रति 19 पैसे कि० लि०/आर० टी० के० ए० एम० की दर 4 महीनों के लिए 23–2-72 से लागू थी। तथापि, कलकत्ता से बाहर सप्लाई के लिए भारतीय तेल निगम 6 महीने की अवधि के लिए 23–3–72 से प्रति 12 पैसे कि० लि०/कि भी की दर पर बातचीत करने में समर्थ था । तीन महीने की अवधि पूरी होने पर भारतीय तेल निगम ने महसूस किया कि कुछ परिस्थितियों के सुधार के कारण परिवहन की दरों में कमी आवश्यक थी । उसके परिणामस्वरूप पार्टियों के साथ बातचीत की गई जिससे रामगंज और सिलिगुरी से बाहर सप्लाई के लिए दर में 19 पैसे से 16 पैसे तक प्रति कि० लि०/आर०टी०के०एम० की कमी की जा रही है,। 16 पैसे की यह संशोधित दर 3 महीनों के लिए 23 मई 1972 से लागू थी। सिलिगुरी और रामगंज से बंगला देश तक पैट्रोलियम उत्पादन पहुंचाने के लिए प्रतियोगिता दरों को प्राप्त करने के लिए जून 1972 में सार्वजनिक टेंडर भी मंगाया गया था । इसके कारण भारतीय तेल निगम को 16 पैसे प्रति कि० लि० / आर०टी०के०एम० की दर भी मिली ।

यद्यपि बंगला देश के सड़क परिवहन की दरें अधिक लगती थी, फिर भी समय विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में और भारतीय तेल निगम के बंगला देश को दिए गए वायदों को पूरा करने को ध्यान में रखककर इस पर विचार किया जाना है । उपर्युक्त उल्लिखित विभिन्न मदों को ध्यान में रख कर भारतीय तेल निगम द्वारा दी गई दरें अनुदित नहीं मानी जाती हैं ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे लाइन हेतु अपेक्षित भूमि के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भुगतान

3712. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से कलकता में भूमिगत रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अर्जन हेतु भुगतान करने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसा करने पर सहमत हो गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, सरकारी और नगरपालिका की जमीन के लिए ।

(ख) इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लिखा पढ़ी की जा रही है :

असिस्टेंट आफिसरों (गैर-वर्गीकृत) को स्थाई करना

*3713. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या रेल मंत्री असिटेंट अफिसर (गैर-वर्गीकृत) को स्थाई करने के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के उत्तर के सम्बद्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थाई असिटेंट आफिसरों (गैर-वर्गीकृत) में ऐसे सिविल इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिनको गत तीन वर्षों में स्थाई बनाया गया है, उनकी भर्ती किस वर्ष की गई थी और सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों में से, वर्षवार, कितने अधिकारी बनाये गये ;

(ख) वर्ष 1975–76 में ऐसे कितने अधिकारी स्थाई बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस समय स्थाई बनाने का निर्धारित कोटा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1975 में 18 को स्थायी किये जाने की संभावना है ।

(ग) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधे भर्ती किये जाने वालों की वास्तविक संख्या का 60 प्रतिशत ।

विवरण

जिस वर्ष स्थायी किये गये	स्थायी किये जाने वालों की संख्या	जिन वर्षों में भर्ती की गयी				
		1956	1957	1958	1959	1960
1971	6	1	5	—	—	—
1972	16	2	10	1	2	1
1973	7	—	2	1	4	—
जोड़	29	3	17	2	6	1

1967 से 1970 तक के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा के जरिये कुल 49 व्यक्तियों की सीधी भर्ती होने के फलस्वरूप, ऊपर उल्लिखित स्थायीकरण आवश्यक हो गये थे ।

1971 से 1973 के दौरान प्रतियोगी परीक्षा के जरिये 30 अधिकारियों की सीधी भर्ती की गयी परीक्षा और श्रेणी 1 में 18 अस्थायी इंजीनियरों का स्थायीकरण आवश्यक हो गया है । इन स्थायीकरणों के लिए आदेश देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पहले से ही की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में बीबीनगर से नाडिकुडे तक रेल लाइन के बारे में रिपोर्ट

3713. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आन्ध्र प्रदेश में बीबीनगर-नाडिकुडे रेल लाइन के निर्माण के बारे म रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

रल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण अभी हो रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के लिए होल्डिंग कम्पनी

3715. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के लिए एक नई होल्डिंग कम्पनी बनाने का है जो इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विविधकरण और विकासीय कार्यों के लिए कुछ परियोजनाओं पर आधारित होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत वरुआ) : (क) कम्पनी कार्य विभाग के विचारान्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र की सुरक्षा तथा डाक्टरी सहायता ने देने के लिये विभागीय कार्यवाही

3716. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने समस्तीपुर में बम विस्फोट के फलस्वरूप हुई श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के पश्चात् एक महीने के भीतर उनको सुरक्षा और तत्काल राहत तथा डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध न कर सकने के कारण डाक्टरों सहित रेल के अधिकारियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती श्री के० के० मैथ्यू की अध्यक्षता में नियुक्त एक सस्दयीय जांच आयोग इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है । उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Construction of Satna-Beohari Railway Line

*3717. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to stete :

(a) whether the work on the Satna-Beohari railway line is held up even after a survey thereof has been completed;

(b) whether the scheme of Government was to construct a railway line from Satna to Beohari for the industrial progress of Rewa Division (Madhya-Pradesh) ; and

(c) if so, salient features of the progress thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The traffic survey for construction of new B.G. line from Satna to Beohari via Rewa-length 127 kms. was sanctioned in 1972 for the development of backward area falling in the zone of influence of this line and carriage of foodgrains, forest produce, limestone and building stone, available in this area. The survey report has since been received and it has been revealed by the examination thereof that the project will attract very little traffic and will be highly unremunerative.

In view of the present difficult financial position of the Railways and the existence of a well developed road system, the project has been shelved.

बालासोर में रेलवे के ऊपरी पुल (फ्लाई-ओवर) का निर्माण

3718. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासीर में रेलवे के ऊपरी पुल का निर्माण स्थगित कर दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बालासोर में रेमुना सड़क समपार पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव 1972–73 और 1974–75 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था । चूंकि इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पुल के स्थान के बारे में अंतिम निर्णय नहीं किया गया, इसलिए प्रस्ताव छोड़ देना पड़ा । जब योजना का ब्यौरा तैयार हो जायेगा तब निर्माण कार्य की मंजूरी के लिए अगली कार्यवाही की जायेगी और रेलवे के हिस्से पर काम शुरू किया जायेगा, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

रेलवे हड़ताल से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये धनराशि का नियतन

3719. **श्री बीरभद्र सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये कितनी धनराशि नियत गई थी ; और

(ख) इस धनराशि में से प्रत्येक रेलवे ज़ोन में, मदवार, कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मई 1974 की हड़ताल के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए रेलों को लगभग 2.5 करोड़ रूपये खर्च करने पड़े यह व्यय आपातकालीन भोजन, परिवहन आदि जैसे विभिन्न फुटकर खर्चों पर हुआ । सभी फुटकर शीर्षकों का विभाजन उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह खर्च शीर्षक 'एब्स्ट्रैकट–जी–3306' के नामखाते में डाल दिया गया था ।

Shares of Directors of Sugar Mills in Madhya Pradesh

*3720. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Law, Justice and company Affairs** be pleased to state the names of those directors in the three sugar mills at Dalauda, district Mandsaur; Jaura, district Ratlam and Mahidpur, district Ujjain (all in Madhya Pradesh) those share capital in the mills is more than Rupees ten thousand ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : The Hon'able Member presumably refers to Jiwajirao Sugar Co. Ltd., at Dalauda and Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd., at Jaora, There is no sugar Co. registered under the Companies Act at Mahidpur in Madhya Pradesh.

In Jiwajirao, Sugar Co. Ltd, no director holds share capital of more than Rs. ten thousand. In Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd., the following directors hold share capital of more than Rs. ten thousand.

1. Shri Bankatlal Tody.
2. Shri Vishwanathji Tody.
3. Smt. Banarsibhai Tody.

मारुति लिमिटेड, ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड, मारुति टेक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लि० और मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में बड़े व्यापार गृहों के शेयर

3721. **श्री फूल चन्द वर्मा**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री राम रतन शर्मा
श्री हेमेन्द्र सिंह बरेरा
श्री ईश्वर चौधरी
श्री जगन्नाथ राव जोशी

: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिड़ला कम्पनियों के नाम क्या हैं (चाहे वे एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रकियाएं अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है या नहीं) जिनके, (एक) मारूती लिमिटेड (दो) ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड, (तीन) मारूती टेक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, और (चार) मारूती हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में शेयर है;

(ख) प्रत्येक बिड़ला कम्पनी के कितने कितने शेयर है और वे कब से हैं ; और

(ग) देश के अन्य उन बड़े ब्यपार गृहों के नाम क्या है जिनके पास उक्त चार कम्पनियों में से किसी के शेयर है और प्रत्येक के पास कितने मूल्य के शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत वरुआ) : (क) से (ग) मैसंस मारूती लिमिटेड द्वारा दिनांक 28–9–1974 को प्रस्तुत की गई नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति में प्रदर्शित बिड़ला समूह से सम्बन्धित चार कम्पनियों के तथा किलिक धराने से संबंधित तीन कम्पनियों के, मारूती लिमिटेड में हिस्से हैं। इन सात कम्पनियों में से प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों की संख्या तथा मूल्य तथा धारण करने की तारीख की बाबत सूचना निम्न प्रकार दी गई है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के अनुसार संबंधित धराने का नाम	10 रू० की दर के धारित हिस्सों की संख्या	तारीख से
1	चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लि०	बिड़ला	10,000	25–1–73
2	दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लि०	बिड़ला	30,000	25–1–73
3	सरन ट्रेडिंग कम्पनी लि०	बिड़ला	20,000	25.1–73
4	उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लि०	बिड़ला	40,000	25–1–73
5	किल्ट्रोना इण्डिया लि०	किलिक	24,000	3–1–72
6	हिन्गीर रामपुर कोल कम्पनी लि०	किलिक	40,000	7–8–72
7	किलिक स्लोटेड एन्गल्स लि०	किलिक	26,000	3–1–72

इन सात कम्पनियों में से कोई भी, एकाधिकार एंव निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। बिड़ला धराने की चारों कम्पनियां तथा किलिक धराने की दो कम्पनियां, अर्थात हिन्गीर रामपुर कोल कम्पनी लि०, तथा किलिक स्लोटेड एन्गिलस लि०, इन धरानों से संबंधित होने के बारे में विवाद कर रहीं है । तथा यह विषय विचाराधीन है ।

एकाधिकार एंव निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत "प्रमुख उपक्रमों" के रूप में पंजीकृत, आटोमोबाईल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि० , तथा मोहन मैकिन ब्रेवरीज, लि०, नामक दो कम्पनियों के मारूती लिमिटेड में क्रमशः 50,000 व 1,00,000 हिस्से है। जहां तक अन्य तीन कम्पनियों का संबंध है, क्रमशः ड्रिलिगं इक्यूपमैट (प्रा०) (लिमिटेड) (2 मारूती टेकनीकल सर्विसेज (प्रा०) लिमिटेड, (3) मारूती हैवि व्हीकल्स (प्रा०) लिमिटेड, कोई कम्पनी बिड़ला या औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट के अनुसार किसी अन्य घराने से संबंधित नहीं है तथा न ही हो कोई कम्पनी एकाधिकार एंव निबन्धनकारी ब्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत, कम्पनी रजिस्ट्रार के पास नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार उनमें शेयर धारण करती है ।

साबुन निर्माता और उनका उत्पादन

3723. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में कुल कितने साबुन निर्माता है, उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उस क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने साबुन निर्माता से अपने कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक भाग 'जनता साबुन' का उत्पादन करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय 'जनता साबुन' का मासिक उत्पादन कितना है और साबुन निर्माताओं के कुल उत्पादन तथा अधिष्टापित उत्पादन क्षमता की तुलना में यह कितना है ; और

(घ) सरकार ने जनता साबुन की न्यूनतम किस्म को बनाये रखने के लिए उन साबुन निर्माताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने इस दायित्व को नहीं निभाया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख), (ग) और (घ) साथ ही साथ, साबुनों के मूल्यों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के हटाए जाने से संगठित क्षेत्र के साबुन निर्माताओं से सितम्बर 1974 में 3 से 6 महीनों के भीतर नहाने के साबुन की जनता किस्म के शुरू किये जाने और इस की 100 ग्राम की एक एक टिकिया ग्राहक को 1.00 रूपये से 1.05 रूपये के बीच उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा थी । प्रारंम्भ में समस्त संगठित क्षेत्र के लिए जनता साबुन का उत्पादन नहाने के साबुन के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत (अर्थात 11,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष) तक किया जाना था और यदि मांग बढ़ जाती है तो इसे उत्पादन की 17,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक बढ़ा देना चाहिये । जनता साबुन के उत्पादन के स्तर को निर्माताओं के कुल उत्पादन तथा स्थापित उत्पादन क्षमताओं के संबंध में बनाये रखने की आवश्यकता नहीं थी ।

जनता नामक नहाने के साबुन का वर्तमान मासिक उत्पादन लगभग 900 मी० टन है जिसे संतोषजनक समझा जाता है । जनता नामक नहाने के साबुन के गुणों पर सरकार निगाह रख रही है ।

Completion of Electoral Rolls in States

*3724. **Shri Janeshwar Misra**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state.

(a) the names of the States where electoral rolls are ready ; and

(b) whether Government have taken steps to ensure that the names of backward and illiterate people are included in the electoral rolls ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See No. L T-9215/75**]

(b) House to house enumeration has been conducted throughout the country during December, 1974—January, 1975 so that all persons including those who are backward and illiterate who have attained the age of 21 years on 1-1-1975 and who are ordinarily resident in a constituency are registered in the electoral roll of that constituency.

'जनता' साबुन का उत्पादन

3725. **श्री के० मालन्ना**
श्री सी० जनार्दनन मौलाना इसहाक सम्भली } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन उद्योग के नियंत्रण से मुक्त करने के सरकार के निर्णय के परिणाम स्वरूप एक योजना बनाई गई थी और साबुन निर्माताओं को विनियंत्रण के बाद तीन से छह महीनों के अन्दर 'जनता' किस्म का साबुन बनाना था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) संगठित क्षेत्र में 'जनता' साबुन बनाने वाले साबुन निर्माताओं की संख्या कितनी है तथा उनका मासिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) 'जनता' साबुन का उत्पादन तथा किस्म को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) नहाने के सस्ते साबुन को उपलब्ध कराने को दृष्टि से साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र को एक 'जनता' नहाने का साबुन बनाना था जिसकी 100 ग्राम की एक टिकिया, खुशबु और पैंकिग सामग्री को बचत करके तथा जिसमें कुल चर्बीयुक्त पदार्थ का अंश कम से कम 60 प्रतिशत रख कर, 1 रूपये से 1.05 पैसे तक बेची जा सके । संगठित क्षेत्र को 19 सितम्बर 1974, जब साबुनों पर लगाया गया नियंत्रण उठाया जा रहा था, से तीन से 6 महीने की अवधि में 'जनता' नहाने का साबुन प्रस्तुत करना था । इसके अतिरिक्त, उद्योग को नहाने के साबुन के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत के स्तर पर 'जनता' साबुन का निर्माण करना था और इस स्तर को 11,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया ।

(ग) बाजार में 4 निर्माताओं ने जनता नहाने का साबुन प्रस्तुत किया है । उनका अक्टूबर 1974 से जनवरी 1975 तक का उत्पादन निम्नलिखित है ।:—

				(मीटरी टनों में)
	अक्टूबर 1974	नवम्बर 1974	दिसम्बर 1975	जनवरी 1975
मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	480	724	377	3503
मैसर्स टाटा आयल मिल्स लि०	59	285	530	348
मैसर्स गौदरेज सोपस प्रा० लि०	—	—	—	70
मसर्स स्वास्तिक आयल मिल्स	—	—	—	17

(घ) अब तक उद्योग द्वारा जनता साबुन के उत्पादन की जिस समग्र स्थिति की प्राप्ति की गई है वह संतोषजनक है । सरकार जनता साबुन की गुणवत्ता पर नजर रख रही है ।

औषधियों के मूल्यों एंव उत्पादन संबंधी नीति

3726. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध मूल्यों तथा उनके उत्पादन के जटिल प्रश्न के बारे में संगत नीति पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है और सरकार इस मामले में कब तक निर्णय कर लेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) देश के औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एंव भेषज उद्योग पर एक समिति नियुक्त की है । समिति ने "आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को अत्यावश्यक औषध तथा प्रचलित घरेलू दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए उपायों पर" एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उस रिपोर्ट की प्रति 4 मार्च, 1975 को सभा पटल पर रख दी गई थी । सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है । और बातों के साथ साथ समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

"ग्राहकों के लिये औषध के मूल्य कम करने के संबंध में अब तक अपनाये गये उपायों की जांच करना तथा इस प्रकार के ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्य युक्तिसंगत करने के लिए आवशयक हों ।"

समिति के अपनी अन्तिम रिपोर्ट अप्रैल 1975 में प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

Licence for Manufacturing Ayurvedic and Allopathic Medicines

3727. **Shri Madhadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a licence has to be obtained from Government for manufacturing ayurvedic and allopathic medicines; and

(b) if so, the main conditions prescribed therefor and the steps taken by Government for the expansion of these systems of medicines ?

The Minister of State in the Ministery of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganseh) : (a) Separate lincenes are required to be obtained from the State Licensing Authorities, under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 194C and Rules thereunder for the manufacture of allopathic medicines and Ayurvedic medicines.

(b) For allopathic drugs two types of licences are required to be obtained depending on whether the drgus to be manufactured are logical and specific products such as Sera, Vaccines, njectables etc. or otherwise. The condition to be fulfilled by an applicant before grant of a lincence i.e., the pre-licensing conditions as well as the conditions to be complied with during the currency of the licence i.e. the running conditions of the licenses are specified in the Drugs and Cosmetics Rules in respect of different types of licences.

The following are the main conditions, which an applicant for manufacture of allopathic drugs should comply with, for being eligilbe for the grant of a licence :—

(a) Provide adequate and competent technical staff having the prescribed qualifications to superwise the manufacturing operation.

(b) Provide hygienic and, adequate premises for the manufacture of drugs included in the application.

(c) Provide adequate facilities for testing of raw materials and finished products or arrange for the same with a Laboraotry approved by the licensing authority, and

(d) Provide adequate arrangements for storage of rugs to be manufactured by him.

In addition the applicant should also comply with the following conditions :—

(1) maintain records of manufacture in respect of every batch of finished product in the prescribed manner ;

(2) Test each batch of every raw materials used by him and each batch of finished product to ensure compliance with the prescribed standards and maintain records thereof ;

(3) Allow Drugs Inspectors to inspect the manufacturing Premises, plant, equipment and the conditions of the manufacture and the facilities of test as well as the records of manufacture and test.

(4) Allow Drugs Inspectors to draw samples of the drugs manufactured by him ; and

(5) Report changes in the expert staff in respect of manufacturing and testing as well as changes in the constitution of the firm.

For manufacture of Ayurvedic drugs the applicant should comply with the following conditions for the grant of a licence :—

(1) Provide adequate premises for the manufacture of Ayurvedic drugs under such hygienic conditions as specified in the rules;

(ii) Provide competent technical staff having the prescribed qualifications.

Details of present licensed capacity and the Fifth Plant targets for allopathic bulk drugs are published in the Guidelines for industries published by the Minstry of Industry and Civil Supplies from year to year for the guidance of the prospective entrepreneurs. This Ministry have also constituted a Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry under the Chairmanship of Shri Jaisukhlal Hathi with *inter alia* following terms of reference :—

(i) To enquire into the progress made by the industry and the status achieved by it.

(ii) To recommend measures necessary for ensuring that the public sector attains a leadership role in the manufacture of drugs and formulations and in research and development.

(iii) To make recommendations for promoting the repid growth of the drugs industry and, particularly, of the Indian and Small scale industries' sectors. In making its recommendations the committee will keep in view the need for a balanced regional dispersal of the industry.

The Committee is likely to sbumit its report by April, 1975. Committee have already submitted its report on measures for providing essential drugs and common household remedies to the general public in rural areas. This is under consideration.

जेन्टामाइसिन सल्फ़ेट के लिये लाइसेंस जारी करना

3728. **श्री आर० आर० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेन्टामाइसिन के उत्पादन के लिए दो करोड़ रूपये का एक संयंत्र स्थापित करने हेतु पूर्ण रूप से विदेशी स्वामित्व वाली एक औषध कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के निर्णय के उद्योग मंत्रालय के बारे में रहस्यास्पद स्थिति बनी हुई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने इस देश में काम करने के लिए सी॰ ओ॰ बी॰ लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पूर्ण रूप से विदेशी स्वामित्व वाली इस कम्पनी को यह लाइसेंस किस आधार पर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ आर॰ गणेश) : (क) और (ग) : औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने आवेदन-पत्र जो 13 सितम्बर, 1974 को प्राप्त हुआ था, मैं मैर्सस सी॰ ई॰ फुलफोर्ड ने निम्नलिखित मदें निर्माण करने के संबंध में प्रस्ताव दिया था :—

क्रम संख्या	मद	वार्षिक क्षमता
1	जेन्टामाइसीन सल्फेट	1000 कि॰ ग्रा॰
2	टैबलेट्स	360 मिलियन
3	इंजेक्टबल्स	8100 लिटर
4	आयन्टमैन्ट्स तथा क्रीम	25,000 कि॰ ग्राम
5	सोल्यूशन्ज	11,000 लि॰
6	कैप्सूल्ज	5000 मिलियन

उन्होंने साम्य पूंजी को 200 लाख रुपये तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है । इस यूनिट को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है और उनके प्राथना-पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न कि, क्या इस कम्पनी को व्यापार चलाये रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, जांच की जा रही है ।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर फैक्टरी की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया जाना

3729. **श्री सी॰ एच॰ मोहम्मद कोया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि,

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने पोलिस्टर स्टेपल फाइबर फैक्टरी की स्थापना हेतु वर्ष 1970 में लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था।

(ख) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के आवेदनपत्र पर निर्णय लेने में कोई असाधारण विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां

(ख) और (ग) : सितम्बर 1970 में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था चूंकि पोलियस्टर स्टेपल फाइबर का निर्माण करने अतिरिक्त लाइसेंसिंग क्षमता की कोई गुंजाईश नहीं थी ।

विदेशी फर्मों द्वारा तटदूर तेल के ठेकों में भाग लिया जाना

3730. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, श्री डी० डी० देसाई, श्री अनादिचरण दास, श्री पी० गंगादेव, श्री श्रीकिशन मोदी और श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में किये जाने वाले तटदूर तेल के ठेकों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया है कि विदेशी फर्मों को उनका तेल का अंश नहीं मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० बी० मांझी) : (क) और (ख) : राष्ट्र हित में, सरकार का यह निरंतर प्रयास रहेगा कि भविष्य में किये जाने वाले अपतटीय तेल अन्वेषण ठेकों में अच्छी से अच्छी शर्तें प्राप्त हों ।

लाहाबन स्टेशन पर समस्तीपुर यात्री गाड़ी ठहराने का प्रस्ताव

3731. **श्री शरद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर लाहाबन एक ऐसा स्टेशन है जो अनेक विकास खण्डों की सीमा पर स्थित है और यही एक मात्र ऐसा स्टेशन है जहां से निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग गाड़ी में बैठ सकते है ;

(ख) क्या इस समय वहां केवल एक ही गाड़ी अर्थात, 319 अप और 320 डाऊन मुगलसराय यात्री गाड़ी ठहरती है; और

(ग) क्या सरकार लाहाबन स्टेशन पर निकटवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए 311 अप और 312 डाउन समस्तीपुर यात्री गाड़ी को ठहराने की व्यवस्था करेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लाहाबन पूर्व रलवे के आसन्सोल-कियूल खण्ड पर एक स्टेशन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लाहाबन स्टेशन पर 311 अप/312 डाउन समस्तीपुर तेज सवारी गाड़ी के प्रस्तावित ठहराव के लिए वाणिज्यिक औचित्य की जांच की जा रही है और इस संबंध में जो कार्यवाही व्यावहारिक और औचित्य पूर्ण होगी की जायेगी ।

मतदाता सूची से जनकपुरी के 55,000 मतदाताओं के नाम का हटाया जाना

3732 **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी के, जो दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है, 55,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो मतदाता सूची में इन नामों को शमिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजनायें

3733. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन-कौन सी उर्वरक परियोजनाओं की मंजूरी दी है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया जायेगा ;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर वर्ष 1975–76 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) :

कोयले पर आधारित पूरी की हुई और पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के नाम	कुल परिव्यय रु० करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार)	31–12–74 तक खर्च हुई राशि रु० करोड़	1975–76 के दौरान संभवतः खर्च की जाने वाली राशि
रामागून्दम (ए० पी०)	137.30	86.26	25.00
तल्चर (उड़ीसा)	142.69	88.02	25.00
कोरबा (म० प्र०)	150.00	4.57	4.00

वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

3734. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 (31 दिसम्बर 1974 तक) के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों से कितने यात्रियों ने यात्रा की और वातानुकूलित सवारी डिब्बों की यात्री क्षमता कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों के दौरान उनसे कराये के रूप में कितनी राशि वसूल हुई ;

(ग) उक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान वातानुकूलित डिब्बों को बनाये रखने में रेलवे को कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस अवधि के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों का किराया कब, और कितना कितना बढ़ाया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : 1972–73 और 1973-74 में वातानुकूल सवारी डिब्बों में ढ़ोये गये यात्रियों की संख्या, उनकी कुल क्षमता और उनसे होने वाली आमदनी इस प्रकार है :—

वर्ष	ढ़ोये गये यात्रियों की संख्या (हजार में)		उपलब्ध क्षमता		यात्रियों की ढ़लाई से आमदनी	
	वातानुकूल दर्जा	वातानुकूल कुर्सीयान	वातानुकूल दर्जा (शायिकायें)	वातानुकूल कुर्सीयान (सीटें)	वातानुकूल दर्जा	वातानुकूल कुर्सीयान
1972–73	292	391	2,361	4,022	3,43,98	2,43,42
1973–74	299	460	2,411	4,022	4,45,07	3,16,78

1974–75 की दिसम्बर, 1974 तक की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चूंकि प्रत्येक दर्जे स्थानों पर किये जाने वाले व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते इसलिए दर्जेवार हानी या लाभ का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता ।

(घ) 1972–73 से 1974–75 तक वातानुकूल यात्रा के किराये में प्रत्येक तारीख के सामने किये गये उल्लेख के अनुसार संशोधन किया गया है :—

जिस तारीख से संशोधन किया गया है	संशोधन का ब्यौरा
15–4–1972	विभिन्न दूरियों के लिए वातानुकूल दर्जे का किराया 1 रुपये से लेकर 10 रु० तक और वातानुकूल कुर्सीयान का किराया 50 पैसे से लेकर 3 रु० तक बढ़ा दिया गया ।
1–4–1973	15–11–1971 से यात्री किराये पर लगाया गया पांच प्रतिशत कर समाप्त कर दिया गया और बुनियादी किराया (कर को छोड़कर) दस प्रतिशत बढ़ा दिया गया ।
1–4–1974	विभिन्न दूरियों के लिए वातानुकूल दर्जे का किराया 15 रुपये से लेकर 160 रुपये तक और वातानुकूल कुर्सीयान का किराया 1.90 रु० से लेकर 15.90 रुपये तक बढ़ा दिया गया ।
1–9–1974	वातानुकूल दर्जे और वातानुकूल कुर्सीयान के किराये में क्रमश: 25 और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी ।

बम्बई हाई में 18 और कुओं की खुदाई

3735. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई के तट-दूरक्षेत्र में 1976 तक 18 और कुएं खोदने की योजना बनाई है, जिससे 10 लाख टन खनिज तेल के वार्षिक उत्पादन का वर्तमान लक्ष्य बढ़कर दुगुना हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) बम्बई हाई में ज्ञात तेल संसाधन के विदोहन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग): बाम्बे हाई संरचना में अभी तक खोदे गये 3 कुओं में तेल युक्त संस्तर प्राप्त हुये हैं तथा उत्पादन परीक्षण में अच्छी मात्रा में तेल पाया गया है इस संरचना पर चौरी कूएं में इस समय व्यधन कार्य किया जा रहा है तथा संरचना के उत्पादन कार्य को स्थापित किया जाना है, अत: कुछ और कुएं खोदना आवश्यक होगा । इस बीच तेल एवं कृतिक गैस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन का एक मध्यवर्ती स्तर पर स्थापना के लिए कार्यवाई कर रहा है जिसमें वह प्रतिवर्ष एक मिलियन मी० टन की दर में बाम्बे हाई में तेल उत्पादन करने में समर्थ हो सके ।

अगरतल्ला से बेलोरिया रेलवे स्टेशन तक रेल लाईन

3736. **श्री डी० देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरास्ता, बंगलादेश, त्रिपुरा और कलकत्ता के बीच रेल सम्पर्क तोड़ने के लिए अगरतल्ला से वेलोरिया रेलवे स्टेशन (बंगला-देश में) तक रेल लाईन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त प्रस्ताव सम्भवतः कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ; और

(ग) क्या पहाड़मुरा (त्रिपुरा राज्य में) से वाला रेलवे स्टेशन (बंगला देश) तक रेल लाईन के निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता की जांच की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : बांगला देश के बेलोनिया स्टेशन और अखौरा को भारत के क्रमशः वेलोनिया वादन और अगरतल्ला से जोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय की लागत पर जो सर्वेक्षण प्रारम्भ किये गये थे वे लगभग पूरे होने वाले हैं । सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने तथा क्रमशः भारत के त्रिपुरा राज्य और बांगला देश के क्षेत्रों में बनायी जाने वाली सम्पर्क लाइनों पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय और बांगला देश सरकार के साथ बीतचीत करके परियोजना सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही निर्माण का काम आरम्भ किया जायेगा ।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा सकती है यदि इसे त्रिपुरा सरकार या बांगला देश सरकार द्वारा प्राजित किया जाये, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में लिखित संपर्क लाइनों के मामले में किया गया था ।

ब -राष्ट्रीय निगमों द्वारा तट-दूर छिद्रण कार्य

3737. **श्री के० एम० मधुकर**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बहु-राष्ट्रीय निगमों ने कार्य आरम्भ कर दिया है जिनके साथ सरकार ने तट-दूर छिद्रण सम्बन्धी करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये कार्य की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उक्त निगम अपना कार्य कब तक पूरा कर लेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) : कच्छ और बंगाल के अपतटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है । इस सर्वेक्षण ने संरचनात्मक सम्भावना निर्दिष्ट की है बंगाल अपतटीय क्षेत्र में विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जा रहा है इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी के अध्ययन के उपरान्त ही कुएं खोदे जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

ऐसा होने पर तथा उचित मोबाइल ड्रिलिंग प्लेटफार्म के उपलब्ध होने पर, यह आशा की जाती है कि अन्वेषणात्मक खुदाई आगामी मानसून के बाद आरम्भ की जायेगी और अधिक कार्य इन परिणामों पर निर्भर होगा ।

राज्यों के लिए हाई स्पीड डीज़ल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों का कोटा

3738. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **पैट्रोलियम और रासायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर हाई स्पीटड डीजल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में कोई कोटा निर्धारित किया है और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिये कृषि प्रयोजनों हेतु जो प्राथमिकता निर्धारित की है उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) मिट्टी के तेल को छोड़कर पैट्रोलियम पदार्थों का राज्यवार आधार पर आबंटन नहीं किया जाता।

(ख) राज्य सरकारों को यथेष्ट सप्लाई का आश्वासन दिया गया था ताकि कृषि क्षेत्र की डीजल तेल की आवश्यकता पूर्ण रूप सें पूरी की जाये ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि कमी की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो कोटा कार्ड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कृषकों को डीजल तेल की सप्लाई सुनिश्चित बनाए रखे तथा जमाखोरी एवं काले बाजारी जैसे कदाचार को रोके । अब तक डीजल की उपलब्धि सभी राज्यों में यथेष्ट रही है और तेल कम्पनियों से फुटकर बिक्री केन्द्रों को खुली बिक्री की जा रही है। कृषि क्षेत्र की मांग को कोटा कार्ड पर प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई की प्रणाली को बिनालागू किये स्वेच्छा से पूरा किया जा रहा है ।

जखपुरा-वांसपाणी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये धनराशि

3739. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के केनोजपुर जिले में जखपुरा-वाँसपाणी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये उक्त रेलवे लाइन का अंतिम सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् धनराशि दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो उड़ीसा राज्य के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित की गई नई रेलवे परियोजना के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वांसपाणी-जखपुरा रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण ईंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम चल रहा है और आशा है कि यह काम इस वर्ष के मध्य तक पूरा हो जायेगा । सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद ही निर्माण का काम प्रारम्भ किया जा सकेगा । 1975–76 के बजट में इसे काम के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) वासपाणी से जखपुरा तक रेल सम्पर्क के निर्माण का अनुमोदन कर दिया गया है। 1963-64 में किये गये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चलता है कि यह लाइन 176 किलोमीटर लम्बी होगी और अनुमान है कि इस पर लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। उस सर्वेक्षण में इस परियोजना से 3.3% वित्तीय प्रतिफल का हिसाब लगाया गया था। पांचवीं योजना की शेष अवधि में प्रारम्भ की जाने वाली अन्य योजनाओं के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तटदूर छिद्रण के लिए एक अर्ध प्लावनयोग्य जहाज किराये पर लेने का प्रस्ताव

3740. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री राम सहाय पांडे
श्री हरी सिंह :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार बम्बई हाई में तट-दूर छिद्रण के लिए अर्ध-प्लावनयोग्य जहाज किराये पर लेने हेतु नार्वे की एक फर्म के साथ ठेका करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माँझी) :

(क) जी, हां।

(ख) बम्बई हाई संरचना तथा अन्य स्थानों पर अन्वेषी प्रयासो को गहन करनेहेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक अर्ध अंत:समुद्रीचलित व्यधन एकक को वर्तमान में किराये पर लेने तथा तत्पश्चात् उसको खरीद सकने की छूट पर नार्वे की एक फर्म के साथ बात-चीत की है।

कच्चे तेल के टेंकों की मालवाही जहाज से टक्कर

3741. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री एम० एस० पुरती
: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई को 50,000 टन कच्चा तेल ले जा रहे एक बड़े विदेशी टैंकर के दो तेल टकों की गोदी के बाहरी क्षेत्र में एक मालवाही जहाज से टक्कर हो जाने से उनमें से तेल रिसना आरंभ हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई क्षति के सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) तक : इस सम्बन्ध में 6-3-1975 को जहाजरानी तथा परिवहन मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 2474 के उत्तर को देखा जाये।

औषधियों के स्वदेशी निर्माताओं को सहायता

3742. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को औषधियों के स्वदेशी निर्माताओं को औषध अनुसन्धान एकक स्थापित करने के लिये सहायता देने की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : औषधों के क्षेत्र में देशीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(i) औषधों के उत्पादन के लिए प्रोद्योगिकी के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जहां उद्योग अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा पर्याप्त विकसित देशीय जानकारी उपलब्ध है

(ii) आयात व्यापार नियन्त्रण नीति अप्रैल 74 मार्च 75 में उल्लिखित प्रोत्साहन इन संयंत्रो को दिए जाने है, जो अनुसन्धान तथा विकास उपस्कर, पुर्जो तथा मध्यवर्ती के आयात के रूप में, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग के साथ अपने अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/संयंत्रों को पंजीकृत कराते हैं ।

(iii) अनुसंधान औषध उत्पादन करने वाले संयंत्रों को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखकर उनको निम्नलिखित सलाहें दी गई हैं :–

(क) प्रति वर्ष 1 से 6 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ औद्योगिक संयंत्रों को पूर्ण रुप में योग तथा पेकिंग विकास प्रयोगलशालओं की स्थापना करने के लिए जिसमें विषय बैज्ञानिक दो तरफा अध्ययन उपलब्धता और प्रक्रिया सुधार उपायों की सुविधाएं हैं ;

(ख) संयंत्र जिसकी 6 करोड़ रुपये और उस से अधिक बिक्री के, वे उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अपनी सुविधाएं स्थापित करने में समर्थ होने चाहिए ।

(ग) बड़े संयंत्र जिनकी 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक बिक्री है उनकी प्रगति तथा नवीनत जैसे कार्यक्रम के लिए पूरी सुविधाओं सहित अपने पूर्ण अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने चाहिए ।

(घ) क्षेत्र जहां और अधिक अनुसंधान को शीघ्र आवश्यकता की जांच करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी विभागों और उद्योग से प्रतिक्रियानिधि है सहित एक संयुक्त कार्य जांच समिति स्थापित की गई है । ये अनुसन्धान हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं उद्योग पर सरकार द्वारा समिति गठित की गई है और अन्य बातों के साथ साथ समिति के विचारार्थ विषकर्ण निकाले गये थ । सरकारी क्षेत्र मूल औषधों और मूत्र रोगों के निर्माण में और अनुसंधान तथा विकास कार्य में नेतृत्व करे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ।

औषध उद्योग का तीव्रगति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफारिश करना । समिति अपनी सिफारिश करते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव संतुलित है ।

उद्योग में नवीन प्रोद्योगिकी लाने के प्रबन्धों की जांच करना और उसके लिए सिफारिश करना ।

बंडेल-कटवा लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव रद्द किया जाना

3743. **श्री सरोज मुखर्जीः** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्डेल-कटवा लाईन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : पूर्व रेलवे के बंडेल-कटवा खंड के बिजलीकरण के लिए प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ है कि कर्षण के वर्तमान तरीके से भी इतनी पर्याप्त क्षमता मौजूद है जो निकट भविष्य में यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए काफी है । यह मालूम हुआ है कि इस खंड के बिजलीकरण में काफी पूंजी लग जायेगी, जिसका वित्तीय औचित्य नहीं है । इसलिए, फिलहाल, बंडेल-कटवा खंड के बिजलीकरण का कोई विचार नहीं है ।

साबुनो के अन्तराष्ट्रीय ब्राडो नामों को समाप्त करने के बारे में अभ्यावेदना

3744. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाईफब्वाय , लक्स, रैक्सोना, सर्फ, इरास्मिक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों को समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि भारतीय मानक संस्थान क्वालिटी निशान लगाना आरम्भ किया जाये ताकि उपरोक्त ब्रांड नामों के नाम पर मूनाफाखोरी न हो सके ;

(ग) क्या जनता नहाने के साबुन के लिये कछ क्षमता का आरक्षण करना निष्फल सिद्ध हुआ है ।

(घ) क्या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नामक एक साबुन निर्माता कंपनी ने जानबूझकर कुछ समय से लाईफवाय जैसे साबुनों की क्वालिटी को कम कर रखा है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : जी हां, साबुनों तथा संश्लिष्ट प्रक्षालकों के अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम समाप्त करने तथा भारतीय मानक संस्थान का क्वालिटी निशान चालू करने के संबंध में एक मानवीय सदस्य से एक सुझाव प्राप्त हुआ था । जबकि लाइफव्वाय, लक्स, रिन, रिन्सों, सर्फ, सनलाइट ताजब्रसरल, महारानी तथा वोटैक्स के ब्रांड नामों पर मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का स्थायित्व है, मैसर्स यूनी लीवर लिमिटेड द्वारा रेक्सेना, पीयर्स तथा लिरिल के ब्रांड नामों का इस्तेमाल मैसर्स हिन्दुस्तान द्वारा कि जाने की इजाजत दी गई है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज पिछले कई वर्षों से उपर्युक्त ब्रांड नामों में साबुनों का निर्माण कर रहा हैं और उपर्युक्त ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने के लिये विदेशी मुख्य कम्पनियों की कोई रायल्टी

अथवा किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जाता है। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर साबुनों के लिये इरास्मिक.के ब्रांड नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण योजना स्वैच्छिक है और इसे अपनाना साबुन के निर्माताओं की इच्छा पर निर्भर है ।

(ग) जी हां। नहाने के जनता नामक साबुन की क्षमता का कोई आरक्षण नहीं है। साथ ही साथ सितम्बर, 1974 में साबुनों की सभी किस्मों से अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटाये जाने से समूचे संगठित क्षेत्र के निर्माताओं से साबुनों के उत्पादन को इष्टतम स्तर तक बढ़ाये जाने गत तीन वर्षों में सब से अधिक और नहाने के जनता नामक साबुन का उत्पादन करने की अपेक्षा था प्रारंभक में जनता साबुन का उत्पादन 11,000 मीटरी टन तक किया जाना था और यदि मांग बढ़ जाती है इसे बढ़ा कर 17,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक किया जाना है। नहाने के जनता साबुन के उत्पादन का रूख अभी तक संतोषजनक रहा है ।

(घ) और (ङ) लाइफब्वाय साबुन में चरबीदार पदार्थ का कुल अंश जुलाई-अगस्त 1974 में घटकर 57 % रह गया था लेकिन इस के बाद इसे सामान्य स्तर तक किया गया है और इस लाइफब्वाय साबुन 61–62% के टी एफ एम के साथ बनाया जाता है और यह शुद्ध साबुन है।

असम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के समक्ष ड्रिल पाइपों की कमी की समस्या

3745. **श्री राम सहाय पांडे**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री रोबिन ककोटी
: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असम में ड्रिल पाइपों और केहिंगों की कमी के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के काम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) : जी नहीं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इन मदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है ।

कुछ औषध फर्मों द्वारा बिना मंजूरी के फार्मूलेशनों का निर्माण

3746. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होइस्ट, एस० के0 और ई० नर्क जैसी कुछ कम्पनियां पिछल तीन वर्षों के दौरान सरकार से अनुमति लिये बिना अनेक फार्मूलेशनों का उत्पादन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो फर्म-वार इन औषधियों के नाम क्या हैं और उद्योग (विकास तथा अनुसन्धान) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इस आशय की शिकायतें लाई गई हैं कि अधिकारीगण बिना कोई निर्णय लिये ही फाइलों को दबाये बैठे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित करेगी और फर्मों तथा उनकी मदद करने वाल अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

पैट्रोलियम और रासयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) : सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मैसर्स एस के एफ, एमपीसिलीन पर आधारित एक सूत्रयोग एसकेसिलीन का अवैध उत्पादन और विक्रय कर रहे थे । राज्य सरकार से इस मामले में जांच करने के लिये कहा गया और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया है कि मैसर्स हेक्स्ट फार्मास्यूटीकल्स एक छोटी कम्पनी द्वारा उत्पादित एम पी सिलीन की बिक्री कर रहे हैं । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि हैक्स्ट फार्मस्यूटीकल्स लि० और मैसर्स इन्डो जर्मन अलकलाइडस बम्बई (जो लघु पैमाने का एक निर्माता एकक हैं) के बीच 24 अगस्त, 1972 के समझौते के अनुसार पहले ने परवर्त्ती को उसके द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने के अधिकार के बदले में कुछ उत्पादों (औषधियों का विवरण नहीं दिया गया है) के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी उपलब्ध की है । यह ज्ञात हुआ है कि मैसर्स हैक्स्ट मैसर्स इन्डो जर्मन अलकलाइड्स द्वारा निर्मित एमपीसीलीन की "अलवरसिलीन' के ट्रेड नाम बिक्री कर रहा है । उपरोक्त समझौते के उपलक्षण जो जान्चधीन हैं ।

क्या ई मर्क (ई) लि० किसी सूत्रयोग का बिना लाईसेंस अनुमोदन प्राप्त किये निर्माण कर रहे हैं इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल में मिलावट

3747. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल में मिलावट करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गड़वा रेलवे स्टेशन के सहायक इंजीनियर के विरुध भ्रष्टाचार के आरोप

3748. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक सतर्कता दल गड़वा रेलवे स्टेशन में, गड़वा (निर्माण विभाग) रेलवे के सहायक इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करने के लिये भेजा गया था तथा उस सहायक इंजीनियर को उक्त आरोपों में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : गड़वा रेलवे स्टेशन के सहायक इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों के बारे में इस समय पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है और आशा है कि वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी ।

केरल सोप्स एण्ड आयल लिमिटेड को मटन की चर्बी का आबंटन

3749. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सोप्स एण्ड आयल लिमिटेड को 1,000 टन मटन की चर्बी विशेष रूप से आबंटित करने का केरल सरकार का अनुरोध भारत सरकार के पास गत डेढ़ वर्षों से विचाराधीन पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सितम्बर 1974 में औपचारिक मूल नियंत्रण को हटाते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया था कि संगठित क्षेत्र में साबुनों के उत्पादन के लिये मटन टैलों आयात बन्द किया जाए । सितम्बर, 1974 से पूर्व केरल सोप्स एण्ड आयल लिमिटेड को मटन टैलों का आबंटन करने के लिये केरल सरकार के आवेदन पत्र पर कम्पनी की स्थापित क्षमता तथा मटन टैलों की कुछ उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया गया था । तथापि मैसर्स केरल सोप्स एण्ड आयल्स लि० को विशेष रूप से कुछ मटन टैलों की सप्लाई करने की सम्भावनाओं की इस समय जांच की जा रही है ।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिए वैकल्पिक योजना

3750. **श्री एम० एम० जोजफ**
श्री वरके जार्ज } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कलकत्ता भूमिगत रेलवे पर लागत में अनुमानत: 70 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होकर, उसकी लागत 140 करोड़ रुपये से बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गई है ;

(ख) क्या देश की मूल्य वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण निकट भविष्य में इसकी वर्तमान लागत में शतप्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार अपने निर्माण कार्यक्रम के लिये एक वैकल्पिक योजना बनाने के बारे में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर रही है जो कि वर्तमान महंगी योजना से सस्ती सिद्ध हो, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माण की अवधि में मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि हो सकती है, उसका पुर्वानूमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) कोई कम खर्चीला हल नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा आमता बड़ी लाइन की निर्माण लागत

3751. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हावड़ा-आमता बड़ी लाइन की समग्र निर्माण लागत को वहन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त निर्माण—कार्य कब तक शुरु होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) : अब यह विनिश्चय किया गया है कि हावड़ा-आमता लाइन के लिये अपेक्षित केवल जमीन की लागत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहन की जायेंगी तथा शेष लागत रेलों द्वारा वहन की जायेंगी । राज्य सरकार से कहा गया है कि जमीन अधिग्रहीत करके रेलवे को हस्तांतरित कर दे ।

राज्य सरकार द्वारा जमीन ज्यों ही उपलब्ध करा दी जायेगी, निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

Nuisance Created by Commuters in Jayanti Janta Train from Delhi to Ahmedabad

3752. **Shri M.C. Daga :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether commuters for Gurgaon, Rewari and other stations board all the compartments of the Jayanti Janta train which leaves Delhi for Ahmedabad at about 7·00 P.M. and they force their entry into reserved compartments and sleepers and create all sorts of nuisance and there is nobody to check them ;

(b) whether they cause all sorts of trouble to the passengers ;

(c) whether the conductors dare not say anything in such compartments and if they say something, they are beaten up; and

(d) whether the Railways propose to make efforts to remedy this situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b): Short distance commuters enter at the last moment into sleeper coaches and reserved compartments and sometimes it becomes difficult for the railway staff to prevent their entry which cause inconvenience to passengers.

(c) No incident of beating of railway staff has been reported. However, it is a fact that these commuters do not pay attention to the requests of TTEs.

(d) The Railways have intensified surprise checks to ensure that reserved coaches are not occupied by unauthorised passengers.

माल डिब्बों में तोड़फोड़ करना

3753. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों में प्रतिदिन तोड़-फोड़ की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस सम्बन्ध में वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सरकार को इस अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में कितना धन देना पड़ा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (नवम्बर, 1974 तक) के दौरान सभी कारणों से (जिनमें माल खो जाने चोरी हो जाने और उसकी उठाईगीरी भी शामिल है) क्षतिपूर्ति के जितने दावे प्राप्त हुए उनकी संख्या तथा बुक किये गये माल के खो जाने, चोरी होने और उनकी उठाईगीरी के मामले में भूगतान की गई क्षतिपूर्ति की रकम नीचे दिखायी गयी है :—

बर्ष	क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या (प्राप्त सभी कारणों के लिये)	खो जाने, चोरी होने और उठाईगीरी के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम
		(करोड़ रुपयों में)
1972-73	6,76,917	9.13
1973-74	6,27,113	9.84
1974-75 (नवम्बर, 74 तक)	4,40,588	6.85

खो जाने, चोरी होने और उठाईगीरी के कारण जितने दावे प्राप्त हुए उनके आंकड़े अलग उपलब्ध नहीं हैं ।

भुसावल-इटारसी सेक्शन (मध्य रेलवे) का विद्युतिकरण

3754. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावल-इटारसी सैक्शन का विद्युतिकरण कब प्रारम्भ होगा और कार्य कब पूरा किया जायेगा ; और

(ख) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : भुसावल-इटारसी खंड के बिजलीकरण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास को मिलाने वाले मुख्य मार्गों का, जिनमें मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली बम्बई मुख्य मार्ग भी शामिल हैं, बिजलीकरण करने की योजना है। बम्बई की ओर से बम्बई वी०टी० से भुसावल तक बिजलीकरण हो चुका है और दिल्ली की ओर से दिल्ली बीना खंड के बिजलीकरण के लिये लागत एवं व्यावहारिकता अध्ययन किया गया है और इस परियोजना की अर्थ-क्षमता का पता लगाने के लिये मध्य रेलवे द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है। परियोजना की अर्थ-क्षमता और धन तथा साधनों की उपलब्धता को देखते हुए इस योजना पर अमल किया जायेगा ।

जहां तक भुसावल-इटारसी खंड सहित बीना और भुसावल के बीच के बाकि खंड का संबंध है, दिल्ली-बीना खंड के बिजलीकरण को कार्यान्वित करने की मंजूरी मिलने के बाद ही व्यावहारिकता सर्वेक्षण का आदेश दिया जायेगा ।

कासरगौड में चन्द्रगिरि नदी पर रेलवे पुल पर पैदल पथ

3755. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कासरगौड में चन्द्रगिरी नदी पर बने रेलवे पुल के साथ-साथ पैदल पथ बनाये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चन्द्रगिरी रेलवे पुल पर पैदल-पथ की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गयी है और उसे व्यावहारिक पाया गया है । इसकी अनुमानित लागत 5 लाख रुपये होगी और निर्माण तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब स्थानीय प्राधिकारी इसकी समूची लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण प्रभार वहन करने की सहमति दें । कासरगौड नगर निगम के अध्यक्ष को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

विचार जानने के लिये कम्पनियों को भेजा गया कम्पनी दान विधेयक

3756. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके मंत्रालय ने अन्तिम रूप देने से पहले कम्पनी दान विधेयक विचार जानने के लिये भेजा था;

(ख) किन-किन कम्पनियों ने अब तक अपने विचार भेज दिये हैं तथा किन कम्पनियों ने अभी नहीं भेजे;

(ग) क्या कुछ कम्पनियों की ओर से सरकार को यह शिकायतें मिली हैं कि उनके मंत्रालय को बहुत पहले भेजे गये सुझावों की उपेक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) सरकार द्वारा अभी इस विषय पर किसी विधेयक की संरचना नहीं की गई है, अतः इन परिस्थितियों में इसे किसी को भेजे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) से (घ) उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे अधिकारियों की श्रेणी एक की सेवा की वरीयता निर्धारित करना

3757. **श्रीमती मुकूल बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय इस बात से अवगत है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की वर्ष 1972 की लिखित याचिका संख्या 489 पर 11 दिसम्बर, 1974 को दिये गये अपने निर्णय में यह निर्धारित किया था कि श्रेणी दो के अधिकारियों को श्रेणी एक वरिष्ठ खंडाधिकारी ग्रेड पद पर पदोन्नति करते समय उन्हें पदोन्नत की तिथि से वरीयता देनी चाहिये न कि उन्हें स्थायी करने की तिथि से दी जानी चाहिए जिसका कि केन्द्रीय सरकार अभी तक अनुसरण करती आ रही थी;

(ख) क्या भारतीय रेलवे विभाग में श्रेणी दो के अधिकारियों को प्रथम श्रेणी की सेवा में उनकी वरीयता का निर्धारण करते समय प्रथम श्रेणी सेवा से भिन्न सेवा को भी अधिक से अधिक पांच वर्ष तक हिसाब में लेने का अधिकार है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने श्रेणी दो के अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करते समय, जिनके मामले तदनुसार वरीयता निर्धारित करने हेतु निर्णय के लिये विचाराधीन पड़े हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा भाग (क) में निर्धारित सिद्धांत को क्रियान्वित किया है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय 1972 की रिट याचिका सं० 489 और उससे सम्बद्ध सिविल अपीलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अवगत है।

(ख) श्रेणी I सेवा (कनिष्ठ वेतनमान में) वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए भारतीय रेलों में श्रेणी II के अधिकारी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की सेवा का अधिलाभ पाने के हकदार हैं।

(ग) जिन सेवाओं में श्रेणी-2 के अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित रहता है, उनमें वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। अन्य मामलों में ऐसा करने का प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न कारखानों में उर्वरकों का उत्पादन

3758. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे कारखानों में 31 दिसम्बर 1974 को पृथक-पृथक किस प्रकार के तथा किन ब्रांडों नामों के विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन हुआ ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रत्येक किस्म के कितने-कितने उर्वरक का उत्पादन किया गया ; और

(ग) सम्पूर्ण उर्वरक उद्योग में आज तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (के० आर० गणेश) (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०–9216/75]

(ख) चौथी योजना (1973–74) के अन्त तक कुल निवेश लगभग 815 करोड़ रुपये हुआ था ।

बंगाल की खाड़ी में दो बिदेशी कम्पनियों द्वारा भूकपीय सर्वेक्षण का पूरा करना

3759. **श्री आर० पी० दास :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बंगलादेश की पैट्रो-बंगला के मार्ग निर्देशन में बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट से दूर 30,000 वर्गमील के क्षेत्र से अधिक के आबंटित किये गये खंडों में अमरीका की यूनाइटेड आयल कम्पनी और युगोस्लाविया की ईनानेफ्टाप्लिन द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण को पहले ही पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) क्या बंगाल की खाड़ी के समुद्र की तलहटी में हमारे देश और बंगलादेश के खंडों के बीच कोई सीमांत क्षेत्र है ?

पैट्रोलियन और रसायन मंत्रालग में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) यह सूचना है कि बंगलादेश की सरकार ने कतिपय विदेशी पार्टियों के साथ अपतटीय अन्वेषण ठेके किए हैं। दोनों देशों द्वारा भारत और बंगला देश के बीच बंगाल की खाड़ी के बारे में समुद्रीय सीमांकन सम्बधी विचार-विमर्श, प्रगति पर है ।

राजस्थान में राक फास्फेट का जमा होना

3760. **श्री बनमाली बाबू : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर और राजस्थान के अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में राक फास्फेट जमा हो गई है ;

(ख) क्या राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर भारी मात्रा में तैयार राक फास्फेट भी अनुपयुक्त पड़ी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस राक फास्फेट का निपटारा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश):(क) से (ग) राजस्थान के झामरकोत्रा क्षेत्र में कुछ देशीय राक के जमा होने की रिपोर्ट मिली है । इसका प्रमुख कारण, पूर्वानुमानों से उत्पादन का अधिक होना और उर्वरक निर्माताओं द्वारा देशी राक को प्रयोग में लाने में अनुभव की गई तकनीकी कठिनाइयां है । उपलब्ध देशीय राक के अधिक से अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

मेघालय में चाइनामेन तेल शोधन के लिये एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3761. श्री **टुना उराव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में चाइनामेन तेल के शोधन के लिये एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है जिससे उस राज्य में औषध और भेषज उद्योग को सहायतया मिलेगी ; और

(ख) यदि हां तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश):(क) और (ख) मेघालय, सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मेघालय सरकार के एक उपक्रम-मेघालय, औद्योगिक विकास निगम ने मैसर्स कैमफोर एण्ड अलाईड प्राडक्टस लि० बम्बई के साथ दाल चीनी के पत्ते का तेल तथा इसके कृत्रिम पदार्थों के उत्पादन के लिये एक करार किया है और एक नई कम्पनी मेघालय आवश्यक तेल तथा रसायन लि० की स्थापना की है । प्रायोजना की पूंजी गत अनुमानति लागत 54 लाख रुपये है । योजना में दाल चीनी पत्तों के संशोधन के लिये प्राधीय क्षेत्रों में "क्रूड" केन्द्रों के स्थापना की व्यवस्था है । केन्द्रीय एकक शिलांग में स्थिल होगा ।

निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने के आरोप में न्यायालयों में विचाराधीन निर्वाचन अर्जियां

3762. **श्री एम वी० कृष्णप्पा** : क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने के आरोप विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन निर्वाचन अर्जियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे निर्वाचित सदस्यों का दलवार ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध निर्वाचन अर्जियां विचाराधीन हैं ?

विधी न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) लोक प्रतिनिधिव अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन अर्जियां सीधे संबंधित उच्च न्यायालयों में फाइल की जाती हैं, इसलिए सरकार ऐसी अर्जियों की, जिनमें अधिक व्यय करने का आरोप लगाया गया है, ठीक-ठीक संख्या बताने की स्थिति में नहीं है ।

(ख) 1–3–1975 को लम्बित निर्वाचन अर्जियों की दलवार स्थिति निम्नानुसार है :

1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	57
2. कांग्रेस (संगठन)	8
3. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	3
4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	5
5. भारतीय जनसंघ	20
6. स्वतंत्र	1
7. सोशलिस्ट पार्टी	4
8. भारतीय क्रान्ति दल	9
9. निर्दलीय तथा अन्य	21
कुल	128

Average Expenditure Incurred on a Constituency in a big City

*3763. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the average expenditure incurred on a constituency in a big city like Bombay during elections in 1971 by the successful candidates, unsuccessful candidates, Government, various political parties and others exceeded the expenditure incurred during the elections in 1967 ; and

(b) if so, the extent of increase in each case ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) The average expenditure incurred by the elected candidates in the general election to the Lok Sabha held in 1971 from Parliamentary constituencies falling within the urban areas of Bombay, Madras, Calcutta and Delhi is Rs. 25,144·11, 18,508·52, 11,956·63 and 5,829·74 respectively. These figures were worked out on the basis of the election returns furnished by elected candidates.

Such expenditure of other contesting candidates who filed their account of election expenses, in the above election, from the Parliamentary constituencies falling within the urban areas of Bombay, Madras, Calcutta and Delhi is Rs. 7,210·08, 11,792·22, 3,746·26 and 3,458·94 respectively.

The average expenditure incurred by the Government in election to the Lok Sabha held in 1971, for the Parliamentary constituencies falling within the urban areas of the cities of Bombay and Delhi was Rs. 1,68,790·52 and Rs. 44,216·83 respectively. In regard to Madras and Calcutta, the figure is not available separately as elections to the House of the People and the Legislative Assemblies of Tamil Nadu and West Bengal were held in 1971 simultaneously with the general election to the Lok Sabha.

The averge expenditure incurred by the elected candidates as well as other contesting candidates in the general election to the Lok Sabha held in 1967 is not available except such expenditure incurred by them from Parliamentary constituencies falling within the urban area of Delhi, as the relevant files containing the account of election expenses filed by the contesting candidates have been weeded out and destroyed. In the case of Parliamentary constituencies falling within the urban area of Delhi, the average expenditure incurred by the elected candidate per constituency is Rs. 4,984·39 and by other contesting candidates who had filed their account of election expenses is Rs. 3,161·38.

The exenditure incurred by the Government for election in the Parliamentary constituencies falling within the urban areas of the four big cities mentioned above in 1967 is not available as the elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies were held simultaneously in 1967.

Government has no information about the expenditure incurred by the political parties and persons other than contesting candidates in elections to the Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of States.

The expenditure incurred by political parties and others, however, does not come within the ambit of the election law.

(b) It will be seen from the above that the average expenditure incurred by the elected candidates in constituencies falling within the urban areas of Delhi in 1971 was Rs. 845·35 more than that incurred in 1967; in the case of other contesting candidates, this was 297·56 more in 1971 as compared to 1967.

खुर्दा रोड डिवीजन में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

3764. **श्री चीतामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में इस समय बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक कितने हैं ;

(ख) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये इन फाटकों में से कितने और कौन-कौन से फाटकों पर पांचवीं योजना के दौरान चौकीदार नियुक्त किये जायेंगे ; और

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में उजलागोपी नाथपुर के फाटक पर वहां होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं की रोकथान के लिये द्वार बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बिना चौकीदार वाले 'ग' श्रेणी के 306 मपार।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से बिना चौकीदार वाले निम्नलिखित 7 समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है :–

(1) भुवनेश्वर और मंचेश्वर के बीच किलोमीटर 433/9–10 पर

(2) भुवनेश्वर और रेतंग के बीच किलोमीटर 441/2 पर

(3) गोलन्थ और ब्रह्मपुर के बीच किलोमीटर 605/7–8 पर

(4) घंटीकल और नरज के बीच किलोमीटर 438/12 पर

(5) तापंग और काईपदर रोड के बीच किलोमीटर 467/6–7 पर

(6) तापंग और काईपदर रोड के बीच किलोमीटर 472/13–14 पर

(7) मेरामांडोली और तालबेर के बीच किलोमीटर 479/1 पर

(ग) संवतः आशय, कालूपनाघाट और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच किलोमीटर 490/1–2 पर स्थित बिना चौकीदार वाले समपार पर चौकीदार नीयुक्त करने से है। यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है : –

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान इस समपार पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इसके अलावा, यातायात की वर्तमान मात्रा को देखते हुए इस समपार पर चौकीदार नियुक्त करने का औचित्य नहीं है।

सोडियम एटिमोनी ग्लूकोनेट इंजेक्शन का निर्माण

3765. **श्री एन० ई० होरो :श्री एम० एस० पुरती :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चर्स एसोसयिशन के सदस्य फर्मों को अनुरोध किया है कि वे बिहार में 'काला-,अजार' की महामारी की खबरों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सोडियम ऐंटिमोनी ग्लूकोनेट इंजेक्शन का निर्माण करें।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस इंजेक्शन का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है क्योंकि अन्य राज्यों में इस बिमारी के फैलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तक सोडियम एन्टीमोनी ग्लेंकोनेट एक सुरमा मिश्रण है जिसे काला आजार के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। बिहार में काला आजार फैलने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की गई है और उसके उपचार

संबंधी औषधों को भेजने के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त की जा रही हैं। इसलिए 6 जनवरी 1975 को भारतीय औषध निर्माता बम्बई तथा अखिल भारतीय निर्माता संगठन बम्बई एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी उन सदस्य फर्मों जिनके पास सोडियम एन्टीमोनी ग्लूकोनेट के निर्माण की क्षमता है, को इस औषध की प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करना आरंभ कर देना चाहिए ।

मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता, द्वारा 'स्टीबानाडक्स' के नाम से काला-आजार के लिए एक तदनुरूपी औषध का विपणन किया जा रहा था । लेकिन प्राथमिक कठिनाइयों के कारण, इस संघ ने अपने निर्माण कार्यों को निलंबित कर दिया है । इसी दौरान राज्य सरकार को सलहा दी गई है कि वे उडने वाले ? रेत कीटों द्वारा इस बिमारी के फैलाव को रोकने के लिए, प्रभावित नेत्रों में कीटनाशी औषध का छिड़काव करें ? इस बीमारी के उपचार हेतु, उपयुक्त औषधों की सप्लाई में सुधार करने के उपाय किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय संस्थान संक्रामक रोग दिल्ली द्वारा इस बीमारी के विभिन्न पहलुओं का गहन क्षेत्रीय अध्ययन करने तथा इसकी रोक थाम के बारे में उपयुक्त सुझाव देने की कार्यवाही की जा रही है ।

काला आजार के उपचार हेतु, नई एन्टीवायोटिकों तथा औषधों के प्रयोग की संभावनाओं की जानकारी के बारे में, अनुसंधान अध्ययनों को गहन किया जा रहा है, हाल ही में विदेशों में एम्फोटैरासीन–बी, जो एन्टीबायोटिक है, का प्रयोग किया गया है ।

उत्तर रेलवे में माल चढ़ाने का कार्य

3766. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तैर रेलवे ने गत 6 महीनों में माल चढ़ाने के कार्य में कोई प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर रेलवे ने फरवरी, 1975 को समाप्त होने वाली छमाही में, पिछले वर्ष के इन्हीं 6 महीनों की तुलना में, प्रांम्भिक यातायात के बड़ी लाइन के 27,441 और मीटर लाइन के 9,418 माल डिब्बों का अधिक लदान किया ।

Outstanding amount of Levy due to Railways by Refreshment and other Stall Owners

3768. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the outstanding amount of levy due to Railways from the refreshment and other stall owners; and

(b) the reasons for its non-realisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The outstanding amount of levy due to Railways from the Refreshment Room and other stall contractors on Indian Railways is Rs. 21,18,570·65.

(b) Non-realisation of dues is mainly on account of representations from contractors for reduction in the levy and on account of cases being subjudice due to disputes.

फगुनागांव और पतियादाह स्टेशन के बीच मालगाड़ियों की टक्कर

4769. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जनवरी, 1975 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के फगुनागांव और पतियादाह स्टेशन के बीच दो मालगाड़ियों के मध्य टक्कर हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घना के कारण कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । यह टक्कर पातिलादाह और फागुनागांव स्टेशनों के बीच हुई थी ।.

(ख) रेल सम्पत्ति को अनुमानतः लगभग 10,000 रुपये की क्षति पहुंची ।

न्यायिक सुधार की आवश्यकता

3770. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर, 1974 के दौरान एक निर्णय में देश में विधिक न्याय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिय है ;

(ख).यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतित्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने 1974 की सिविल अपील सं० 1430 और 1431 में अपने निर्णय में, जो 3 दिसम्बर, 1974 को दिया गया था, न्यायालयों में बहुत विस्तार के साथ की जाने वाली बहसों को निरुत्साहित करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि कुछ अन्य देशों में प्रचलित संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण और थोड़े से शब्दों में पक्षसार (ब्रीफ) प्रस्तुत करने का तरीका और अन्य सुधार शायद कुछ उपांतरों के साथ, हमारी न्याय व्यवस्था की विशिष्टता के अनुकूल हो सकते हैं ।

(ग) सरकार ने अभी तक इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया है ।

कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा 'बल्क' औषधियों का निर्माण

3771. **श्री खेम चन्द भाई चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जान वाइथ, में एण्ड बेकर, रोशे, फाइजर तथा साहनामाइड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किन 'बल्क' औषधियों का निर्माण किया गया ; यदि आयात किये गये हों तो इनमे से प्रत्येक का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क्या है और इन फर्मों के लिए क्या मूल्य स्वीकार किये गये हैं ;

(ख) वह आयातित तथा स्वदेशी कच्चा माल कौन सा है जिसका प्रत्येक किलोग्राम 'बल्क' औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है तथा किसे स्वीकृति के अन्तर्गत उनका आयात किया गया है ;

(ग) इन 'बल्क' औषधियों से बनाये गये फाम्युलेशनों की कीमतें क्या है; तथा क्या उनको मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी थी ; यदि हां तो स्वीकृत मूल्य क्या हैं तथा स्वीकृति की संख्या तथा तारीख क्या हैं; और

(घ) इन 'बल्क' औषधियों की एक एक या दो प्रतियोगी मदें कौन सी हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं तथा उनका बिक्री मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : मैसर्स मे एण्ड वेकर लि० मैसर्स फिजर लि० और मैसर्स सि नमिड इडिण्या लि० के बारे में उपलब्ध सूचना वाला विवरण पत्र संख्या है रोशेप्रो, करा सि० के बारे में उसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी मैसर्स झाहनब्योथ ब्रदर्स कोई प्रपुंज औषध भी बनाते हैं । (ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी०-9217/75)

(ग) इन कंपनियों द्वारा निर्माण की गई इन प्रपुंज औषध पर आधारित सूत्र योग इस प्रकार के सूत्रयोगों के लिए अनुमोदित मूल्यों की अनुमति सं० और ता० से संबन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिये अपेक्षित निधि

3772. **श्री समर मुखर्जी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि निधि के अभाव के कारण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां तो अपेक्षित निधि की मांग को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बिजली की कमी आदि से उत्पन्न बाधाओं के भीतर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता का इस समय पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है । लेकिन- योजना निधि सीमित हो गयी है इसलिए आगामी वित्तीय वर्ष 1975–76 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से इसके क्रियाकलापों में परिवर्तन करने के लिए कदम उटाये जा रहे हैं :

र-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में उच्च अधिकारियों की उपलब्धियों और परिब्धियों की अधिकतम सीमा

3773. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के उच्च अधिकारियों की उपलब्धियों और परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा लगाने का प्रश्न मंत्रालय और संसद–सदस्यों एवं आम जनता के बीच हुए पत्र-व्यवहार का विषय रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक अधिकतम सीमाएं या मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में सुझायी गई अधिकतम सीमाएं क्या हैं, और

(ग) क्या देश में वेतन/मजूरी ढांचे की विषमताओं की रोकथाम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों पर पुनर्विचार करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) :
(क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) शुद्ध लाभ पर ग्यारह प्रतिशत तक की सीमा तक प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर अधिकतम सांविधिक सीमा कम्पनी अधिनियम की धारा 198(1) के अन्तर्गत उल्लिखित है । इस अधिकतम सीमा में वह पांच प्रतिशत तक का भाग भी सम्मिलित है, जो एक कार्यकारी निदेशक अथवा प्रबन्धक को दिया जा सके । जहां इस प्रकार के कार्यकारी निदेशक दो या अधिक हों वहां उनका पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 309 (3) के अन्तर्गत दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । प्रशासनिक मार्ग-दर्शक नियम, जिनमें प्रबन्धकीय पारिश्रमिक को सांविधिक अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विनियमित किया गया था, नवम्लर 1969 में बनाये गये थे, एवं 2 दिसम्बर, 1969 को लोक-सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए थे ।

वे मार्गदर्शक नियम जो उन कम्पनियों के बारे में निर्मित किये गये थे, जो पर्याप्त लाभ न कमा सकने के कारण, सांविधक अधिकतम सीमा के अन्तर्गत पारिश्रमिक नहीं दे सकती थीं, 1972 में अभिस्वीकृत किये गये थे, एवं 1 सितम्बर, 1972 को लोक-सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए थे । प्रबन्धकीय कार्मिकों को दिये जा सकने वाली परिलब्धियों के ब्यौरेयुक्त सितम्बर 1974 में प्रेषित स्पष्टकारी परिपत्र संख्या 15/74 की प्रति संलग्न है [ग्रन्थालम में रखी गई । देखिए सख्या एल० टी०–9218/75] ।

(ग) प्रबन्धकीय कार्मिकों के नियुक्ति की बाबत, सरकार के अनुमोदन की अपेक्षायुक्त प्रस्तावों की परीक्षा करते समय आय में असमताओं के निष्कासन सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 क क के अन्तर्गत उलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है ।

कपड़ा और सीमेंट उद्योग में माल डिब्बों की कमी

3774. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि माल डिब्बों की कमी के कारण देश में कपड़ा तथा सीमेन्ट उद्योग पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): कपड़ा तथा सीमन्ट उद्योगों को माल डिब्बों की सप्लाई सामान्यतः संतोषजनक रही है ।

वर्तमान न्यायिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विशेष समिति

3775. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा वर्तमान न्यायिक प्रक्रियाओं तथा विधियों का अध्ययन करने के लिए तथा सुधार के लिये परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गयी थी जिस में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीनश तथा विधि 'पंडित' भी शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, उसके विचारार्थ विषय क्या हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह छापी गई है और जनता को उपलब्ध कराई है गई ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां ।

(ख) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम यथा निम्नलिखित है :—

अध्यक्ष :—

(1) न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति (16—7—1973 तक) ।

(2) न्यायमूर्ति श्री बी० जे० दीवान, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति (17—7—1973 से 31—1—1974 तक)

सदस्य :—

(1) न्यायमूर्ति श्री वी० जे० दीवान, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (16—7—73 तक) ।

(2) न्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(3) श्री जे० एम० ठाकोर, महाधिवक्ता, गुजरात राज्य ।

(4) श्री एम० सी० त्रिवेदी, रजिस्ट्रार, गुजरात उच्च न्यायालय (जो कि वह उस समय थे) ।

(5) सचिव गुजरात सरकार, विधि विभाग ।

(6) श्री डी० सी० त्रिवेदी, अधिवक्ता ।

(7) श्री के० एच० काजी, अधिवक्ता ।

(8) दिव्यकांत नानावती, अधिवक्ता ।

(9) श्री एस० ए० सुधालकर अधिवक्ता ।

समिति के विचर र्थ वियय निम्नलिखत थे :—

(1) उन परिस्थितियों और स्थितियों का, यदि कोई हों, जो राज्य में न्याय-प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, पता लगाना और न्याय प्रशासन की प्रणाली की अधिक दक्ष और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से उपचारात्मक उपाय सुझाना ;

(2) न्याय-प्रणाली की संरचना की जांच करना और ऐसे तरीके सुझाना जिनसे इसे युक्ति संगत बनाया जा सके और इसे सस्ता और त्वरित न्याय-प्रशासन का एक दक्ष साधन बनाया जा सकें ;

(3) इस बात पर विचार करना कि न्यायालयों की किन प्रक्रियाओं और रीतियों के कारण न्याय में विलम्ब होता है, अधिक व्यय होता है और जनता को असुविधा होती है; उन्हें कैसे बदला या संशोधित किया जा सकता है जिससे कि न्याय-प्रशासन में सुधार लाया जा सके और इससे सरल, सस्ता, त्वरित, सक्षय, और प्रभावी बनाया जा सके ; और

(4) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिन्हें समिति, राज्य में न्याय-प्रशासन के स्तर और दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से , उचित और उपयुक्त समझें ।

समिति ने गुजरात राज्य के न्याय-प्रशासन की वर्तमान प्रणाली का पूर्नरूपेण पुर्नविलोकन किय और न्याय-प्रशासन की प्रणाली में इस दृष्टि से सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की जिससे कि न्याय-प्रशासन को सरल, सस्ता, त्वरित और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि रिपोर्ट को मुद्रित और समूल्य प्रकाशन के रूप में जनता के लिए प्रकाशित किया जाए और वह रिपोर्ट को मुद्रित करवाने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को न सौंपे गए मामले

3776. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैंडर वर्ष 1974 के दौरान अथवा इस की किसी अवधि में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर) एकाधिकार तथा निर्बाधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को कितने मामले नहीं सौंपे गए हैं ; और

(ख) कलैंडर वर्ष 1974 के दौरान (अथवा इसकी किसी अवधि में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को कितने सौंपे गए थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत, 1974 में विचार की अपेक्षायुक्त 294 आवेदन पत्रों में से, आयोग को 7 विषय निर्देशित किये गये थे, 79 विषयों पर आयोग के निरीक्षण के बिना निर्णय किये गये थे ।

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारियों के लिये आवास

3777. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना मैनेजर के अधीन कितने कर्मचारी कार्य रक रहे हैं ;

(ख) क्या उन के लिए वहां पर आवास की भीषण समस्या बन गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1-3-1975 का त्रिपुरा परियोजना में 578 नियमनिष्ट कर्मचारी काम कर रहे थे ।

(ख) जी हां । अगरतला में आवास मकानों की बहुत अधिक कमी है ।

(ग) इस स्थिति को कुछ हद तक सुधारने के लिये आयोग का अपने कर्मचारियों के लिये 150 मकान निर्माण करने का प्रस्तांव है । इन में से 60 मकान अगरतला में 19-5-76 में निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

संचार विभाग (दक्षिण रेलवे) में कर्मचारियों को स्थायी करना

3778. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के संचार विभाग में बहुत से सीनियर वायरलस आपरेटर व्हीकल ड्राइवर, वायरलैस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स तथा टैलीक्मयूनीकेशन मेकेनिक्स पिछले कई वर्षों से अस्थायी बने हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारियों का स्थायीकरण इस बात पर निर्भर है कि कितने स्थायी पद खाली हैं । सरकार की नीति यह है कि यथा संभव अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाये । इस प्रयोजन के लिये, रेल प्रशासन ने अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का एक विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि पात्र कर्मचारियों को उन पदों पर स्थायी किया जा सके । दक्षिण रेलवे के सिगनल और दूर-संचार विभाग में उपर्युक्त कार्य विधि के अनुसार, अब 28 पद और उपलब्ध हो गये और इतने कर्मचारियों का स्थायीकरण शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

पेट्रोलियम उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण केरल में उद्योगों का बन्द होना

3779. **श्री मती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल, डीजल तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण केरल राज्य में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे स्तर के औद्योगिक कारखाने बन्द हो रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी स्टोर निरीक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान

3780. **श्री पन्नालाल बारपाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने इंजीनियरी स्टोर निरीक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमानों, जिनका अधिकृत वेतनमान 250 रुपये से 380 रुपये है, की अभी तक घोषणा नहीं की है, जैसा कि तृतीय वेतन आयोग ने 1 जनवरी, 1973 से इनकी सिफारिश की है; और

(ख) उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित करने की किस तारीख का लक्ष्य है ?.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 250—380 रुपये के वेतनमान प्राधिकृत वेतनमान में भण्डार निरीक्षकों की कोटि के लिये 425—700 रुपये के संशोधित वेतनमान 26—2—1975 को अधिसूचित किया गया था :

मद्रास-विजयवाड़ा सेक्शन का शीघ्र विद्युतीकरण करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

3781. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था, कि मद्रास विजयवाड़ा सेक्शन के विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति असंतोषजनक है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) वित्तीय तंगी के कारण, मद्रास—विजयबाड़ा के साथ साथ विभिन्न विद्युतीकरण परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम को तैयार करना पड़ा । धन और साधनों की उपलब्धता के आधार पर विद्युतीकरण परियोजनाओं को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

रूसी विशेषज्ञों के दल का आसाम के तेल क्षेत्रों का दौरा

3782. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तेल विशेषज्ञों के एक दल ने आसाम के तेल क्षेत्रों का दौरा किया है और यदि हां तो, कब और इस दल ने किन-किन स्थानों का दौरा किया, और

(ख) क्या दल ने कोई प्रतिवेदन पेश किया है और यदि हां, तो आसाम में तेल संसाधनों की खोज के बारे में उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां, दो रूसी विशेषज्ञों और कुछ भारतीय अधिकारियों के एक दल ने गले की और नाहरकटिया तेल क्षेत्रों का दौरा किया था और जनवरी 1975 में असम की आयल इण्डिया लि० और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया था ।

(ख) जी नहीं, दल का प्रयोजन मूल भूगर्भीय सामग्री एकत्र करना था ।

निधि के अभाव के कारण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कम उत्पादन

3783. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चितरंजन लौकोमोटिव वर्क्स में इंजनों का उत्पादन बढ़ाने, बिजली से चलने वाले ईंजनों के आयात को बन्द करने के लिए तथा सहायक उद्योगों की अवनति को रोकने के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या कुछ प्रभावशाली वर्ग प्राधिकारियों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि उनके विदेशी सहयोग कर्ताओं से ईंजनों का आयात करें जबकि भारत निर्मित विद्युत चालित रेल ईंजनों की लागत लगभग 30 लाख रुपये बैठती है और आयातित इंजन की कीमत 50 लाख रुपये है तथा क्या विद्युत चालित रेल ईंजन निर्माण के कार्य में प्रगतिहीनता से सहायक उद्योगों में एक अनवतर प्रतिक्रिया पैदा हो गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बिजली की कमी आदि से उत्पन्न बाधाओं के भीतर चित्तरंजन रेल ईंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता का इस समय पूरा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष 1975–76 में योजना निधि के सीमित होने के कारण चित्तरंजन रेल ईंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से इस कारखाने की गतिविधियों को नयी दिशा देने के उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ; यह कहना सही नहीं है कि कोई प्रभावशाली वर्ग रेल ईंजनों के आयात के लिए प्राधिकारियों पर दबाव डाल रहा है, लेकिन मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों के ऊंचे पहाड़ी खण्डो पर परिचालन के लिए भारी डयूटी के रेल ईंजनों की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से भारत और चैकोस्लावाकिया की सरकारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार-करार के अन्तर्गत सरकार भारी ड्यूटी रेल ईंजनों के उपयुक्त अधिकल्प की आवश्यकता का पता लगा रही है ।

दुर्गापुर कैमिकलस लिमिटेड को मरम्मत के लिये तकनीकी सहायता प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयां

3784. **श्री सी० एम० सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड को अपने विदेशी सहयोग कर्ताओं से इस संयंत्र की मरम्मत कराने में कठिनाई होने के कारण अपेक्षित तकनीकी सहायता नहीं मिल पा रही है ।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस संबंध में केन्द्र सरकार क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क), (ख) और (ग) मैसर्स दुर्गापुर कैमिकल्स पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम के कैमिकल कौम्पलैक्स में एक फिनोला प्लांट सहित कुछ संयंत्र सम्मिलित है । यह कांप्लैक्स संतोषपूर्ण ढंग तो कार्य नहीं कर रहा है । स्थापित क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए विद्यमान संयंत्रों के परिष्करण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं, फिनोल संयंत्र की खराबियों के परिष्कणर के संदर्भ सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विदेशी फर्म की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पैट्रालियम और रसायन मंत्रालय से सहायता के लिए कहा है । इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गयी है । इस काम को किसी पर्याप्त अनुभवी भारतीय इंजिनियरिंग कम्पनी को सोंप दिया जाए । यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशेष विदेशी फर्म की सहायता अपेक्षित हो तो उसे उपयुक्त स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जायें ।

Broad Gauge Line from Barauni to Katihar (North Eastern Railway)

*3785. **Shri C.P. Yadav** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to lay a broad gauge line from Barauni to Katihal on the North Eastern Railway ; and

(b) if so, the time by which work on this project is likely to be undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) The reports of the preliminary engineering-cum-traffic surveys and an economic study carried out for the gauge conversion of the Barauni-Katihar section from metre to Broad gauge are at present under examination. The decision on the proposal will be taken after the examination of the reports is completed.

Completion of Korba Fertilizer Plant

3768. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the foundation stone of coal-based fertilizer plant at Korba in Madhya Pradesh was laid in 1972 ;

(b) whether the said plant was scheduled to be completed in 1975; and

(c) if so, the percentage of the part of the plant that has been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh) : (a) and (b) The foundation stone for the Korba fertilizer project was laid on the 14th April 1973; the project was originally expected to be completed by mid 1977, but the schedule is being rephased in the light of the resource position.

(c) Preliminary work has been carried out on the project and this includes site preparation and putting up of some construction facilities. Some orders have also been placed for imported plant and machinery.

दहेज विरोधी विधि लागू करना

3787. **श्री शशी भूषण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने दहेज प्रथा विरोधी विधि के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट दायर की है ;

(ख) क्या दहेज विरोधी विधि का पालन केवल उस का उल्लंघन करने में होता है तथा व्यापक धारणा यह है कि सरकार को इस विधि को और कारगर बनाना चाहिये तथा इसका पालन करवाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामलें में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दहेज से संबंधित विधि का अतिक्रमण करने पर न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या हाल ही में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मालूम की गई है ; केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक मामला दायर किया गया था । मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक में दो-दो मामले दायर हुए । पंजाब में सत्ताईस मामले दायर किए गए । अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रिपोर्ट दी है कि वहां कोई मामला दायर नहीं हुआ ।

(ख) और (ग) ऐसी धारणा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है अतः स्त्रियों की प्रस्थिति से संबंधित समिति द्वारा इस विषय पर की गई कुछ सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

Bar on re-appointment of retired Judges of Supreme Court and High Courts to Tribunals or Commissions of Inquiry

*3788. **Shri M.C. Daga** : Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact a law whereby the retired judges of Supreme Court and High Courts will be barred for re-appointment on Tribunals or Commissions of Inquiry ;

(b) if so, the facts there of ?

The Minister of Law, Justice and Company affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

राक फास्फेट का आयात

3789. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राक फास्फेट, जो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार अब राक फास्फेट के आयात को शीघ्र ही बन्द करने की बांछनीयता पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय, देशीय एक फास्फेट का उत्पादन, देश की कुल आवश्यकताओं से करना पड़ा है इसलिए मांग और सप्लाई के अन्तर को यथा संभव पूरा करने के लिए इसका आयात किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

उर्वरक उत्पादन के कार्यक्रमों में वाधा पहुंचना

3790. **श्री जी० वाई० कृष्णन** / **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की रेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता विशेषकर के विश्व बैंक से सहायता पर अत्याधिक निर्भरता के कारण देश में उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम के फिर से पिछड़ने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी नहीं । विदेशी सहायता पर कम निर्भर करने के उद्देश्य से, देश ने, कई वर्षों से, विस्तृत और औद्योगिक विविधकृत बेस का विकास किया है । उर्वरक उद्योग जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आवश्यक विदेशी मुद्रा के आबंटन में पर्याप्त प्राथमिकता प्राप्त करता है । कोचीन–11, गोरखपुर, बिस्तार, नंगल विस्तार, ट्राम्बे 4, सिद्री आधुनिकरण और फूलपुर, की लागत के विदेशी मुद्रा संघरक को पूरा करने के लिए विश्व बैंक ने, अब तक, लगभग 323 मिलियन डालर की ऋण सहायता दी है । विश्व बैंक ने चालू संयंत्रों के निष्पादन म सुधार हेतु प्लांट प्रचालन सुधार कार्यक्रम के लिए लगभग 17 मिलियन डालर की सहायता देना भी स्वीकार किया है ।

त्रिपुरा में तेल की खुदाई संबंधी कार्य में हताहत हुये व्यक्ति

3791. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **पेट्रोलियम और रासायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत त्रिपुरा में तेल की खुदाई संबंधी कार्य में कितने लोग मरे तथा कितने स्थायी रूप से घायल हुए;

(ख) क्या मृतकों के संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में सिधी जिले में उर्वरक कारखाने की स्थापना

3792. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की मध्य प्रदेश में सिधी जिले में एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है जो सिंगरोली कोयला क्षेत्र में भारी मात्रा में कोयले के निक्षेप पर आधारित होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्तमान में कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है ।

दक्षिण मध्य जोन में विभिन्न राज्यों में रेलवे लाइनों की लम्बाई

3793. **श्री के० एल० राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य जोन में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर और महाराष्ट्र के प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनों की लम्बाई कितनी-कितनी है ; और

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे में श्रेणी एक, दो और तीन में आन्ध्र प्रदेश के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत दक्षिण-मध्य रेलवे की लाइनों की मार्ग किलोमीटर लम्बाई 31–3–1974 को इस प्रकार थी :—

राज्य	मार्ग किलोमीटर
आन्ध्र प्रदेश	2,988.58
तमिल नाडु	—
कर्नाटक	1,240.11
महाराष्ट्र	1,854.75
गोआ	79.06

(ख) क्षेत्रीय रेलों पर राज्य-वार कर्मचारियों की संख्या की सूचना नहीं रखी जाती है ।

मसर्स लेडरले लैबोरेटरीज तथा अन्य औषध फर्मों में इनकी मूल कम्पनियों द्वारा आरम्भ में लगाई गई इक्विटी पूंजी

3794. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) मैंसर्स लेडरले लेबोरेटरीज, बूट्स बी० डी० एच० डब्ल्यू० मैक्स प्राइवेट लिमिटेड फीजर और साइडामाइड में इनकी मूल कम्पनियों द्वारा आरम्भ में कितनी इक्विटी पून्जी लगाई गई थी ;

(ख) मूल कम्पनियों और उक्त फर्मों के बीच, फर्मवार, हुए करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन फर्मों ने आरम्भ में किन-किन वस्तुओं को बनाना था और बाद में क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(घ) क्या विदेशी पूंजीनिवेश बोर्ड ने उक्त करार का अनुमोदन किया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रत्येक कम्पनी का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मूल एक्विटी (रुपये)
1	मैंसर्स लेडरले लैबारटरिज (सैनामिड इण्डिया लि०)	1,50,200 (सेनामिड (इण्डिया) लि० के लिए)
2	बूटस कम्पनी इण्डिया लि०	10,00,000
3	बीडि एध (तब से गिलैक्सो लैबारिटिज (इण्डिया) लि० के साथ ली गई है)	1,50,000 (गिलैक्सो इण्डिया लि० के लिये)
4	डियूमेक्स प्राईवेट लि०	उपलब्ध नहीं है।
5	फाईजर लि०	1,00,000
6	सैनामिड (इण्डिया लि०)	1,50,200

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मैसर्स ग्लैक्सों तथा कुछ औषध फर्मों को जारी किये गये लाइसेंस

3795. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसर्स ग्लैक्सो, बारोहस बैलकम (आई०) लिमिटेड पार्क डेबिस एण्ड कम्पनी और मे० एण्ड बेकर को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों, अनुमति पत्रों, सी० ओ० बी० लाइसेंसों की मुख्य बातें क्या हैं

(ख) क्या इन लाइसेंसों/अनुमतिपत्रों के जारी किये जाने के कारण सहयोग की कोई नई शर्त अपनाई गई अथवा उनके वेतनमान सहयोग करारों में संशोधन किये गये, यदि हां, तो उनमें प्रत्येक की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन फर्मों द्वारा कौन से फार्मूलेसन बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के बनाये गये है और उसकी अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) चौथी योजना की अवधि के दौरान मैसर्स गलैक्सो लेबारेटरीज (इडिया) लि०, बम्बई, मैसर्स बोरोज बेलकम (इण्डिया) लि० एवं मैसर्ज में और बेकर लि० को दिये गये औद्योगिक लाइससों और सी० ओ० बी० लाइसैंस निर्माण की मद और प्रदत्त क्षमता के विस्तार संलग्न विवरण (ब्यौरे) में किये गए हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० –9219–75) उपरोक्त अवधि के दौरान मैसर्ज पारके डेबिस (इण्डिया) लि० बम्बई को कोई औद्योगिक लाइसैंस और सी० ओ० बी० लाइसेन्स प्रदान नहीं किया गया था। उक्त अवधि के दौरान उक्त कम्पनियों को कोई अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किये गये थे ।

(ख) भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में दिये गये ब्यौरों में न ही सहयोग की कोई नई शर्तों का अनुमोदन है और न ही औद्योगिकी लाइसैंसों के लिए प्रचलित करारों में कोई नये संशोधन किये गये हैं।

(ग) क्या उक्त फर्म बिना किसी औद्योगिकी लाइसेंस के किसी सूत्रयोगों का निर्माण कर रही है इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

ट्रैक्शन और वर्कशापों के लिये विद्युत शक्ति की आवश्यकता संबंधी योजना

3796. **श्री धामनकर**
श्री वसन्त साठे } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य ट्रंक मार्गों पर कितनी रेलवे लाइनों पर बिजली के इंजन चालये जा रहे हैं और वर्ष 1978–79 के अन्त तक कितनी अतिरिक्त किलोमीटर मार्ग पर बिजली के इंजन चलाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इन प्रयोजनों के लिये कोई भावी योजनायें बनाई गई ह और बिजली के इंजन चलाये और रेलवे वर्कशापों के लिये अपेक्षित बिजली का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) वर्तमान मांग की तुलना में वर्ष 1978–79 के अन्त तक बिजली की प्रत्याशित मांग कितनी होगी और उसकी अपने तथा अन्य साधनों से कहां तक पूर्ति हो सकेगी?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को जोड़न वाली मुख्य ट्रंक मार्गों की निम्नलिखित लाइनें पहले से ही बिजली कर्षण के अंतर्गत लायी जा चुकी है :—

	खण्ड	मार्ग किलोमीटर
1.	हावड़ा-टूण्डला	1,233
2.	हावड़ा-दुर्ग और भुसावल-बम्बई	1,303
3.	कल्याण-पुणे	138
4.	बम्बई सेंट्रल-बड़ोदरा	395

आशा है कि 1978–79 के अंत तक मुख्य ट्रंक मार्गों पर 637 किलोमीटर और रेल मार्गों को बिजली कर्षण के अंतर्गत ला दिया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) सभी बिजली कृत मार्गों और कारखानों के लिए इस समय बिजली कर्षण के वास्तव लगभग 600 मैगावाट बिजली की जरूरत है। यह जरूरत 1978–79 तक बढ़ कर लगभग 850 मैगावाट हो जाने की सम्भावना है।

बिजली की इस जरूरत का अधिकांश भाग राज्य बिजली बोर्डों की बिजली प्रणालियों से पूरा किया जायेगा।

विदेशी औषध फर्मों की मूल तथा वर्तमान इक्विटी

3797. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच इक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों की मूल तथा वर्तमान इक्विटी–विदेशी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जारी किये गये बोनस शेयर यदि कोई हों तो अन्य आधारों पर जारी की गई इक्विटी तथा अंशदान पुजी क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन फर्मों द्वारा उक्त इक्विटी के आधार पर कितनी राशि बाहर भेजी गई है ;

(ख) इस अवधि के दौरान उन अधिकृत पूंजी-अधिमान्य एवं सामान्य, जारी की गई पूंजी-अधिमान्य तथा सामान्य, विदेशी शेयर-पूजी (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) करों सहित विक्रय से प्राप्त धन राशि तथा शुद्ध लाभों का विवरण क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन फर्मों को कितने औद्योगिक लाइसेंस, अनापति पत्र, अनुमति पत्र आदि दिये गये अथवा अस्वीकृत किये गये ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक फर्म द्वारा किस-किस मद का तथा कितने मूल्य की 'बल्क' औषध का उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 26 से 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्य पूंजी कम्पनियों के संबंध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9220/75)।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस तथा इन कम्पनियों को दिये गये आशय पत्र के ब्यौरों से युक्त तथा 1972, 1973 तथा दिसम्बर, 1974 तक, प्राप्त आवेदन पत्र किन्तु रद्द किये गये आवेदन पत्रों से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है, (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9220/75)।

(घ) मैसर्स यू० एन० आई०–यू० सी० बी० प्रा० लि० मैसर्स सीबातुल लि० मैसर्स बायोयौजीकल इंक्स, लि० तथा मैसर्स जरमन रैमेडीज लि० द्वारा 1970–71; 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान उत्पादित प्रपुन्ज औषधों के नाम, मात्रा तथा मूल्य युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है, (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–9220/75), शेष कम्पनियां कोई प्रपुन्ज औषध का निर्माण नहीं करती।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना

3798. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कितनी विदेशी औषध फर्मों को गत तीन वर्षों में क्षमताओं के अनुसार सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) इन को क्षमता के साथ सम्बद्धता किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वे अपनी पसन्द की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करती रही हैं, और उनके लिये कच्चे माल का आयात करने की अनुमति उन्हें दी गई थी या यद्यपि उन्होंने अपने आवेदन पत्रों में इन वस्तुओं के लिये विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख किया हुआ था, यदि हां, तो उनके निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन को न रोकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उन्हें गत तीन वर्षों में निर्धारित मात्रा से अधिक फार्मुलेशनों के काम से लोन के लिये कोई 'बल्क' औषधियां बनाई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) कुल क्षमताओं सहित मदों के नाम, 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत अधिकांश विदेशी मुद्रा वाली औषध कंपनियों को दिये गये लाइसेंस की संख्या तथा तारीख के बारे में सूचना लोक सभा के दिनांक 25 फरवरी, 1975 के अता० प्रश्न संख्या 1186 के उत्तर में दी जा चुकी है। उन कम्पनियों जिन में 26 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच विदेशी साम्य पूंजी है, को उसी अवधि के दौरान दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसों के बारे में सूचना शून्य है। उन में दिये गये विवरण में यह देखा जा सकेगा कि कुछ मामलों में किसी अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी नहीं दी गई थी लेकिन कुल अनुमोदित क्षमता के अन्तर्गत निर्माण

की मदों का अनुमोदन इस दृष्टि से किया था ताकि सांविधिक यूनिट कुल क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार उत्पादों का निर्माण कर सकें। यूनिटों के लिये कच्चे माल का आयात समय-समय पर लागू किया जायेगा। व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार नियमित किया जाता है।

(क) मैसर्स स्मिथ कलिन तथा फ्रन्च (इण्डिया) लिमिटेड तथा मैसर्स बेलरिटोगिज क्रमाल्ट लि० किसी भी प्रपुर्ज औषध का उत्पादन नहीं करते। सूत्रयोगों के लिये अपेक्षित प्रपुन्ज औषधों तथा शेष कंपनियों के बारे में प्रपुन्ज औषधों तथा सूत्रयोंगों का गत तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

3799. **मौलाना इसहाक सम्भली:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे लेखा सेवा के किसी अधिकारी को प्रति-नियुक्ति पर भेजने की कोई अवधि निर्धारित की गई है, यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उन अधिकारियों का व्यौरा क्या है जो गत 5 वर्षों से अधिक अवधि से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ग) ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर किन पदों पर हैं और क्या वेतन पा रहे हैं और रेलवे विभाग में वे किन पदों पर होते और क्या वेतन पाते ; और

(घ) क्या इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के दौरान, जब उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और विशेष वेतन मिलता है, निःशुल्क पास और पी० टी० ओ० दिये जाते रहे हैं और यदि हां, तो इस का क्या औचित्य और कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिह) : (क) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति उन आदेशों द्वारा शासित होती है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं और सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं। इन आदेशों द्वारा सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन आवधिक अथवा गैर-आवधिक पदों पर प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि निर्धारित की जाती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9221/75)।

(घ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों सहित सभी रेलवे अधिकारियों पर लागू (रेलवे बोर्ड के) वर्तमान आदेशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रतिनियुक्ति की चार वर्ष की अवधि तक उतने ही सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश दिये जायेंगे जितने कि सेवारत रेलवे अधिकारियों को देय हैं। चार वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों उतने ही सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश पाने के पात्र होंगे जितने कि सेवा-निवृत्त रेल अधिकारियों को मिलते हैं, बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति के चार वर्ष पूरे होने की

तारीख को वे सेवा-निवृत्ति के उपरान्त इन पासों और सुविधा टिकट आदेशों के पात्र हों। इस सम्बन्ध में, विवरण में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी को अब तक इस मामले में कोई छूट नहीं दी गयी है।

भोजुदीन कोआपरेटिव लेबर सोसाइटी द्वारा श्रमिकों को मजूरी न दिया जाना

3800. **श्री भोगेंन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री चुरिया रेलवे कालोनी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, रांची की ओर से अभ्यावेदन के बारे में 18 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न किये जाने संबंधी शिकायत के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या करण हैं ?

रेल मंत्रालय में उमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) श्रमिकों ने अदालत की शरण ली है और यह मामला न्यायाधीन है। अतः इस समय कोई जांच नहीं की जा सकी।

रेल कर्मचारियों की काम करने की परिस्थितियों तथा अन्य सुविधाओं में सुधार

3801. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में रेल कर्मचारियों की काम करने की परिस्थितियों तथा अन्य सुविधाओं में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उनके द्वारा इस दिशा में अगेतर किये जाने वाले उपायों की संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा यह विनिश्चय किया गया है कि 1–4–1975 से कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान 4.50 रूपये से बढ़ा कर 9.00 रूपये कर दिया जाये।

केरल में ऊपरी पुल

3802. **श्री वयालर रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान केरल राज्य में कुल कितने रेलवे ऊपरी पुलों का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी तथा उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) इन मंजूर शुदा परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है तथा उन पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) यदि निर्माण कार्य में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है तो उसके क्या-क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान केरल राज्य में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए किसी नये प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी एजेन्सियों द्वारा आयात की जाने वाली औषधियों का राज्य में व्यापार निगम द्वारा आयात

3803. **श्री सोमचन्द सोलंकी** :क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य व्यापार निगम द्वारा ऐसी कौन सी औषधियां और फार्मेस्युटिकल आयात की गई जिनका आयात सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक औषधि कितनी मात्रा में मंगाई गई। उसका लागत बीमा-भाड़ा मूल्य क्या है और उन्हें किस, मूल्य पर बेचा जाता है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने कई मामलों में नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है, अन्तिम बार आयातित औषधियों का मूल्य अधिक वसूल किया और अत्यधिक लाभ कमाया ; और

(ग) जिन मामलों में राज्य व्यापार निगम ने अत्याधिक मूल्य वसूले हैं ; उनमें उपभोक्ताओं की सहायता के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

3804. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कौन से औद्योगिक लाइसेंस तथा आयात लाइसेंस दिए गए और उनके संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया ; और

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का वर्तमान उत्पादन मद-वार और देश में उपभोक्ताओं के हितों के लिए स्वीकृत लक्ष्यों को सरकार कैसे प्राप्त करना चाहती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औद्योगिक लाइसेंस—

पांचवी योजना अवधि के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० को प्रति वर्ष 5,000 कि० ग्राम अर्ध-संश्लिष्ट पेनसिलीन के उत्पादन के लिए 20–3–1972 को एक आशयपत्र जारी

किया गया। यह प्रायोजना कार्यान्वयनाधीन है तथा एम्पिसीलीन के उत्पादन में दो प्रथम चरण पूर्ण हो गये हैं। एम्पिसिलीन का परीक्षण उत्पादन अगस्त, 1974 में प्रारम्भ हुआ था। 28-2-75 तक प्राप्त उत्पादन 195.82 कि० ग्राम० था।

आशय लाइसेंस–

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स को जारी किये गये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

1. एम्पिसिलीन के आयात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा पर 1,20,000 रुपये के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य हेतु आयात लाइसेंस संख्या 1/ए/1048643/सी दिनांक 8-3-1972.

2. एम्पिसीलीन के लिए उच ऋण पर 2,40,000 रुपये की लागत बीमा-भाड़ा के लिए आयातित लाइसेंस 1/ए यू/10,59,219/एस/एनइ/46/एच-3536 दिनांक 13-3-1973.

3. गलास लाइन्ड रियेक्शन वैसलू तथा एक पौजेटिव डिसप्लेसमेंट पथ के आयात के लिए पश्चिम जर्मन ऋण के प्रति 1,64,239-रुपये के लागत मूल्य भाड़ा हेतु आयात लाइसेंस संख्या 1/सी/2029679/एस /जी एन/50/एच-37-38/सी जी 11 दिनांक 15-1-1974.

उपरोक्त (2) में दिये गये लाइसेंस को उपयोग नहीं किया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० का वर्तमान उत्पादन निम्न प्रकार है :

उत्पाद	यूनिट	स्थापित क्षमता	1974-75 लक्षित उत्पादन के के लिए	28-2-75 तक कुल उत्पादन
प्रपुंज पेनसिलीन	एमएम यू	84	61.44	56.02
स्टैप्टोमाइसीन	कि० ग्रा०	80,000 90,000	62.780	61,145
हेमाइसीन प्रपुन्ज	”	250	20.00	0.31
(i) बिटा. सी. प्रपुन्ज	टन्स	125	2.40	0.519
(ii) सोरबिटोल	”		188.00	125.11
एमपिसिलीन प्रपुन्ज कृषि उत्पादन	कि० ग्रा०	5000	–	195.82
(i) स्ट्रेप्टोमाइसीन	कि० ग्रा०	कोई अलग क्षमता नहीं	1,160	1,207.21
(ii) एरोफ्नगिन सोल			511	433.66

स्टेप्टोमाइसीन के उत्पादन में सुधार करने के लिए कोई नई स्ट्रेन को प्रतिस्थापित किया गया है, जिसने इस मद के अपने उत्पादन में सुधार किया है। इसी प्रकार पेनसिलीन के सम्बन्ध में नई प्रोद्यौगिकी को प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिससे आशा है कि इस उत्पाद के अपने उत्पादन में पर्याप्त सुधार कर सकेंगे। हेमाइसीन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का स्थायीकरण और उत्पाद के मानकीकरण किया जा रहा है। विटामिन सी के सम्बन्ध में देश में निर्मित प्रसीतन एकक के कार्य न करने, की समस्या, एसीटोन की अनुपलब्धता सालवेंट के रूप में बेनजीन के प्रयोग के कारण प्रक्रिया सम्बन्धी समस्यायें तथा उत्पाद गुण के कुछ समस्याओं का भी पता लगाया गया था। काफी सीमा तक सुधार भी किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप दिसम्बर, 1974 के अन्त तक अन्तिम स्तर तक एक नियमित स्ट्रीम की स्थापना की गई है।

आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा विश्व का दौरा

3805. **श्री सोमचंद सोंलकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० के प्रबन्ध निदेशकों ने बहुत सी औषधियों के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु गत वर्ष विश्व का दौरा किया था ;

(ख) इस दल ने सरकार को क्या प्रतिवेदन दिया है जिसने इस चार सदस्यीय प्रभावशाली दल को समूचे विश्व का दौरा करने की अनुमति दी थी जिस पर इसने विश्व का दौरा किया था ;

(ग) उस दौरे पर कितना खर्च हुआ और क्या निदेशक बोर्ड की आवश्यक अनुमति ली गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो कम्पनी विधि के नियमों एवं विनियमों और अन्य विनियमों का उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तकनीकी दल के प्रतिनिधि मण्डल में

1. डा० बी० शाह उप महानिदेशक तकनीकी विकास महानिदेशालय

2. डा० पी० आर० गुप्ता औषध सलाहकार पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

3. डा० एल० के० बहल प्रबन्ध निदेशक आई० डी० पी० एल०

4. श्री सी० एन० चारी प्रबन्ध निदेशक एच०ए०एल० शामिल है जिसने इटली, यूगोस्लाविया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, स्विटजर्लेण्ड, जापान और अमेरिका का दौरा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में इन देशों की फर्मों/संगठनों से सहायता की सम्भाव्यता की खोज करने की दृष्टि से किया था।

(ख) ग्रुप ने सरकार को प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में उस उक्त सम्पर्क का उल्लेख किया है, जो उन्होंने उपरलिखित देशों की अनेक फर्मों से स्थापित किया था। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सम्पर्क की गई सारी फर्मों/संगठनों में सिद्धान्त रूप से सरकारी क्षेत्र को अथवा अपने से संबंद्ध गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी की पेशकश प्रस्तुत करने को सहमत हो गए। जिन मामलों

जहां सरकारी क्षेत्र का यूनिटों के पास पहले से ही प्रौद्योगिकी प्रबन्ध मौजूद है वहां अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी सिद्धान्त बढ़ाने के लिए सहमत थे। अनेक देशों ने फर्मास्युटिकल कैमिकल्स और उत्पादन सुविधाओं में उत्पादों/प्रौद्योगिकी के विनिमय में रुचि दिखलाई भारतीय हित के क्षेत्र में चर्चा जारी है।

(ग) और (घ) प्रतिनिधि मंडल के विदेश के दौरे आई० डी० पी० एल० द्वारा दिये गये खर्च के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

हवाई जहाज का किराया	30,218.40 रुपये (डी० पी० आर० गुप्ता तथा डा० बी० शाह के हवाई जहाज किराये का 50 प्रतिशत तथा डा० एल० के० बहल के किराये का 100 प्रतिशत शामिल है।)
अन्य खर्चे	18,845.00 रुपये
कुल	49,063.40 रुपये

डा० पी० आर० गुप्ता तथा डा० बी० शाह के हवाई जहाज किराये के 50 प्रतिशत तथा श्री० सी० एन० चारी के किराये के 100 प्रतिशत के बारे में हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० पिम्परी से 28,081 रुपये की रकम वसूल कर ली गई थी। श्री चारी, डा० पी० आर० गुप्ता तथा डा० बी० शाह के आउट-पाकेट खर्चों के बारे में 3,579 रुपये (जिस में अधिक सामान के लिये 924 रुपये शामिल है) एक और रकम एच० ए० एल० के नाके में डाली जा रही है।

श्री सी० एन० चारी को दी गई विदेशी मुद्रा तथा डा० गुप्ता एवं डा० शाह के आवास तथा आउट आफ पाकेट के बारे में हुये खर्चे, जिसे आई० डी० पी० एल० ने वहन किया है, संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। सरकार के दो अधिकारियों और एच० ए० एल० और आई० बी० पी० एल० के प्रबन्ध निदेशकों वाले ग्रुप के विदेशी दौरे के लिए सरकार की आवश्यक अनुमति 21 फरवरी, 1974 को दे दी गई थी।

बोकारो इस्पात संयंत्र को माल डिब्बों की सप्लाई

3806. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग बोकारो इस्पात संयंत्र को प्रतिदिन केवल 20 माल डिब्बे सप्लाई कर रहा है ;

(ख) क्या इस्पात प्राधिकारियों को माल डिब्बों के कोटे की मांग अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा किस कारण कम माल डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। मेसर्स बोकारो स्टील लि० द्वारा लोहा और इस्पात उत्पादनों का, जनवरी और फरवरी, 1975 में क्रमशः 105 और 111 माल डिब्बों का दैनिक औसत लदान किया गया।

(ख) और (ग) इस्पात का उत्पादन बढ़ जाने और इस्पात गलाने के कारखाने के चालू कर दिये जाने के कारण इस्पात करखाने की माल डिब्बों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और मांग पूरी करने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई की जा रही है ।

संवर्ग पुनर्विलोकन और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाया जाना

3807. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयं पुनर्विलोकन और तदर्थ आधार पर 20 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों के मामले में पुनर्विलोकन किया जा चुका है जबकि श्रेणी तीन का अभी नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रेणी तीन के कर्मचारियों के संवर्ग पुनर्विलोकन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) श्रेणी I की सेवाओं की संवर्ग संरचनाओं का पुनरीक्षण पूरा कर लिया गया है । श्रेणी III और श्रेणी IV के संवर्गों के संबंध भी इसी प्रकार के पुनरीक्षण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ताकि अराजपत्रित संवर्गों में भी बहुत से पदों का ग्रेड ऊंचा करने की व्यवस्था/योजना तैयार की जा सके । सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि कितने कर्मचारियों का ग्रेड ऊंचा किया जायेगा ।

मैसर्स सीबा (इंडिया) लिमिटेड को जारी किये गये लाइसेंस

3808. **श्री खेमचन्द भाई चावडा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसर्स सीबा (इण्डिया) लिमिटेड को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों, अनुमति पत्रों सी० ओ० बी० लाइसेंसों तथा अन्य सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ।

(ख) क्या इन लाइसेंसों/अनुमति पत्रों के जारी किये जाने के कारण सहयोग की कोई नई शर्तें अपनाई गई अथवा उनके वर्तमान सहयोग करार में कोई संशोधन किया गया । यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस फर्म द्वारा कौन से फार्मूलेशन बिना औद्योगिक लाइसेंस के बनाये जाते हैं और इस की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स डेन्टस प्रोडक्टस तथा अन्य औषधि कंपनियों को जारी किये गये लाइसेंस

3809. **श्री खेमचन्द भाई चावडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स डेन्टल प्राडक्टस, लिमिटेड एथनोर प्राडक्टस लिमिटेड फुल फोर्ड ए० सी० ई० एण्ड कम्पनी और मैर्सस इंडियन के नाम चौथी पंजवर्षीय योजनावधि के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों अनुमतिपत्रों व सी० आ० बी० लाइसेंसों की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है ;

(ख) क्या इनमें से किसी लाइसेंस/अनुमति पत्र में सहयोग संबंधी शर्तें थी और यदि हां, तो उनकी मख्य बातें क्या है और मंजूर की गई मदों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें प्रत्येक मद पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होनी थी और ; गत तीन वर्षों में उनका उत्पादन क्या था ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स डेन्टल प्राडक्टस लि० मैसर्स इथनोर मैसर्स सी० एफ० फुलफोर्ड (इंण्डिया) प्रा० लि० तथा मैसर्स इण्डियन शेयरिंग लि० असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। इन एककों को औद्योगिक (विकास एंव नियंत्रण) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अभी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना है । इनके केस में सी० जी० बी० लाइसेंस लेना आवश्यक लेना है या नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मैसर्स सीबा (इंडिया) लिमिटेड में आरम्भ में लगाई गई इक्वटी पूंजी

3810. **श्री खेम चन्द भाई चावडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीबा स्विटजरलैंड द्वारा मैसर्स सीबा (आई) लिमिटेड में आरम्भ में कितनी इक्विटी पूंजी लगाई गई थी और उक्त दोनों फर्मों के बीच हुए करार की मुख्य बातें क्या है;

(ख) आरम्भ में सीबा (आई) लिमिटेड द्वारा कौन-सी वस्तुएं बनाई जाती थी और बाद में क्या परिर्वतन किये गये है ; और

(ग) क्या विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड अथवा किसी अन्य ऐजेंसी ने उनके करार का अनुमोदन किया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

क्षमता का उल्लेख किये बिना लाइसेंस जारी करना

3811. **श्री खेम चन्द भाई चावडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी से अधिक वाले विदेशी औषध निर्माताओं को क्षमता का उल्लेख किये बिना अधिक खपत वाली औषधियों का निर्माण करने हेतु जिनका वे गत तीन वर्षों से उत्पादन कर रहे हैं, कितने लाइसेंस, अनुमति पत्र/अनापत्ति पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) क्या इन स्वीकृतियों में एक शर्त यह थी कि क्षमताओं का निर्धारण बाद में किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसी स्वीकृतियों में क्षमता का निर्धारण न करने के क्या कारण हैं ; तथा क्या सरकार क्षमताओं का निर्धारण न करने की जिम्मेदारी किसी पर डालेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Re-instatement of remaining Employees on Central Railway

†3812. **Shri G.C. Dixit** 9:

Will the Minister **of Railways** be pleased to state :

(a) the number of permanent, temporary, monthly-wages and daily-wages employees of the Central Railway who were dismissed/removed from service or whose services were terminated due to May, 1974 strike.

(b) the number of employees of each category since reinstated; and

(c) the reasons for delay in reinstating the remaining employees ?

The Depuy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c)

(i) Permanent employees dismissed/removed from service	457
(ii) No. taken back to duty out of (i)	311
(iii) No. of temporary employees whose services were terminated	1,244
(iv) No. taken back out of (iii) ..	1,241
(v) Casual labour/substitutes discharged	4,267
(vi) Casual labour/substitutes re-engaged out of (v)	4,178

It will be seen that there has not been much delay in going through so many cases individually, determining whether or not they were involved in violence, sabotage or intimidation and putting as many as possible back to duty.

Expenditure Incurred on Khandwa—Indore Railway Line

*3813. **Shri G.C. Dixit** :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Khandwa-Indore Section of the Khandwa-Ajmer Railway line during 1973-74 ;

(b) the extent to which work is proposed to be carried out on this section before 31st March, 1976; and

(c) the reasons for neglecting this section of the railway line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The expenditure incurred on passenger amenities, staff amenities and Track Renewal Works on Khandwa—Indore Section is Rs. 26 lakhs approximately in 1973-74.

(b) Expenditure likely to be incurred on the section during 1974-75 is Rs.8·26 lakhs and outlay proposed for 1975-76 is Rs. 6 lakhs.

(c) The section is not being neglected.

Re-instatement of Railway Employees of Ratlam Railway Station

*3814. **Shri G.C. Dixit** :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether services of employees of Ratlam railway station in Madhya Pradesh were terminated during the May '74 Railway strike and whether some of the employees have not been reinstated so far ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the employees removed from service will not be reinstated in future and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (d) Yes. Out of 208 employees who were dismissed/removed/terminated from service, 204 have been taken back to service on consideration of their individual appeals; the cases of the remaining 4 are under consideration.

रेलवे में नियुक्त स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ

3815. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जिन रेलवे कर्मचारियों की सेवा म व्यवधान आ गया था अथवा जिनकी सेवायें समाप्त हो गई थी, उनकी गत सेवा को गिनने के

मामले में कुछ रेलवे कर्मचारियों की ओर से दिये गये आवेदनों पर निर्णय करने में विलम्ब के कारण उनको तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों से पेंशन सम्बन्धी लाभ के लिए विकल्प देने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का हिसाब लगाने के लिए, उनकी बर्खास्तगी, अलहदगी या इस्तीफे से पहले की सेवा को गिना ही जाता रहा है ।

ड्यूटी के दौरान मारे गये कर्मचारियों (उत्तर रेलवे) के आश्रितों को रोजगार

3816. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे युवकों महिलाओं के नाम क्या हैं जिनके नियोजन के मामले उत्तर रेलवे में, उनके माता-पिताओं के ड्यूटी के दौरान मारे जाने के कारण विचाराधीन हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में रोजगार के लिए किस-किस तारीख को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ग) क्या कमाऊ सदस्यों की मृत्यु के कारण सम्बद्ध परिवारों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में शीघ्रता से कार्यवाही की जायेगी ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह के आधार पर नियुक्त करने से सम्बधित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है और इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं :—

(1) श्रेणी iii और iv के उन कर्मचारियों के आश्रित जो अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा के परिणामस्वरूप मर जातें हैं अथवा स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं;

(2) श्रेंणी iii और iv के उन कर्मचारियों के आश्रित जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान, ड्यूटी से मुक्त होने पर रेल दूर्घटना के परिणामस्वरूप हो जाये ।

(3) श्रेंणी iii और iv के उन कर्मचारियों के आश्रित जिनकी स्वाभाविक मृत्यु सेवा के दौरान हो जाये ।

प्राथमिकता (iii) के अधीन मामलों की संख्या अधिक होती है उनमें से अधिकांश चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित होते हैं अतः रेल प्रशासनों को उन्हे समाहित करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि श्रेंणी iv के उपयुक्त पद पर्याप्त संख्या में तत्काल उपलब्ध नहीं है विशेषकर महिलाओं के लिए ।

कोचीन रीफाइनरीज का विस्तार

3817. **श्री वयालार रवि :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा उस दिशा में आगे की जाने वाली कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) कोचिन शोधनशाला लि० की क्षमता को 2.5 मिलियन टन से 3.3 मिलियन टन तक प्रति वर्ष बढ़ाने का कार्य 385 लाख रूपये की कुल लागत से, अगस्त 1973 में पूरा किया गया इस शोधनशाला की क्षमता और बढ़ाने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा कम्पनियों पर लगाये गये आरोप

3818. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के बारे में 27 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा इंडियन आक्सीजन लिमिटेड सहित 15 विभिन्न कम्पनियों पर लगाये गये व्यापार और पुर्नविक्री संधारण और सीमित सौदों में केन्द्रीकरण के बारे में लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों और इस बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विरूद्ध अभी तक कोई जांच नहीं की है । अन्य 14 कम्पनियों के नामों का पता न होने से, यह कहना संभव नहीं है कि क्या उनमें से किसी के विरूद्ध निबंधकारी व्यापार प्रथाओं की बाबत कोई जांच की गई है, अथवा नहीं । तथापि, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यकरण पर 1971 से 1973 तक की तीन वार्षिक रिपोर्टों, जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थीं, में उल्लिखित, इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा की गई जांचों से सम्बन्धित ब्यौरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । 1974 के वर्ष की इसी प्रकार की सूचना देते हुए एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9222/75)

(ख) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग, उपक्रमों द्वारा, निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत रहने की बाबत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के अन्तर्गत अधिदेशक शक्तियों का प्रयोग करता है ।

(ग) उपक्रमों द्वारा निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत रहने की बाबत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा की गई जांचों के ब्यौरे, तथा इनके परिणाम, आयोग के कार्यकरण पर तीन वार्षिक रिपोर्टों में सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये हैं ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुनों का मूल्य बढ़ाना

3819. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनी 'हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड' ने मूल्यों पर से मूल्य नियंत्रण हटाने के बाद से लाइफ ब्याय, लक्स, रेक्सोना और सनलाइट का मूल्य बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां । अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण के उठाने के बाद साबुन का मूल्य मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के साबुनों सहित मूल्य बढ़ गये हैं ।

(ख) इससे पूर्व मूल्य नियंत्रण उठाने से पहले इंडियन सोपस एण्ड टाइलेटरीज मैसर्स एसोसियेशन ने अभ्यावेदन दिया था कि साबुनों के अलाभप्रद मूल्यों के ध्यान में रखते हुए वे वर्तमान मूल्यों पर पर्याप्त तेल की खरीद करने में असमर्थ थी । सरकार स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं ।

Delimitation of Constituencies

*3820. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which the work of delimitation of constituencies is likely to be completed in the whole of the country; and

(b) whether Government propose to hold elections without even completing the work of delimitation of constituencies ?

The Minister of Law Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) :

(a) It is expected to be completed by May, 1975.

(b) No such proposal is under consideration.

साबुनों पर मूल्य नियंत्रण

3821. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के साबुनों पर से मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया है;

(ख) क्या हमाम, रैक्सोना, लक्स और लाइफबाय जैसे आम प्रयोग के साबुनों की कीमतों में इस बीच 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या इन साबुनों के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप इनकी भारी कमी अभी भी बनी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इनका उत्पादन बढ़ाने, इनकी उपलब्धता में वृद्धि करने तथा इनके मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) साबुन मूल्यों पर अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण जिसके अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में साबुन निर्माताओं के लिये प्रसिद्ध किसम के कपड़े धोने तथा नहाने के साबुन के मूल्यों में संशोधन करने से पहले सरकार के साथ परामर्श आवश्यक थी । 19 सितम्बर 1974 से हटा दिया गया था ।

(ख) और (ग) अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण के हटाने के बाद यद्यपि साबुन के मूल्य बढ़े है साबुन की उपलब्धि की स्थिति में सुधार हुआ है और अभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है फिर भी सरकार कीमतों पर निगाह रख रही है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

इंडियन एक्सप्रैस और आंध्र प्रभा समाचार पत्र समूह के विरुद्ध अनिर्णित पड़े आपराधिक मामले

3822. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एक्सप्रैस और आंध्र प्रभा समाचार पत्र समूह तथा श्री आर० एन० गोयन्का से संबंधित फर्मों के विरूद्ध उन आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर जांच हो रही है अथवा जो अनिर्णित पड़े हैं तथा उनके शीघ्र निपटाने क लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मै० नेशनल कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री आर० एन० गोइन्का तथा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 409, 477-क भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 120-ख तथा धारा 409 व 477 के भारतीय दंड संहिता, के अन्तर्गत एक मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है ।

उपरोक्त कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग के विरूद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 120-ख भारतीय दंड सहिता धारा 420, 467 व 471 भारतीय दंड सहिता क अन्तर्गत एक अन्य मामला, चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । यह मामला, न्यायालय में अपराधियों द्वारा वादवालिक याचिकाओं के दायर कर दिये जाने के कारण प्रगति न कर सका । यह मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षा के लिये अनिर्णीत है ।

आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने जांच करने के पश्चात्, स्पेशल प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, मद्रास के न्यायालय में, धारा 420 भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 120-ख भारतीय दंड संहिता, धारा 471, 477-क भारतीय दंड संहिता के साथ पठित धारा 467 के अन्तर्गत अपराधों के लिये, 21–5–1973 को एक आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया है । यह मामला अब चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास के समक्ष अनिर्णीत है ।

अनिवार्य 'वल्क' औषधियों पर मूल्य नियंत्रण

3823. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'वल्क' औषधियों के लगभग 200 मदों के मूल्य ढांचे पर विचार करने के बजाय अनिवार्य फार्म्युलेशनों में प्रयोग किये जाने वाले केवल कुछ अनिवार्य 'वल्क' औषधियों तक ही मुल्य नियंत्रण को सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारत सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति नियुक्त की है जिस के विचारार्थ विषयों में और बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :–

"ग्राहकों के लिये औषधों के मूल्यों में कमी किये जाने के संबंध में अब तक अपनाये गये उपायों की जांच करना तथा ऐसे और उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों की कीमतें युक्तिसंगत करने के लिये आवश्यक हों"।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों, जिन के अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत किये जाने की संभावना हैं के प्रकाश में सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

मैसर्ज स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट इण्ड कम्पनी का सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण

3824. **श्री मधु दंडवत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्थित स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता का पूर्ण प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव त्याग दिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैसर्स स्मिथ सेटनीस्ट्रीट तथा कंपनी के पुर्नवास/पुनः निर्माण और भावी स्वरूप के पूरे प्रश्न पर आई० बी० पी० एल० और भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण निगम के परामर्श से सरकार द्वारा विस्तृत रूप में, जांच की जा रही है ।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त समिति की अंतरिम रिपोर्ट

3825. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जयप्रकाश नायरायण द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रकाशित निर्वाचन प्रणाली में सुधारों के बारे में अन्तरिम रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) कुछ समाचार पत्रों ने निर्वाचन विधेयक सुधारों से संबंधित उन सुझावों के, जिनकी बाबत यह कहा जाता है कि वे श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त तारकुंडे समिति द्वारा दिये गये हैं, बारे में समाचार प्रकाशित किये हैं । निर्वाचन विधि के संशोधन के प्रस्तावों पर संसद् की एक संयुक्त समिति ने विचार किया था और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं, सामान्यतः उनक आधार

पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में व्यापक रूप से संशोधन करने के लिये एक विधेयक लोक सभा में पुनःस्थापित किया गया था और उस सदन में वह अभी विचाराधीन है। इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह इस बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेगी।

चोपन और सिंगरौली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ी

3827. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित नवीनतम रेलवे टाईम टेबल में चोपन और सिंगरौली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ी का विद्यमान होना दिखाया गया है ;

(ख) क्या उक्त गाड़ी दोनों स्थानों के बीच वास्तव में नहीं चल रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस गाड़ी को टाईम टेबल में दिखाए जाने के बाद भी न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिहं) : (क) से (ग) 1—10—1974 से लागू होने वाली समय सारणी में पूर्व रेलवे के चोंगल—सिंगरौली खण्ड पर इस प्रत्याशा में एक जोड़ी मिली जुली गाडी नं० 1 सी० एस० 2 सी० एस० को चलाने का विचार था कि रेल संरक्षा के अपर आयुक्त से इस खण्ड को यात्री यातायात के लिये खोले जाने की मंजूरी मिल जायगी। चूंकि रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की मंजूरी समय पर नही मिली थी अतः जनता के सूचनार्थ इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी कि यह गाड़ी बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से चलाई जायगी। अपर आयुक्त की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

देश के भीतर स्थलीय और समुद्र तट से दूर तल की खोज के लिए वित्तीय संसाधन

3828. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में वास्तविक सफलता देश के अन्दर स्थलीय और समुद्र—तट से दूर दोनों प्रकार के स्त्रोतों का पता लगाने पर निर्भर करती है। और वर्तमान वित्तीय संसाधनों की स्थिति के अनुसार अगले तीन वर्षों के भीतर वह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता ;

(ख) क्या वर्तमान प्रयासों में तीव्र गति लाये बिना खोज-कार्य का लागत-व्यय बढ़ जायगा औरदेश के लिए आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति और मंद हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तेल की खोज के लिए एक दूसरे राष्ट्रीय एजेंसी को गठित करने की वांछनीयता पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) तेल के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्रतिशित क्षेत्रों में तीव्र अन्वेषण तथा तेल के बड़े भंडारों के प्राप्ति पर निर्भर है। सरकार का यह प्रयत्न है अन्वेषणकार्य को बढ़ाया जाये खोजे गये तेल क्षेत्रों का शीघ्र विकास किया जाये। स्वदेशी तेल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों के कारण कोई रुकावट नहीं होगी। तेल अन्वेषण के लिए किसी नये कार्यकारी उपक्रम की स्थापना की सरकार की कोई योजना नहीं है।

तेल के लिये सर्वेक्षण

3829. **श्री नरेंद्र कुमार सांधी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जिन स्थानों पर तेल के लिए सर्वेक्षण हो रहा है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तेल मिलने की संभावना निश्चित कर ली गई है और अन्य स्थानों के बारे में क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) क्या तटदूर क्षेत्रों, विशेषकर नदी बेसिनों का कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों में तेल मिलने की कितनी संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) वर्तमान में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 26 भू-चुम्बकीय, 5 गुरुत्वाकर्षण-व-चुम्बकीय और 14 भू-गर्भीय क्षेत्र पार्टियां, निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल सम्बन्धी अन्वेषी सर्वेक्षण कर रहे हैं :–

राज्य	भू-गर्भीय सर्वेक्षण के लिए स्थल	भू-भौतकीय सर्वेक्षण के लिए स्थल
1	2	3
असम	भैरवी एन्टीक्लाईन मिकिर डिल्स कोपीली घाटी	सिवसागर
पश्चिमी बंगाल	–	बरद्वान, बांकुरा, 24-परगना नादिया जिला ।
मिजोराम	जनपाई एन्टीक्लाईन का भाग	–
त्रिपुरा	अथरमुरा एन्टीक्लाईन और जनपाई एन्टीक्लाईन का भाग	–
नागालैंड	नागा हिल्स	–
अरुणाचल प्रदेश	सिमा परबट एन्टीक्लाईन भारेली और दिकरांग नदियों के बीच	–
उड़ीसा	–	कटक और बालासौर जिले ।
आंन्ध्र प्रदेश	–	अदिलाबाद, करीमनगर वारंगल और पश्चिमी गोदावरी जिले ।
तामिल नाद	पालर और पन्नाइयार थाल	तंजौर जिला
मध्य प्रदेश	होसंगाबाद-वेतुल, पिपारिया छिनद्वारा और गदर-वारा-पारासिया क्षेत्रों का ।	–

1	2	3
महाराष्ट्र	पश्चिम में वारधा नदी, पूर्व में अन्धेरी नदी तक चंदा के इर्द-गिर्द।	–
गुजरात	–	बोच, बड़ौदा, कैरा, अहमदाबाद, मेहसाना और साबरकन्था।
राजस्थान	पश्चिम में किचांद-बाद कोलायल तथा नागपुर के दक्षिण में रौलकाजियान से पूर्व में बीकानेर के उत्तर तक	जैसलमेर और बिकानेर जिलों में।
हिमाचल प्रदेश	–	कांगड़ा और हमीरपुर जिले।
उत्तर प्रदेश	–	शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत जिले।
		आयल इण्डिया लिमिटेड ने असम में अपने नहौर-काटिया और मोरान के दो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों के प्राप्त भंडारों की सीमा तथा संसाधनों को विकसित करने के अतिरिक्त तेंगारवी, नागाजान, जोराजान और ताराजान क्षेत्रों (सब असम में) तथा अरुणाचल प्रदेश में खरसांग पर तेल के लिए राइन अन्वेषी कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) असम में गलकी वोरडोल्ला, अमगुरी और चरेली में तेल प्राप्त कर लिया गया है। व्यधन हेतु अनुकूल संरचनाओं की खोज के लिए, अन्य क्षेत्रों में अन्वेषी कार्य-कलाप जारी हैं।

(ग) जी, हां। तथापि संभाव्यताओं के बारे में जानकारी, केवल विस्तरित सर्वेक्षणों तथा कूपों के व्यधन और परीक्षण किये जाने के बाद हो सकती है।

निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

3830. **श्री समर गुह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 से अब तक निर्वाचिन संबंधी सुधारों के बारे में सरकार को अनेक रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ? ;

(ग) इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) से (ग) निर्वाचन विधि में संशोधन से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट 13 मार्च 1972 को सदन के पटल पर रख दी गई थी ।

पांचवे साधारण निर्वाचन (1971-72) पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ निर्वाचन विधि के संशोधन के लिए कतिपय सुझाव भी थे, 27 फरवरी 1975 को सदन के पटल पर रख दी गई थी।

(घ) उक्त रिपोर्टों का अध्ययन करने के पश्चात् लोक प्रधिनित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में व्यापक रूप से संशोधन करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में पुनःस्थापित किया गया था और वह सदन में अभी विचाराधीन है । इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह इस बारे में राजनितिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेगी ।

इस्लामी विधि सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव

3831. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक विधि वोर्ड (आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला वोर्ड) का विचार विश्व भर में मुस्लिम वैयक्तिक विधि संबंधी स्थिति का पुनर्विलोकन करने क लिए भारत में एक इस्लामी विधि सम्मेलन आयोजित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

रेलवे हड़ताल के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल, एस० ए० पी० प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के लिये सवारी डिब्बे

3832. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री रेलवे हड़ताल के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा दल, एस० ए० पी० प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के लिए सवारी डिब्बों के बारे में 17 दिसम्बर 1974 के आरांकित प्रश्न संख्या 4917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मांगी गई जानकारी कब तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां और यह सूचना 1-3-1975 को दी जा चुकी है।

(ख) गत रेल हड़ताल के दौरान केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा दल, विशेष सशस्त्र पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र पलिस के कर्मचारियों के निवास के लिए 237 सवारी डिब्बे उपलब्ध किये गयें थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी निदेशकों को पारिश्रमिक

3833. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री कम्पनी निदेशकों को पारिश्रमिक के भुगतान के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न कम्पनियों अर्थात् (एक) कालगेट-पामोलिव (दो) बाटा शू कम्पनी (तीन) इंडिया टोबैको कम्पनी (चार) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (पांच) शा वालेस कम्पनी (छः) ग्रामोफोन कम्पनी (सात) हिन्दुस्तान लीवर (आठ) यूनियन कार्बाइड (नौ) ब्रुक बाण्ड कम्पनी और (दस) हिन्द मोटर्स लि० के प्रत्येक अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशकों और निदेशक को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों, कमीशनों और वेतनेतर लाभों के रूप में अदा की गई कुल धनराशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक निदेशक को दिये गये वेतनेतर लाभों की कुल लागत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में नवम्बर, 1969 में सरकार द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सख्ती से पालन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

अरब के तेल उत्पादक देशों के साथ समझौते

3834. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के आयात के लिये अरब के तेल उत्पादक देशों के साथ दीर्घावधि आधार पर किये गए समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या तेल की आयात पर आने वाली कुछ लागत को उन देशों को कुछ विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात से पूरा कराने के लिये बातचीत की गई थी और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) वर्ष 1975 के दौरान अरब तेल उत्पादक देशों के साथ अशोधित तेल के आयात हेतु निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

देश का नाम	मात्रा (मिटरी टनों) में
ईराक	28
साउदी अरब	11
संयुक्त अरब अमीरात	100

इन सप्लाईयों की द्विपक्षीय आधार पर व्यवस्था की गई है । अन्य व्यौरों के बारे में बताना जन हित में नहीं होगा ।

(ख) जी, नहीं ।

डल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल-मार्ग के लिए सर्वेक्षण

3835. **श्री बी० आर० मनहर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल-मार्ग के लिये सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) और (ख) ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन के निर्माण के लिये अंतिम स्थान निर्धारण-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम पहले ही पुरा किया जा चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि 241 कि० मी० लम्बी इस परियोजना पर 46 करोड़ रुपये लागत आयेगी और भाप-कर्षण से 7.84 प्रतिशत तथा डीज़ल-कर्षण से 7.97 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा । रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

केरल तट पर समुद्रतट से दूर खुदाई-कार्य करने के बारे में केरल के मुख्य मंत्री से सुझाव

3836. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करल के मुख्य मंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें केरल तट पर समुद्र-तट से दूर खुदाई करने संबंधी निर्णय पर उनसे पुर्नविचार करने क लिये अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केरल के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) उस समय के पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को आपने पत्र में केरल के मुख्य मंत्री ने केरल के तट पर तेल अन्वेषण शीघ्र आरम्भ करने के लिये आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया था। उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया था कि उपलब्ध सूचना के आधार पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में खुदाई कार्य का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्य मंत्री को यह भी बताया गया था कि तेल अन्वेषण बहुत ही खतरनाक है और महंगा कार्य है और अधिक प्रत्याशित क्षेत्रों, चाहे वे तटीय या अपतटीय हो, को ऊंची प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण की संभावना पर भविष्य में, जब साधन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध होंगें विचार किया जायेगा।

कच्चे तेल का उत्पादन तथा आयात

3837. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री चौ० राम प्रकाश : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के कुंओं से कितना अशोधित तेल निकालने का निर्णय किया है और कितनी मात्रा में आयात किये जाने के लक्ष्य है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : 1974-75 में अनुमानित कच्चे तेल का उत्पादन तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिय लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	अनुमानित उत्पादन (मिलियन मी० टन)
1974-75	7.62
1975-76	8.46
1976-77	10.25
1977-78	11.25
1978-79	11.72

1974-75 में कच्चे तेल का आयात 13.0 मि० मी० टन होने की आशा है। पांचवी योजना के शेष वर्षों में आयात विदशी मुद्रा के उपलब्ध आबंटन पर निर्भर होगा।

Supply of Kerosene to States

3838. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantum of kerosene (black and white) and petrol supplied to various States in 1973 and 1974, separately ;

(b) the quantum thereof supplied or proposed to be supplied in 1975;

(c) whether Government supply it to the various States on the basis of population or on the basis of consumption;

(d) whether according to population, Bihar occupies second place among the States and it receives less quantity of kerosene and petrol in comparison to other States; and

(e) whether Government propose to supply the oil on equitable basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) Statement, showing Statewise sales of Superior Kerosene (White Kerosene) during 1973 and 1974, is attached. [Placed in library see No. L.T.-9223/75] Inferior Kerosene (Black Kerosene) is not being produced/marketed in the country at present. With regard to Motor spirit (Petrol), information is not being maintained on a statewise basis.

(b)(i) Motor Spirit is at present being distributed freely. Its demand declined by about 21·5% in 1974 as compared with 1975. It is expected to maintain supplies at the current level of demands in 1975.

(ii) Since November, 1974, the cut on Kerosene was relaxed and some increases were made in the State quotas. This level of allocation is proposed to be maintained for the present.

(c) Kerosene allocations are based on past consumption trends giving a suitable margin for other factors which have a bearing on consumption like the availability of alternative fuels; extent of electrification; and certain seasonal factors.

(d) Does not arise in view of (c) above.

(e) The present system of supplies is considered equitable and proper.

Cancellation of Trains from Samastipur sub Division to Bagaha

3839. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether several trains of Samastipur sub division particulary trains from Samastipur to Bagaba via Muzzafarpur or Darbhanga were cancelled about a year ago ;

(b) whether people are facing great inconveniences as a result thereof; and

(c) if so, the time by which Government propose to resume these train services?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :(a) A total of 13 pairs of passenger train remain cancelled in Samastipur Division including one out of two pairs of trains scheduled to run between Mazafarpur and Bagaha. No direct train is scheduled to run between Darbhanga and Bagaha.

(b) No, in view of alternative services being available.

(c) In consonance with the building of Railway's coal stocks, the required number of cancelled services including those on Samastipur Division are being gradually restored from 1-3-1975.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम को पश्चिम बंगाल राज्य में लागू करने के बारे में राज्य के मुख्य मंत्री के विचार

3840. **श्री रानेन सेन** }
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी } : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा बंगाल चैम्बर आफ कामर्स की आम वार्षिक बैठक में भाषण करते समय व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम को राज्य में लागू किये जाने का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कुछ अखबारों में इस बाबत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें मुख्य मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया सूचित हुआ है कि एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्यान्वयन से अन्य राज्यों की बजाय पश्चिमी बंगाल में प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, परन्तु केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के ठहराये गये वक्तव्य की कोई सूचना नहीं है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के प्रशासन से सम्बन्धित सुमान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत नीतियों से उन राज्यों, जिनमें इसे लागू करती है, को विचलित करने का इरादा नहीं रखती ।

कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही 'रेलवेज'

3841. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी कुछ ऐसी रेलवेज़ हैं जो विदेशों में पंजीकृत कम्पनियों के अधीन हैं और उन्हीं द्वारा चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं, वे कहां-कहां पर हैं और उनके अधीन कितने किलोमीटर लाइन हैं ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इनका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उसकी मांग में कमी

3842. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग में कितने प्रतिशत कमी हुई है ; और

(ग) क्या मांग की यह कमी विश्वव्यापी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) जी हां । वर्ष 1973 में 23.49 मिलियन मी० टन की तुलना में पेट्रोलियम पदार्थों का 1974 में उपभोग 22.75 मिलियन मी० टन था और इस प्रकार 3.1 प्रतिशत की कमी हुई ।

(ग) यह मुख्य रूप से नियन्त्रण तथा वित्तीय उपायों द्वारा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण हैं । तथापि, उपभोग के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों से देखा गया है कि प्रमुख उपभोक्ता देशों जैसे यू०एस० ए०, जापान, फ्रांस, जर्मन गणतन्त्र संघ, इटली और यू० के० में भी उपभोग में कमी हुई है ।

परिचालन कर्मचारियों की कार्य-अपेक्षाओं के लिये मनो-तकनीकी 'सेल'

3843. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनो-तकनीकी 'सेल' ने परिचालन कर्मचारियों की कार्य-अपेक्षाओं का निर्धारण करने तथा व्यवसायिक सफलता एवं सुरक्षित कार्यकरण के लिये आवश्यक कौशल और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिये अनेक मनो-तकनीकी परीक्षण तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि किसी भी दुर्घटना के लिये उत्तरदायी कारणों में आज तक मानवीय असफलता को ही सबसे बड़ा कारण माना गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । परिचालनिक संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ के मनो-तकनीकी कक्ष ने गाड़ी संचालन और गाड़ी पास करने वाले कर्मचारियों की भर्ती/प्रवरण के लिए मनोवैज्ञानिक जांच के तरीके निकाले हैं ।

(ख) दुर्घटनाओं पर इन परीक्षणों के प्रभाव के बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता क्योंकि अब तक इन्हें बहुत थोड़े कर्मचारियों पर ही लागू किया गया है और वह भी अभी हाल में । लेकिन केवल कार्य सम्बन्धी योग्यता और कौशल ही ऐसे तत्व नहीं हैं जिनके कारण मानव तत्व द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं ।

मिरज स्टेशन पर मीटर गेज लाइन पर माल शैड का विस्तार

3844. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, हुबली, दक्षिण मध्य रेलवे को सिरज स्टेशन पर मीटरगेज लाइन पर माल शेड के विस्तार से सम्बन्धित चैम्बर आफ कामर्स, सांगली की ओर से दिनांक 28 मार्च, 1974 और 24 जुलाई, 1974 के अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों को हो रही कठिनाइयां दूर करने के लिये इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 24 जुलाई, 1974 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) धन उपलब्ध हुआ तो मिरज स्टेशन के मालगोदाम का विस्तार किया जायेगा।

Share Capital of Sugar Mills

3845. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the share capital of each of the sugar companies i.e. the Jaora Sugar Mills Private Ltd., Govindrai Modi Sugar Mills, Mahidpur and Jiwajirao Sugar Mills Dalauda located in Jaora, Mahidpur and Dalauda cities in Madhya Pradesh, respectively ;

(b) the names of shareholders in each of the said mills; and

(c) the names of the members of the Board of Directors and selling agent or sole selling agent of the said mills ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company affairs (Shri Bedabrata Barua : (a) Share capital of Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd. as on 30-4-74 of Jiwajirao Sugar Co. Ltd. as on 29-3-1974 was Rs. 30·22 lakhs and Rs. 21·95 lakhs respectively. Govindrai Modi Suger Mills, Mahidpur does not seem to be a company registered under the Companies Act.

(b) The names of shareholders are given in the Annual Return filed by the companies with the Registrar of Companies and is available for inspection by the public on payment of a nominal fee. In this case the Annual Returns will be available, in the office of the Registrar of Companies, Madhya Pradesh Gwalior.

(c) The composition of the Board of Directors of the two companies is given as under :—

Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd.,(As per Annual Return made upto 30-4-74).

(i) Bankatlal Nandlalji Tody.

(ii) Vishwanath Radheshyamji Tody.

(iii) Smt. Banarsibai Nandlalji Tody.

(iv) V.R. Kanungo (Nominee of M.P. Finance Corporation).

Jiwajirao Sugar Co. Ltd. Dalauda. (As per Annual Return made upto 29-3-1974).

(i) Basudeo Prasad Agarwalla.

(ii) Mahavir Prasad Agarwal.

(iii) Satchitananda M. Deo (Nominee of M.P. Govt.)

(iv) V.S. Tripathi (Nominee of M.P. Govt.).

(v) Naresh Chandra Seksaria.

(vi) Jehangir F. Shroff.

M/s. Kalooram Govindram are the Selling Agents of Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd. and M/s. Vijay Kumar and Company are the Selling Agents of Jiwajirao Sugar Co. Ltd.

विदेशी श्रौषध फर्मों की मूल श्रौर वर्तमान इक्विटी पूंजी

3846. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पेट्रोलियम श्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 से 50 प्रतिशत के बीच इक्विटी पूंजी वाली विदेशी श्रौषध-निर्माता फर्मों की मूल श्रौर वर्तमान इक्विटी पूंजी-विदेशी, प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष, कितनी है, इन्होंने यदि कोई बोनस शेयर जारी किये तो वे कितने हैं श्रन्य कामों के लिये जारी की गई इक्विटी पूंजी कितनी है श्रौर प्रदत्त पूंजी कितनी है तथा इस इक्विटी पूजी के श्राधार पर इन फर्मों ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कितनी राशि श्रपने देशों को भेजी ;

(ख) इस श्रवधि की श्रधिकृत, श्रधिमानात्मक श्रौर साधारण पूंजी कितनी है, जारी की गई श्रधिमानात्मक श्रौर साधारण पूंजी कितनी है, विदेशी होल्डिंग्ज (प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष) बिक्री, व्यापार, करों सहित कुल मुनाफा कितना है ;

(ग) इन फर्मों को गत तीन वर्षों के दौरान कितने श्रौद्योगिक लाइसेंस, श्रनापत्ति पत्र श्रौर श्रनुमति-पत्र मंजूर/रद्द किये गए, श्रौर

(घ) इस श्रवधि में प्रत्येक वर्ष में श्रलग-श्रलग श्रत्याधिक खपत वाली श्रौषधियों (बल्कडग्स) का श्रौषधिकरण श्रौर फर्मवार कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुश्रा ।

पेट्रोलियम श्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० श्रार० गणेश) : (क) श्रौर (ख) जिन कम्पनियों के पास 40 से 50 प्रतिशत तक विदेशी साम्यपूंजी हैं उनके संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9224/75**)

(ग) पिछले तीन वर्षों, दिसम्बर, 1974 तक, के दौरान दिये गये श्रौद्योगिक लाइसेंसों श्रौर श्रस्वीकृत श्रावेदनों का विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। इस श्रवधि के दौरान इन कम्पनियों को कोई श्रनुमति/श्रनापत्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है श्रौर सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बरौनी उर्वरक संयंत्र का पूरा किया जाना

3847. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक संयंत्र पूरा हो गया है और चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कुल कितनी लागत आई है और इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत से इसकी क्या तुलना है ; और

(ग) इस संयंत्र में उत्पादन किस स्तर पर हो रहा है और इसमें पूरी क्षमता पर उत्पादन कब से होने लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) परियोजना यांत्रिक रूप से मुकम्मल है और इसके शीघ्र चालू कर दिये जाने की आशा है; इस समय परीक्षण तथा पूर्व-कार्यान्वियन कार्य किये जा रहे हैं।

परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 68.84 करोड़ रुपये है जबकि प्रारम्भ में लागत का अनुमान 35.14 करोड़ रुपये था।

(ग) परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना में लगभग 1,50,000 मी० टन यूरिया का उत्पादन होगा और उत्पादन के सामान्य स्तर प्राप्त करने के लिये लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

औषधि उद्योग के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

3848. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पी० गंगादेव
श्री एन० ई० होरो
श्री डी० डी० देसाई

: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग की आर्थिक स्वाधीनता और उसके भविष्य के बारे में, दिसम्बर 1974 में नई दिल्ली में आयोजित किये गये राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि हमारे जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों के लिए केवल 104 मूलभूत औषधियां और 200 फार्मूलेशन पर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) 21 और 22 दिसम्बर 1974 को हुए औषध उद्योग की आर्थिक स्वतंत्रता और सापेक्ष महत्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि प्रपुंज औषधों, टीके और सेरा जो अन्तिम रूप से संख्या में 99 माने गये हैं तथा 10 समूहों के अन्तर्गत कुछ चुने हुए सूत्र योगों के उत्पादन की ओर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जयसुखलाल हाथी के नेतृत्व में औषध एवं भेषज उद्योग पर संगठित समिति ने भी आम जनता को विशेष रूप से ग्रामीय क्षेत्रों में आवश्यक औषधियां तथा साधारण घरेलू दवाईयां उपलब्ध करने के उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो 4 मार्च 1975 को सभा पटल पर रखी गई थी। सम्मेलन की सिफारिशों पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर जांच की जा रही है।

बांदा के निकट गाड़ी में डकैती

3849. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पी० गंगादेव
श्री डी० डी० देसाई
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1975 की रात्रि को बांदा के निकट गाड़ी में डाका पड़ा था ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 10 फरवरी, 1975 की रात में बांदा के पास कोई ट्रेन डकैती नहीं हुई। लेकिन 10-2-75 को पटारा और कठारा रेलवे स्टेशनों के बीच 109 डाउन बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस में एक डकैती हुई थी।

(ख) 10-2-1975 को 7/8 डाकुओं का दल, जो देशी पिस्तौलों, रिवाल्वरों और लोहे की छड़ों से लेस था, 109 डाउन (बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस) के दूसरे दर्जे के डिब्बे में घुस गया और उन्होंने दो यात्रियों पर हमला कर उनकी नकद राशि और लगभग 56,470 रुपये के मूल्य की अन्य वस्तुओं को लूट लिया। उन्होंने वेकुअम नष्ट कर दिया और इसके बाद वे भाग गये। गाड़ी पर यात्रा करने वाले हथियार बन्द रेलवे पुलिस कर्मचारियों ने उनका पीछा किया लेकिन वे अपराधियों को पकड़ नहीं पाये। सरकारी रेलवे पुलिस, बांदा ने एक मामला दर्ज कर लिया है और उसने जांच का काम शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

1 जनवरी, 1974 और 1 जनवरी, 1975 को यात्री रेलगाड़ियों की संख्या

3850. **श्री शरद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 को, जोन-वार, सभी तरह की कितनी यात्री रेलगाड़ियां चल रही थीं ;

(ख) 1 जनवरी, 1975 को कितनी यात्री रेलगाड़ियां चल रही थीं ;

(ग) इस अवधि के दौरान कोयले बिजली डीजल की कमी के कारण कितनी रेल गाड़ियों को रद्द किया गया और

(घ) सभी रद्द की गई रेल गाड़ियों को पुनः कब चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरवा उर्वरक संयंत्र की लागत

3851. **श्री बी० एस० चौहान** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरवा उर्वरक परियोजना की कुल लागत क्या है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ;

(ग) वर्ष 1975-76 में परियोजना पर कितना धन व्यय किया जाना है ; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 150,00 करोड़ रुपये ।

(ख) 31-12-74 तक 4.57 करोड़ रुपये ।

(ग) 4.00 करोड़ रुपये ।

(घ) संसाधनों की स्थिति का सम्भव ध्यान रखते हुए परियोजना के कार्यान्वियन को पुन: चरण बद्ध किया जा रहा है ।

मिट्टी के तेल का उत्पादन और आयात

3852. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री के० लकप्पा } क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष मिटटी के तेल का कितना उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है; और

(ख) देश के उत्पादन में वृद्धि करने की कितनी गुंजाइश है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1974 में मिट्टी के तेल का स्वदेशी उत्पादन लगभग 20 मिलियन टन तथा आयात लगभग 0.88 मिलियन टन था ।

(ख) मिटटी के तेल के उत्पादन अधिक कच्चे तेल का शोधन करके बढ़ाया जा सकता है । यह कुछ हद तक विमानन टर्बाइन ईंधन और हाई स्पीड डीजल तेल जो मिट्टी के तेल के साथ के मध्य आसुत समूह में आते हैं के उत्पादन को घटाकर बढ़ाया जा सकता है परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति की तथा कृषि और परिवहन के लिये आवश्यक निवेश के रूप में एटी० एफ तथा एच० एस० डी० की प्राथमिकता को विचार मे रखते हुए इन उत्पादों के उत्पादन को महत्व देना होगा और मूल्य पर मिट्टी के तेल के उत्पादन को बढ़ाना उचित नहीं होगा।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

3853. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत सी औषधियों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि हुई है ; और

(ख) औषध बाजार में मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषधी के मूल्य सांविधिक तौर पर औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। तथापि, औषध एवं भेषजों के उन यूनिटों, जिन की वार्षिक कुल बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को अपने उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण संशोधन करने के लिय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बारे में छूट दी गई है।

सक्षम प्राधिकारी अर्थात् औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/संबंधित मंत्रालयों आदि द्वारा आवश्यक जांच किये जाने के बाद प्रपुंज औषधों रसायनों तथा मध्यवर्ती पदार्थों, पैकिंग सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मूल्य में वृद्धि किये जाने की इजाजत दी गई है।

(ख) सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर एक समिति नियुक्त की है, जिस के, और बातों के साथ-साथ, विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित भी शामिल है :—

"ग्राहक क लिये औषधों के मूल्य कम करने के संबंध में अब तक अपनाये गये उपायों की जांच करना तथा इस प्रकार क ऐसे और उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों तथा सूत्र भोगों के मूल्य युक्तिसंगत करने के लिये आवश्यक हो।" समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायगी। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट अप्रैल। 1975 में प्रस्तुत कर देगी। तथापि आवश्यक जीवन रक्षक औषधों की अत्यधिक उपलब्धता तथा उनके उत्पादन लागत को कम करने के लिये आवश्यक उपायों का पता लगाने के हेतु औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र तथा औषधों के उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के साथ विचार विमर्श आरम्भ किये गये हैं।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा परिलब्धियां

3854. **श्री शंकर राव सावन्त :**
श्री पी० जी० मावलंकर :
} **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या वेतन तथा परिलब्धियां दी जाती हैं ;

(ख) क्या इन वेतनों तथा परिलब्धियों को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रकार का है तथा इसको कब से लागू किया जायगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कुछ परिलब्धियां उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । इस प्रयोजनार्थ एक विधेयक उचित समय पर संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

विवरण

	वेतन	अन्य परिलब्धियां
1. भारत के मुख्य न्यायाधिपति	5,000 रु० प्रतिमास	1. निःशुल्क सुसज्जित आवास । 2. जल और विद्युत पर प्रतिमास किये गये 200 रु० तक के व्यय की प्रतिपूर्ति ।
2. उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	4,000 रु० प्रतिमास	1. निःशुल्क सुसज्जित आवास । 2. जल और विद्युत पर प्रतिमास किये गये 200 रु० तक के व्यय की प्रतिपूर्ति ।
3. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति	4,000 रु० प्रतिमास	
4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	3,500 रु० प्रतिमास	

जनता साबुनों की किस्म

3855. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तथाकथित जनता साबुन और नहाने के अन्य सस्ते किस्म के साबुनों की किस्म उनके पहले के ब्रांडों की तुलना में घटिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त साबुनों की बेहतर किस्म सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र को एक जनता नहाने के साबुन का निर्माण करना था जिसकी 100

ग्राम की एक टिकिया को खुशबू और पैकिंग सामग्री में बचत करके तथा जिसमें कुल चर्बीयुक्त पदार्थों का अंश कम से कम 65 प्रतिशत रखकर, 1 रुपये से 1.05 पैसे बेचा जा सके। अब तक चार कम्पनियों द्वारा "जनता" नहाने के साबुन को बाजार में लाया गया है। ये नये ब्रांड हैं और इनका पहले के ब्राण्डों से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा ये कुल चर्बीयुक्त पदार्थों के सम्बन्ध में शर्तों के अनुरूप हैं। तथापि सरकार इस सम्बन्ध में देख रेख कर रही है। जनता नहाने के साबुन का उत्पादन अब 900 मीटरी टन प्रति माह है।

तेल शोधक कारखानों में डामर (विटूमन) की बहुतायत

3856. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डामर की बहुतायत होने के क्या कारण हैं जिससे तेलशोधक कारखानों में मैले पानी की गंभीर समस्या और संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये डामर के भारी स्टाक को भट्टी तेल में बदलने के प्रस्ताव है ;

(ग) इस पदार्थ के लिये इस समय कितने निर्यात क्रिया देश मिले हुए हैं तथा क्या और क्रिया देश मिलने की भी कोई संभावना है ; और

(घ) इसके उत्पादन की तुलना में देश में ही इसके उपभोग के लिये इस समय कितनी मांग है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) बचत के बारे में किये गये अनेक उपायों के कारण, 1973 की तुलना में वर्ष 1974 में बिट्मैन की बिक्री में लगभग 23.2 प्रतिशत की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समग्र बिटुमैन वस्तु सूची में सीमान्त वृद्धि हुई। कुछ शोधनशालाओं में स्टाकों में वृद्धि हो जाने के कारण, छीज की समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसे उत्पादन में कमी करके सुलझाया गया।

(ख) जबकि तैयार किये गये बिटुमैन का भट्टी के तेल में परिवर्तन किया जाना साधारणतया संभव नहीं है, लेकिन बिटुमैन का नया उत्पादन करना संभव है जिसे भट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।

(ग) 22,000 मीटरी टन तक के निर्यात आर्डर इस समय भी हाथ में हैं। 2 वर्षों की अवधि में, अन्य 3 लाख मीटरी टन की मात्रा के निर्यात किये जाने की संभावना है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1975 के अन्तर्गत आंतरिक खपत के लिये लगभग 900,000 मीटरी टन की मात्रा की मांग का अनुमान है। आंतरिक खपत हेतु वास्तविक माल उठाए जाने के आधार पर तथा वास्तविक निर्यात के अनुसार, उत्पादन को नियंत्रित किया जाएगा।

निश्चित मूल्यों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध करने के लिए योजना।

3857. **श्री वसन्त साठे**
श्री धामनकर } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री के० मालन्ना

(क) विभिन्न स्तरों पर मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोकने के लिये निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को औषधियां उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या पुराने तथा नये एककों और लघु एककों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की अधिक खपत वाली औषधियों के लिये विभिन्न मूल्यों की प्रणाली लागू करके और किसी केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से उन्हें खरीद कर तथा समान समूहीकृत मूल्य पर फार्मुलेशन निर्माताओं को उन्हें बेचकर, अधिक खपत वाली औषधियों के निर्माण के लिये नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने की सम्भावना सम्भावयता का पता लगाने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत औषधो के मूल्यों पर सावधिक नियंत्रण है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी फुटकर विक्रेता को किसी सूत्रयोग की बिक्री केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत उस सूत्रयोग के फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं करनी चाहिये। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के सम्बन्धित व्यवस्थाओं में इस आशय से संशोधन किया गया है जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में दिये गये उस सूत्रयोग के फुटकर मूल्यों से अधिक मूल्यों पर अथवा सूत्रयोग के डिब्बे के लेबिल पर दर्शाया गया मूल्य, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य पर फुटकर विक्रेता उसे नहीं बेचेगा ।

(ख) सरकार ने औषध और भेषज उद्योग पर श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) औषध उद्योग की तीव्रगति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेषरूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफारिश करना है। समिति अपनी सिफारिश करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव संतुलित हो।

(ii) उपभोक्ताओं के लिये औषध मूल्यों को कम करने के लिये अब तक किये गये उपायों का निरीक्षण करना और मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिये जो उपाय आवश्यक हो उन उपायों की सिफारिश करना।

(iii) विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिये मूल औषध और कच्चे माल का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये सस्थानिक और अन्य प्रबन्धों की सिफारिश करना ।

प्रयुज औषधों के उत्पादन के लिये नये निवेश को आकर्षित करने के लिये अन्तीय मूल्य पद्धति को लागू करने की आवश्यकता पर एक एकीकृत निर्णय समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के संदर्भ में लिया जायेगा । समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1975 तक प्राप्त होने की आशा है ।

Work conducted in Hindi in Railways

3858. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether his Ministry has issued instruction to its all Departments to the effect that most of the work should be conducted in Hindi ;

(b) If so, the salient features thereof ;

(c) whether the examinations conducted by the Railway Service Commissions and also by the offices of the General Manager and Divisional Superintendent located in Hindi speaking areas will also be covered by these instructions ; and

(d) whether these instructions are only directive principles or whether Government will also take action against the officers not complying with these instructions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :(a) & (b) No sir. However, instructions have been issued to all Indian Railway Administrations, as well as all branches of the Board's Office that all communications irrespective of their language received from Ministers, Legislatures and others from Hindi speakig States should be replied to in Hindi. Letters received in English from the Non-Hindi areas may be replied to in English and as far as possible, Hindi version thereof should also accompany the same.

(c) As an experimental measure, candidates appearing at the written examinations, to be conducted by Railway Service Commission, Muzaffarpur for recruitment to non-technical class III posts on N.E. Railway, have been permitted to answer the Essay portion of English paper and full General Knowledge paper in Hindi. Besides, Railway employees have been permitted the optional use of Hindi as an alternative medium for answering various question papers, set in the qualifying and competitive departmental tests and examinations, in Railway offices, located in Hindi speaking areas.

(d) In terms of Official Languages Amendment Act, 1967 all Central Govt. employees including Railway employees are free to do their official work either in Hindi or English. However, every effort is made to ensure that instructions issued in regard to use of Hindi in Official work are strictly complied with.

Incidents of Dacoity and Loot Committed in Trains during the last three Months

†3859. **Shri Janeswar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of incidents of decoity and robbery committed in the running trains during the last three months;

(b) the full facts thereof; and

(c) whether Government have conducted any investigation in this regard and whether the persons found guilty were punished ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :(a) 29 cases of dacoities and 45 cases of robberies.

(b) and (c) : In 29 cases of dacoities, property worth Rs. 56,500 was looted and property worth Rs. 4495 recovered with the arrest of 50 persons. In 45 cases of robberies, property worth Rs. 65,750 was looted and property worth Rs. 6,003 was recovered. All these cases of decoity and robbery were registered by the Government Railway Police having jurisdiction and investigated. 30 persons have so far been arrested. Cases of persons arrested are either under investigation or trial.

बम्बई के लिये भूमिगत रेल परियोजना

3860. **श्री धमनकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बम्बई के लिये भूमिगत रेल परियोजना क्रियान्वित करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : पांचवी योजना की अवधि में किसी भूगत रेल योजना को शुरू करने का कार्यक्रम नहीं है ।

राक फास्फेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री का सुझाव

3861. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल के राजस्थान के दौरे के समय इस राज्य के मुख्य मंत्री ने उनके राक फास्फेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया था जिससे इस राज्य की खानों में बड़ी मात्रा में जमा अपरिष्कृत तथा तैयार राक फास्फेट का निपटारा हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां इस समय राक फास्फेट का स्वदेशी उत्पादन देश में इसकी कुल भाग से कम है और मांग को पूरा करने के लिये यथा संभव इसका आयात किया जाता है । अधिकतम फास्फाटिक उर्वरक निर्माता दोनों स्वदेशी और आयातित राक फास्फेट प्राप्त करते हैं । हाल ही में रिपोर्ट मिली है कि राजस्थान के झमरकोटरा में स्वदेशी राक फास्फेट का स्टाक इकट्ठा हो गया है और इसका मुख्य कारण था अनुमानित स्तर से अधिक उत्पादन तथा उर्वरक निर्माताओं की स्वदेशी राक के प्रयोग में आने वाली तकनीकी कठिनाइयां स्वदेश में उपलब्ध राक का अधिकतम प्रयोग करने के लिये हर प्रयत्न किये जा रहा है ।

उच्च न्यायालयों मे 45 वर्ष से कम आयु के न्यायाधीश

3862. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में 45 वर्ष से कम आयु के कुछ न्यायाधीश हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	न्यायाधीश का नाम
1	इलाहाबाद	न्यायाधीश के० सी० अग्रवाल
2	मुम्बई	न्यायाधीश पी० बी० सावन्त
3	मुम्बई	न्यायाधीश यू० आर० ललित
4	कलकत्ता	न्यायाधीश बी० सी० बसक
5	दिल्ली	न्यायाधीश योगेश्वर दयाल
6	गुजरात	न्यायाधीश पी० डी० देसाई
7	मध्यप्रदेश	न्यायाधीश जे० एस० वर्मा
8	पटना	न्यायाधीश एस० के० झा
9	पटना	न्यायाधीश एन० पी० सिंह
10	पटना	न्यायाधीश सय्यद अली अहमद
11	पंजाब और हरियाणा	न्यायाधीश डी० एस० टेवटिया
12	पंजाब और हरियाणा	न्यायाधीश बी० एस० ढिल्लों

संविधान में पन्द्रहवें संशोधन के पश्चात् नियुक्त किये गये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

3863. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में 45 वर्ष से कम आयु के ऐसे कुछ न्यायाधीश हैं जिन्हें भारतीय संविधान में पन्द्रहवें संशोधन के पश्चात् नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : उच्च न्यायाल्यवार रखी गई जानकारी नीचे दी जाती है :—

इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1
मुम्बई उच्च न्यायालय	2
कलकत्ता उच्च न्यायालय	1
दिल्ली उच्च न्यायालय	1
गुजरात उच्च न्यायालय	1
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	1
पटना उच्च न्यायालय	3
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	2

Confirmation of Employee in Eastern Railways

†3864. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees in Eastern Railway at present who have been working continuously for 5 years but have not yet been made permanent ; and

(b) whether Government would take action to make those temporary emoloyees permanent?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 4422.

(b) Confirmation of staff depends upon availability of permanent vacancies and staff fulfiling certain prescribed criteria. The policy of the Government is to confirm as many temporary staff as possible. In pursuance of these instructions, the Railway Administrations have instituted as special drive for conversion of temporary posts into permanent ones and confirming all the eligible staff against such posts. A special watch is being kept through periodical reports on the progress made in the matter of confirmation of staff.

Expenditure incurred on Clocks of North Eastern Railways

†3865. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of clocks installed on the stations of all the Divisions of the North Eastern Railway during the last three years ;

(b) from where these clocks have been purchased and the cost thereof; and

(c) the number of times these are sent for repairs in a year?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No additional clock has been installed during the last three years. However 316 Nos. of clocks have been purchased during this period for replacement purposes.

(b) The above clocks have been purchased at a cost of Rs. 38,008 from the following firms :—

(i) M/s. Ramprasad & Co., Gorakhpur.

(ii) M/s. Vittal Chhagan & Sons, Rajkot.

(iii) M/s. Murteja Watch Co., Delhi.

(c) These are sent for repairs as and when required.

Finger print experts working in North Eastern Railway

†3866. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of finger print experts working in all the Divisions in North-Eastern Railways at present and the number of cases examined by these finger print experts during 1972-73 and 1973-74 as also number of those, out of them, disposed of ;

(b) the number of persons convicted, Division-wise, in the cases so disposed of and the nature of punishment awarded to them in each case; and

(c) the number of officers superior of finger print experts in zonal offices as also the number of those, out of them, who are finger print experts?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Stalls on the Railway Stations in Bombay Division

3867. **Shri Hukam Chnad Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of stalls on the Railway stations of Central Railway at present, indicating the number of stalls on each platform, names of the persons to whom these are allotted and the dates on which these stalls were allotted; and

(b) the number of stalls, out of them which have been sub-let by the allottees to other persons on monthly or annual payment basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :(a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

पलवल-नई दिल्ली तथा गाजियाबाद-नई दिल्ली लाइनों का विद्युतीकरण

3868. **श्री राम सहाय पांडे**
श्री हरी सिंह } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलवल-नई दिल्ली तथा गाजियाबाद-नई दिल्ली लाइनो के विद्युतिकरण कार्यक्रमों के लक्ष्य कुछ पिछड़ गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन लाइनों के विद्युतिकरण को पूरा करने की निर्धारित तिथियां क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, जहां तक गाजियाबाद–नयी दिल्ली खण्ड के बिजलीकरण का सम्बन्ध है, लक्ष्य तिथि 6 महीने आगे बढ़ायी गयी है। नयी दिल्ली–पलवल के बिजलीकरण का कोई प्रतसाव नहीं है।

(ख) धन की अत्यधिक तंगी के कारण योजना का पुर्नानिर्धारण करना पड़ा।

(ग) आशा है कि दिसम्बर, 1976 तक गाजियाबाद–नयी दिल्ली खण्ड का बिजलीकरण हो जायेगा।

हिन्दुस्तान लिवर्स द्वारा वितरकों से उठाया गया लाभ

3869. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर्स ने "जमा राशियां" (डिपाजिट्स) पद की परिभाषा में निहित कमी का लाभ उठा कर पुरे देश में अपने वितरकों से 12 करोड़ रूपये बिना ब्याज एकत्र किये है ।

(ख) क्या एकत्र की गई इस राशि के उपयोग से अतिरिक्त लाभ नहीं होगा जिसे यह विदेशी सहायक कम्पनी स्वदेश भेजेगी ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कम्पनी के इस कार्य की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में इस कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1966 के अन्तर्गत जमा (डिपोजिट्स) शब्द की परिभाषा के अनुसार खरीद किये जाने, बिक्री करने के दौरान या अन्य अभिकर्ताओं से कम्पनी के व्यपार के उद्देश्य हेतु प्रप्त की गई राशि "जमा (ड़िपोजिट)" में सम्मिलित नहीं है। कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 1975 में भी वितरकों से "जमा" शब्द के अन्तर्गत प्राप्त राशि सम्मिलित नहीं है। मैर्सस हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड नें मार्च/अप्रैल, 1974 से पुन: वितरण स्टाकिस्टों से जमाओं को स्वीकार करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार की जमाओं की कुल राशि की जानकारी नहीं है ।

(ख) विदेश में भेजे जाने वाले अतिरिक्त लाभों में इन जमाओं का परस्पर संबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

(ग) हां, श्रीमान् जी

(घ) मामला परीक्षार्न्तगत है ।

रेल लाइनों के लिए जारी किये गये अविलम्बता प्रमाण पत्र

3870. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड ने किन-किन रेल लाईनों के निर्माण के अविलम्बता प्रमाणपत्र जारी किये ; और

(ख) प्रत्येक मामले में अविलम्बता प्रमाणपत्र जारी करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में जिसमें चालू वित्तीय वर्ष भी शामिल है, तात्कालिता प्रमाणपत्र के आधार पर निम्नलिखित

परियोजनाएं मंजूर की गयी थी :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	तात्कालिकता प्रमाण पत्र मंजूर करने के कारण
1	गोहाना—पानीपत (फिर से लाइन बिछाना)	यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने और बुवाई से पहले रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के लिए क्यों कि भूमि का दाम तेजी से बढ़ता जा रहा है तात्कालिकता प्रमाणपत्र पर निर्माण कार्य प्राधिकृत किया गया।
2	डलमऊ—दरयापुर (फिर से लाइन बिछाना)	
3	शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन रेल सम्पर्क	इस क्षेत्र में (भूतपूर्व शाहदरा—सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित) यातायात की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बनाना आवश्यक है इसलिए तात्कालिकता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्माण-कार्य प्राधिकृत किया गया था।
4	रोहतक—भिवानी बड़ी लाइन रेल संपर्क	यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने और भूमि का शीघ्रपापूर्वक अधिग्रहण करने के लिए क्यों कि भूमि का दाम तेजी से बढ़ता जा रहा है, तात्कालिकता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्माण-कार्य प्राधिकृत किया गया।
5	सरायगढ़—प्रतापगंज (फिर से लाइन बिछाना)	यातायात की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बुवाई से पहले निर्माणकार्य शुरू करना आवश्यक था इसलिए, भूमि का शीघ्र अधिग्रहण करने के लिए तात्कालिकता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्माण कार्य प्राधिकृत किया गया था।
6	प्रतापगंज-फारबिसगंज	

पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के लिये राज्य सरकारों द्वारा दी गई भूमि

3871. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन नई रेल लाइनों के नाम क्या है जिनके लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों ने स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र द्वारा देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों की स्थापना के लिए की गई अपील पर भूमि देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) क्या राज्यों के अत्यन्त सीमीत संसाधनों के बावजूद उनकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसी रेलवे लाइनों के निर्माण को सरकार प्राथमिकता देगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जिन नयी रेलवे लाइनों के लिए निःशुल्क भूमि देने की पेशकश की गयी है उनके नाम नीचे दिये गये हैं:—

1. रोहतक--भिवानी (हरियाणा में)
2. हवड़ा—ग्रामता--चम्पाडांगा बड़ी लाइन (पश्चिमी बंगाल में)
3. हवड़ा--शियाखला बड़ी लाइन (पश्चिमी बंगाल में)
4. नाडिकुडे—बीबीनगर (ग्रान्ध्र प्रदेश में)
5. नंगल – तलवाड़ा (हिमाचल प्रदेश में)
6. भावनगर—तारापुर (गुजरात में)
7. कायमकुलम-एल्लेप्पी (केरल में)— केवल सरकारी भूमि।

(ख) भूमि की लागत किसी लाइन के निर्माण की कुल लागत का केवल थोड़ा सा ग्रंश ही होती है ग्रौर परियोजना का निर्माण शुरू करने के उद्देश्य से प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार की निःशुल्क भूमि का पेशकश को ही एक मात्र कसौटी नहीं माना जा सकता। फिर भी परियोजना के संबंध में कोई विनिश्चय करते समय उस पेशकश को ध्यान में रखा जा जाता है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिक्ल्स लिमिटेड को दिये गये ग्रौद्योगिक लाइसेंस

3872. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को गत तीन वर्षों में कौन से ग्रौद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उनमें से कितने क्रियान्वित किये गये ग्रौर कितने क्रियान्वित किये जाने वाले है; किस-किस मद की कितनी-कितनी क्षमता का ग्रनुमोदन किया गया गया है ग्रौर प्रत्येक मामले में कितनी क्षमता प्राप्त की गई ;

(ग) गत तीन वर्षों में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने प्रकार की ग्रौषधियां मदवार एंव क्षमतावार बनाई गई ग्रौर पूर्ण क्षमतायें प्राप्त करने के लिए यह उपक्रम क्या कार्यवाही कर रहा है ; ग्रौर

(घ) उनके द्वारा कितने मदों का ग्रभी तक ग्रायात किया जाता है, उनकी मात्रा, लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य क्या है ग्रौर कुल-मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) ग्रौर (ख) 1972, 1973 ग्रौर 1974 वर्षों में ग्राई डी पी एल को प्रदत्त किये गये ग्रौद्योगिक लाइसेंस, ग्रनुमोदित क्षमतायें तथा प्राप्त उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9225/75]

(ग) 1971--72, 1972--73 ग्रौर 1973–74 में ग्राई डी पी एल द्वारा विभिन्न मदें का उत्पादन तथा स्थापित/लाइसेंस शुदा क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण पत्र

संलग्न है । विवरण पत्र में दिखाई गई क्षमता की पूर्ण प्राप्ति के लिए उपक्रम कदम उठा रहा है ।

(घ) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9225/75]

तेल शोधन कारखानों में ईंधन तेल का जमा हो जाना

3873. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ईंधन तेल की वस्तुतः भरमान् को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके मूल्य-निर्धारण और वितरण पर सभी प्रतिबन्धों को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी एंजेसियों और तेलशोधन कारखानों में अवितरित पड़े इस कच्चे माल की नवीनतम स्टाक स्थिति क्या है; और

(ग) इस कच्चे माल की वार्षिक मांग कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं। परन्तु इस अल्पकालिक कठिनाई के समाधान के लिए आयात में उचित समयांतर रखने के लिए प्रबंध किये गये थे ।

(ख) और (ग) 1–2–1975 को तेल कंपनियों के पास लगभग 455400 मी० टन मट्टी के तेल का स्टाक था । 1974 में मट्टी के तेल का स्टाक था । 1974 में मट्टी के तेल का विक्रय लगभग 4.20 मिलियन मी० टन था ।

Proposal to abolish summer vacation in Supreme Court and High Courts

†3874. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a large number of cases are pending in Supreme Court and various High Courts; and

(b) if so, whether in order to dispose of these cases expeditiously Government propose to dispense with summer vacation in Supreme Court and High Courts so that more cases can be disposed of during this period?

The Minister of Law, Justice and Compay Affairs, (Shri H.R. Gokhale): (a) statement indicating the position of cases is enclosed. [Placed in the Library. See No. L.T. 9226/75].

(b) The Government has no such proposal under consideration.

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तीसरे कुएं में तेल की खोज

3875. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तीसरे कुयें में नवीनतम निष्कर्षों के संदर्भ में अनुमानतः कुल कितना तेल-भंडार है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र के तेल निक्षेपों में तेल की खोज करने और उनसे तेल निकालने के कार्य में सहयोग के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ कोई करार किये गये है अथवा इस बारे में बातचीत चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तेल के भण्डारों का अनुमान सरचनावार लगाया जाता है । बाम्बें हाई संरचना में अभी तक खोदे गये तीन कुओं में तेल युक्त संस्तर प्राप्त हुए है तथा उत्पादन परीक्षण में अच्छी मात्रा में तेल पाया गया । इस संरचना के उत्पादन क्षमता के मूल्यांकन से पूर्व कुछ और अधिक कुओं का व्यवधान करना आवश्यक है ।

(ख) जी हां । बाम्बे हाई क्षेत्र तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्णतः स्वामित्व कार्यों के लिए आरक्षित है । तथापि समय समय पर आवश्यक ठेके सेवायें प्राप्त किये जायेंगे ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों सम्बन्धी तेल मूल्य समिति की सिफारिशें

3876. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री डी० डी० देसाई
श्री मूल चन्द डागा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये मूल्य तेल मूल्य समिति द्वारा सिफारिश किये गये ढ़ांचे के अनुसार होंगे, जिस ने 3 फरवरी, 1975 को उन के मंत्रालय को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) तेल मूल्य निर्धारण समिति की आन्तरिक रिर्पोट सरकार के विचाराधीन है । ऐसी अवस्था में उसके विषय की चर्चा करना जनहित में ठीक नहीं होगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में मिलावट

3677. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम में मिलावट करने के कितने मामलों का पता चला है या जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़ताल में भाग न लेने के कारण यात्रा टिकट परीक्षक (टी०टी०ई०) पर आगरा में हमला

3878. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1974 को आगरा छावनी में दक्षिण एक्सप्रैस में ड्यूटी पर तैनात एक यात्रा टिकट परिक्षक (टी० टी० ई०) पर हड़ताल में भाग लेने के कारण हमला किया गया गया था; और

(ख) यदि हां तो क्या हड़ताल की अवधि में ड्यूटी पर आने के लिए उसे निष्ठावान कर्मचारी के रूप में पुरस्कार दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । 1 मई, 1974 को, अर्थात 8 मई, 74 से गर सरकारी कानूनी हड़ताल प्रारम्भ होने से पहले, 3 अज्ञात व्यक्तियों ने, आगरा छावनी स्टेशन पर एक चल टिकट परीक्षक पर ड्यूटी के समय हमला किया था। इस आशय की एक शिकायत पुलिस में दर्ज करायी गयी थी।

(ख) जी नहीं । पुरस्कार केवल ऐसे कर्मचारियों को दिया जाना था जो हड़ताल के दौरान अपनी ड्यूटी पर डटे रहे । उक्त चल टिकट परीक्षक वास्तव में 1–5–74 से 5–7–74 तक बीमारी के कारण अनुपस्थित था और चूंकि उन पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था जिसका कारण अभी तक मालूम नहीं हुआ, इसलिए उन्हे कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता था ।

आरा सासाराम तथा फतवा इस्लामपुर लाईट रेलवे के रेल कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

3879. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्रीमती रोज़ा विद्याधर देश पांडे } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आरा सासराम लाईट रेलवे कंपनी लिमिटेड तथा फतवा इस्लामपुर लाईट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के रेल कर्मचारियों कि और से मार्टन बर्न एण्ड कम्पनी द्वारा अपने लाईट रेलवे को बन्द करने के प्रस्तावित निर्णय के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तंतसबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आरा-सासाराम लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड को बन्द किये जाने के संबंध में मार्टिन रेलवे मुख्यालय कर्मचारीयों यूनियन, बिहार, मार्टिन लाइट रेलवेमेंस यूनियन और बिहार मार्टिन लाइट रेलवे मजदूर कांग्रेस से सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ये ज्ञापन आरा-सासाराम लाइट रेलवे कम्पनी द्वारा 15–2–75 से रेलवे को बन्द करने के उस निर्णय के फलस्वरुप दिये गये जिसे बाद में कम्पनी द्वारा 15–3–75 से और उसके बाद 15–4–75 से अस्थगित कर दिया गया था।

(ग) कम्पनी ने अपने 13–3–75 के नोटिस के अनुसार रेलवे को बन्द करने का नोटिस और उस संबंध में सभी कामगारों तथा अन्य कर्मचारियों को जारी किये गये नौकरी की समाप्ति के व्यक्तिगत पत्रों को वापस ले लिया है।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

3880. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, पैट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान खपत क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष रबी की अधिकतम उत्पादन करने हेतु सिंचाई प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त डीजल तेल की सप्लाई करने के बारे में राज्य सरकारों को कोई आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1974 में पैट्रोलियम पदार्थों का उपभोग लगभग 22.75 मिलियन मी० टन था। उपभोग का राज्यवार ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों को आश्वासन दिया गया था कि कृषि क्षेत्र की डीजल की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए यथेष्ट सप्लाई रखी जायेगी।

इन से वह भी अनुरोध किया गया था कि वे वास्तविक आधार पर अपनी विशेषतः रबी मौसम में कृषि कार्यक्रम के लिए डीजल तेल की मांग का पुनः निर्धारण करें तथा सिंचाई पम्पों और अन्य कृषि मशीनरी के लिए उचित उपभोग मानक निश्चित करें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो कमी की स्थिति में कृषकों का कोटा कार्ड द्वारा डीजली तेल की उपलब्धि प्राथमिकता पर सुनिश्चित बनाये रखे और जमा खोरी और काले बाजार जैसे कदाचार को रोके। अब तक सभी राज्यों में डीजल तेल की उपलब्धि यथेष्ट रही है और तेल कम्पनियों द्वारा फुट कर बिक्री केन्द्रों को इसकी खुली बिक्री की गई है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकता को कोटा कार्ड पर प्राथमिकता की प्रणाली के बिना ही स्वेच्छा से किया गया है।

काली पहाड़ी (आसनसोल डिवीजन) में जी० टी० रोड पर ऊपरि-पुल

3881. **श्री रोबिन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल, डिवीजन में काली पहाड़ी स्थित जी० टी० रोड पर एक ऊपरि-पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को संभवतः कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां; काली पहाड़ी में जी० टी० रोड पर समपार सं० 129 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) पुल संरचना पर निर्माण कार्य रूका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने संरचना संबंधी योजना, ऊपरी सड़क पुल के लिए स्थान और पहुंच मार्गों के लिए अनुमानित राशि की मंजूरी नहीं दी है । इसलिए अभी से इस निर्माण कार्य के पूरा होने की निर्धारित तारीख बताना संभव नहीं है ।

प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सबहैडस् को निलम्बित करना

3882. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सबहैड्स को निलम्बित करने के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के अतांराकित प्रश्न संख्या 1137 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर-मैसूर लाईन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिये कर्नाटक सरकार का अभ्यावेदन

3883. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर-मैसूर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस लाइन के बदले जाने पर आने वाले खर्च में हिस्सा बटाने की भी पेशकश की थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) सर्वेक्षण संबंधी रिर्पोटों के साथ-साथ राज्य सरकार के प्रस्तावों की जांच की जा रही है । रिर्पोटों की जांच पूरी हो जाने के बाद निर्णय किया जायेगा । निर्णय लेते समय धन की उपलब्धता को ध्यान में रखा जायेगा ।

बंगलौर और बम्बई के बीच रेल सम्पर्क

3884. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने बंगलौर और बम्बई के बीच रेल सम्पर्क बनाने हेतु अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने इस लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आदि का अधिग्रहण करने के लिए इन राज्य सरकारों से सहयोग की मांग की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मंगलूर-बंबई रेल लाइन के निर्माण के लिए महाराष्ट्र, गोग्रा और कर्नाटक सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में विनिश्चय हो जाने के बाद ही भूमि के अधिग्रहण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

हुबली से कारवाड़ा पत्तन का रेल सम्पर्क

3885. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक-एक रेलवे लाइन द्वारा हुबली से कारवाड़ पत्तन को मिलाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस मामले में आगे कार्यवाही करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 34.3 करोड़ रुपये ।

(ग) सर्वेक्षण रिर्पोटों से पता चला कि इस लाइन पर पर्याप्त यातायात नहीं आयेगा और यह अलाभप्रद होगी । अतः इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

मिराज-हुबली और हुबली हास्पेट लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3886. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज और हुबली के बीच तथा हुबली और हास्पेट के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, **तो** यह प्रस्ताव अब किस स्थिति में है ;

क्या मिराज और हुबली के बीच प्रस्तावित नई लाईन गोकक नगर को हो कर जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : मिरजलोंडा, हास्पेट–आर्मुगावो और अलनाबर–डंडे ी खण्डों के आमान परिवर्तन संबंधी पूर्व सर्वेक्षण को अध्यतन करने का काम पूरा हो गया है और रिर्पोटों की जांच की जा रही है ।

(ग) उक्त सर्वेक्षण रिर्पोट में लाइन को गोकक के रास्ते ले जाने का प्रस्ताव भी शामिल है । रिर्पोटों की जांच कर लेने के बाद ही विनिश्चय किया जायेगा ।

मालदा से बलूरघाट तथा एक लखी से बलूरघाट के बीच रेल लाइनें

3887. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय द्वारा (एक) मालदा से बलूरघाट बरास्ता गाजल तथा दो एक लाखी से बलूरघाट बरास्ता गाजल, बुनियादपुर और गंगारामपुर के बीच रेल लाइनें बिछाने के संबंध में किये गये सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले ;

(ख) उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर रेल लाइनों के निर्माण में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क), (ख) और (ग) : माल्दह और एक लाखी पहले से ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए है । बुयादपुर गाजल और गंगारामपुर के रास्ते एक लाखी से बलूरघाट तक एक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है । रिपोर्ट की जांच हो जाने और उसके परिणामों का पता लग जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को डीजल तेल की सप्लाई

3888. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को गत वर्ष आबांटित डीजल तेल के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को वास्तव में कुल कितनी मात्रा में डीजल तेल सप्लाई किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) : डीजल तेल का आबंटन तथा सप्लाई राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता । संभर तन्त्र की कठिनाइयों के कारण अल्पकालिक कमियों को छोड़कर इन राज्यों को तेल कम्पनियों द्वारा डीजल की सप्लाई आवश्यक स्तर तक बढ़ाई गई है और कमी को रोकने के लिए यथेष्ट स्टाक रखे जा रहे है ।

बम्बई के गहरे समुद्र में 100 कुओं को खोदने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की क्षमता

3889. **श्री आर० पी० दास** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास बम्बई के गहरे समुद्र में जिनका विशाल ढ़ांचा समुद्र में सौ मील से अधिक है, 100 कुओं को खोदने और इनका प्रबंध करने के संसाधन है जिससे एक वर्ष में 10.0 लाख टन की उत्पादन क्षमता स्थापित हो सके ;

(ख) इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) समुद्र तट पर अनुमानतः तेल कब तक पहुंच जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) बाम्बे हाई संरचना में अभी तक खोदे गये तीन कुओं में तेल युक्त संरचना प्राप्त हुए हैं तथा उत्पादन परिक्षणों में काफी तेल प्राप्त हुआ है। इस संरचना पर चौथे कुयें में इस समय व्यवधन हो रहा है तथा संरचना के पूर्ण उत्पादन पोषण का मूल्यांकन करने के लिए, कुछ और कुओं का व्यवधन करना आवश्यक है, इस बीच तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन के मध्यवर्ती स्तर की स्थापना करने के लिए कार्यवाई कर रहा है जिससे प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन मी० ट० की दर से बाम्बे हाई से तेल उत्पादन किया जा सके जिन्हें प्रारम्भ में टैकंरों के माध्यम से तट पर लाया जायेगा।

बाम्बे हाई पर अपने तेल अन्वेषण कार्यों को गहन करने के लिए तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग सभी आवश्यक उपाय कर रहा है तथा संरचना के उत्पादन पोषण के साबित हो जाने के बाद एसे ठेके सेवाओं जिनकी देश तथा विदेश से आवश्यकता हो, के साथ तेल भंडारों को पूर्णतः काम में लाने में समर्थ होगा।

तेल संकट के कारण इसकी खपत में कमी

3890. **श्री आर० पी० दास :** क्या **पेट्रोलियम और सरायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापी तेल संकट को देखते हुए भारत में इसकी खपत स्पष्ट रुप से कम हो रही है;

(ख) अब तेल की खपत प्रति मास/प्रतिवर्ष कितनी कम होती है;

(ग) क्या तेल की खपत में इस कमी के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है अथवा इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) (क) से (घ): आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाईयों को विचार में रखते हुए सरकार ने कई उपाय किये हैं जिससे देश में औद्योगिक और कृषि प्रक्रिया की आवश्यकताओं पर बिना प्रभाव डाले आन्तरिक उपभोग को कम किया जाये। पैट्रोलियम पदार्थों के अनावश्यक उपभोग में कमी के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर कोई दुर्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

1973 के 23.49 मिलियन मीट्रिक टन के मुकाबले 1974 में पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग लगभग 22.75 मिलियन मिट्रिक टन था जिससे लगभग 3.1 प्रतिशत की कमी हुई मात्रा के रूप में 1973 के मुकाबले 1974 में उपभोग 0.735 मिलियन टन कम था जो 613000 टन की औसतन मासिक बचत देता है।

लागत से कम मूल्य पर आवश्यक औषधियों की सप्लाई के बारे में इण्डयन मैडिकल एसोसियेशन के साथ बातचीत

3891. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके और इंडियन मैडिकल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप अनिवार्य दवायें तथा औषधियों जनता की लागत से कम मूल्यों पर उपलब्ध करायी जायेंगी ?

(ख) क्या उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से उन्होंने इस उद्योग को कच्चा माल देने और अधिष्टापित क्षमता का विस्तार करने का भी आशवासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सदाशयपूर्ण और प्रगतिशील कदम को तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक हाथी समिति की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती जैसा कि बातचीत में संकेत दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा औषध एंव भेषजों उद्योग पर नियुक्त की गई समिति ने "आम जनता को विशेष रूप में ग्रामिण क्षेत्रों में, अत्यवश्यक औषध तथा प्रचलित घरेलू दवाइयों की व्यवस्था के लिए उपायों पर" अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट की एक प्रति 4 मार्च 1975 को सभा पटल पर रख दी गई थी। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। समिति द्वारा अप्रैल 1975 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

इसी दौरान इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र तथा सरकार क्षेत्र उपक्रमों के साथ उद्योग के विभिन्न पहलुओं जिसमें आवश्यक जीवन रक्षा औषधों को और अधिक मात्रा में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने कच्चे माल को पर्याप्त उपलब्धि के बारे में प्रबंध, संबंधित उत्पादन कार्य क्रम और आवश्यक संस्थानिक व्यवस्थाओं आदि सम्मिलित हैं के बारे में विचार विर्मश आरंभ किया गया है।

भारतीय रेलवे से तकनीकी दक्षता तथा जानकारी मांगने वाले देश

3892. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बहुत से देशो ने भारतीय रेलवे से तकनीकी दक्षता तथा जानकारी मांगी है; और

(ख) इन देशों को रेलवे का विस्तार करने और उसका आधुनिकीरण करने के लिए परामर्श-दात्री सेवा की राशि सहित, कितने मूल्य की रेलवे सामग्री और उपकरण बेचे गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाल के वर्षों में, अर्थात 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में, भारतीय रेलों से कुल लगभग 35 लाख रूपयों मूल्य का निर्यात किया गया, जिसमें लगभग 8 लाख रूपये का परामर्श तथा निरिक्षण शुल्क शामिल है।

रेलवे को बिजली की सप्लाई करने के लिए आसानसोल के निकट तापीय विद्युत् परियोजना

3893. **श्री टुना उरांव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की बिजली की सप्लाई करने के लिए पश्चिमी **बंगाल में** आसनसोल के निकट एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : रेल मंत्रालय, योजना **आयोग** के परामर्श से रेलों के अपने तीन तापीय बिजलीघर स्थापित करने का विचार कर रहा है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2×110 मेगावाट होगी और ये बिजलीकृत खण्डों के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में एक-एक होंगे ।

पश्चिमी बंगाल में तापिय बिजलीघर स्थापित करने के लिए स्थल का चुनाव आसनसोल के समीप सालनपुर में किया गया है । रेलों के ये बिजलीघर संबंधित राज्य की ग्रिड प्रणाली से अन्त: सम्बद्ध होंगे ताकि कम खर्चीला परिचालन हो सके तथा बिजलीकर्जण और महत्वपूर्ण रेलवे संस्थानों को बिजली की विश्वासनीय सप्लाई की जा सके ।

स्थल, अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और पश्चिमी बंगाल में प्रस्तावित बिजलीघर की व्यावहारिकता रिपोट , अनुमोदनार्थ तथा धन के आबटंन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गयी है ताकि उसका निर्माण पांचवी योजना में प्रारम्भ किया जा सके ।

उड़ीसा को आबंटित पेट्रोल पम्प

3894. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में अब तक उड़ीसा को कुल कितने पैट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : उड़ीसा में गत 2 वर्षों में तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित संख्या में पैट्रोल पम्पों की स्थापना की गई :—

	1973-74	1974-75
आई० ओ० सी०	1	3
काल्टेकस	1	—
आई० बी० पी०	—	—
एच० पी० सी०	—	—
वर्मा–शैल	—	1
	2	4

इन आंकड़ों में, वर्मा-शैल का एक पैट्रोल पम्प जिसे बाद में आ० ओ० सी० ने लिया था सम्मिलित है ।

बर्मा शैल की सूचना कैलेन्डर वर्ष के आधार पर है तथा एक पैट्रोल पम्प जिसे ऊपर दर्शाया गया है, वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था ।

तेल कम्पनियों ने अभी अपने वर्ष 1975-76 के कार्य क्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया है ।

बहुराष्ट्रीय मजदूरो द्वारा फार्मुंल्यानो के उत्पादन की प्रतिक्रिया ।

3895. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित फार्मुलेशनों और औषधियों के वार्षिक उत्पादन की प्रतिशतता क्या है ?

(ख) क्या सरकार का केवल सरकारी क्षेत्र में नए औषध उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोल और रासायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में सूत्र-योगों और प्रमुख औषधों का उत्पादन करने में अधिकारी विदेशी पूंजी वाले कंपनियों का शेयर क्रमश: लगभग 45 प्रतिशत और 33 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग के विस्तार/विविधीकरण के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर एक समिति नियुक्त की है और अन्य बातों के साथ उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

यह बात सुनिचित करने के लिए कि प्रपुन्ज औषधों और मूत्ररोगों के निर्माण में और अनुसंधान और विकास में सरकारी क्षेत्र अग्रणी स्थान प्राप्त करें आवश्यक उपायों की सिफारिश करना पांचवी योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार रखते हैं :

परियोजना	प्रस्तावित क्षमता
I. **इंडियन ड्राज एण्ड फार्मसियुटीकल्स लि०**	
सिन्थोटिक्स ड्रग्स प्लांट का विस्तार	38 औषध-प्रति वर्ष 1989 मी० टनों 3307 मी० टन का विस्तार
निगमिनाइट प्लांट	300 मी० टन
एन्टिवायोटिक्स प्लांट का विस्तार	स्ट्रैप्टोमाईसीन 85 टन से 120 टन; टेट्रामाईसीन 25 से 95 टन का एमेसिलीपन 10 टन : डोक्सासीन 1 टन

परियोजना	प्रस्तावित क्षमता
न्यू फार्मूलेशन यूनिट	टेबलेट्स 1500 मिलियन वायल्स तथा कैप्स्यूल्स 30 मिलियन सिरप 1 लाख लिटर आयनट्मैन्टस् 1 मि० मिटर
II. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि०	
पैनिसिलिन विस्तार	84 एम एम यू से 160 एम एम यू
फनिसिलिन प्लांट II	160 एम एम यू
सैमी-सिन्थैटिक पैनिसिलिन में विस्तार	5 मी० टन से 35 मी० टन
स्ट्रैप्टोमाइसीन विस्तार	85 टन से 170 टन
विटामिन सी विस्तार	125 टन से 250 टन
ईराइथ्रोमाइसीन	19 टन
नये एन्टिबायोटिक्स	18 टन
इन्डस्ट्रियल एन्जाइम्ज़	20 टन
न्यू फार्मूलेशन यूनिट	287 टन प्रपुन्ज औषध बनाने के लिए क्षमता

प्रतिदिन रेलों में यात्रा करने वाले यात्री

3896. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन रेलों में अनुमानित कितने यात्री यात्रा करते हैं ; और

(ख) इनके लिए कितनी रेल गाड़ियां और कितने लोकोमोटिव्स का प्रयोग होता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1973–74 में प्रतिदिन लगभग 73 लाख मुसाफिरों ने रेल यात्रा की ।

(ख) 1973–74 में सभी रेलों पर प्रतिदिन चलने वाली सवारी गाड़ियों की औसत संख्या 5,344 है । इन सवारी गाड़ियों को चलाने के लिए प्रतिदिन औसतन 2,348 रेल इंजनों और 452 बिजली गाड़ी के मोटर कोचों का उपयोग किया गया ।

भारत में तीव्रतम रेलगाड़ी सेवा

3897. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति घंटा मील गति की दृष्टि से भारत में तीव्रतम रेलगाड़ी सेवा कौन-सी है ; और

(ख) जापान, इगलैण्ड, फ्रांस, सोवियत संघ और अमरीका जैसे अन्य देशों के साथ इसकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर 101/102 हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस जिसकी अधिकतम अनुमत रफ्तार 130 कि० मी० प्रति घंटा है, तीव्रतम गाड़ी है।

(ख) इन देशों में तीव्रतम गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार, जैसी कि 'जेन्स वर्ल्ड रेलवेज', 1973-74 संस्करण में दी गयी है, इस प्रकार है :—

देश	कि० मी० प्रति घंटा
जापान	210
इंगलैण्ड	161
फ्रांस	200
जर्मनी	200
सोवियत संघ	160
अमरीका	160

महत्वपूर्ण औषधियों को देश में ही बनाने का प्रस्ताव

3898. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण औषधों का निर्माण करने के लिये तथा विदेशी कम्पनियों के विस्तार को रोकने के लिये, देश के औषध उद्योग की सलाह से एक योजना तैयार और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध और भेषज उद्योग की समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक मिल जाने की आशा की जाती है। इसके अलावा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—"औषध उद्योग को तीव्र गति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग-क्षेत्र की सिफारिश करना है ? समिति अपनी रिपोर्ट/सिफारिश करते हुए उस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव सन्तुलित हो।"

सामान्य जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक औषधों और आम घरेलू दवाईयों की व्यवस्था करने से संबंधित उपायों पर समिति की रिपोर्ट मिली है। जिन अनिवार्य औषधों और आम घरेलू दवाईयों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता हो उनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार तैयार किया जा रहा है :

औषध उद्योग औद्योगिक विकास मंत्रालय के तारीख 16 फरवरी 1973 के प्रैस नोट के परिशिष्ट 1 में शामिल कर लिया गया है और विदेशी कम्पनियों तथा बड़े घराने के उद्योग इस उद्योग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। विदेशी कंपनियों के विस्तार का नियंत्रण करने और भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों को हाथ में लिया है :

(1) निर्माण योजनाओं की अनुमति देने में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को अग्रता दी जाती है ।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से प्रपुन्ज औषधों की बढ़ी संख्या का निर्माण करना ।

(3) सूत्रयोगों के उत्पादन से जब तक प्रपुन्ज औषधो के उत्पादन के साथ सम्बद्ध नहीं किया जाता है तब तक उनके लिए विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस सामान्यता जारी नहीं किए जाते हैं ।

(4) उनसे प्रपुन्ज औषधों का अधिकांश मूल चरण से उत्पादन करने और दी गई क्षमता विस्तार के लिए शर्त अथवा नए कार्यकलाप को हाथ में लेने के लिए शर्त के रूप में देश के अन्दर असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को अपनी प्रपुन्ज औषधों का उचित भाग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

(5) उचित निर्यात दायित्वों को भी लागू किया गया है। जब विदेशी कंपनियों को अपने निर्माण कार्यकलापों का विस्तार करने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय शेयर भागीदारी में तदनुरूप वृद्धि के अनुसार विदेशी साम्य पूंजी भागीदारी को उत्तरोत्तर कम किया गया है।

(6) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली कंपनियों और भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों/शाखाओं से अपे ा की जाती है कि वे व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकार कार्यकलाप को कार्यान्वित करने के लिए या नए कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करें। जिस भूमिका के संबंध में इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन और इण्डियन ड्रग मैन्यू-फैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की गई है। उस भूमिका को औषध उद्योग के देशीय क्षेत्र/देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधों के उपलब्ध कराने में निभानी चाहिए। इस क्षेत्र से भी सस्ते दामों पर अत्यधिक खपत वाली औषधों का उत्पादन करने की योजना तैयार करने का और समिति द्वारा दी गई सूची में से इस प्रकार की औषधों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार के औषधि विस्तार उत्पादन के समय बद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए उनके साथ उसके अलावा और आगे परामर्श किया जाएगा । तथापि औषध निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ और औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के साथ अनिवार्य जीवन रक्षक औषधों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का हिसाब लगाने के लिए और अपनी उत्पादन लागत को कम करने के लिए बातचीत आरम्भ की गई है । ये चर्चाएं चल रही हैं।

प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व

3899. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की बिक्रीं से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि निकटवर्ती स्टेशनों के निर्मित यात्रा टिकटों के प्रयोग से, जो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर कमी होती गई है ; और

(ग) अगर प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्लैटफार्म टिकट की कीमत को सब से सस्ती रेल यात्रा टिकट के बराबर कम करने के प्रश्न पर पुर्नविचार करेगी, जिससे अपवंचन से बचा जा सके और आम जनता की कठिनाईयां दूर हो सकें ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व की रकम इस प्रकार थी :

1971–72	97.21 लाख रुपये
1972–73	109.72 लाख रुपये
1973–74	110.08 लाख रुपये
1974–75	136.69 लाख रुपये (दिसम्बर, **1974 तक**)

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पटना में विभिन्न स्थानों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

3900. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जंकशन (मीठापुर) में पश्चिमी रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) क्या पटना नगर में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से राजेन्द्र नगर और गारदानीबाग में ऊपरीपुलों का निर्माण करने सम्बन्धी ऐसी योजनायें बनाई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्धपि बिहार सरकार ने ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम में इस निर्माण-कार्य को सम्मिलित करनें के लिए 1969 म अनुरोध किया था, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक कोई निश्चत प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में दक्षिणी रेलवे सेवा आयोग द्वारा श्रेणी III के कर्मचारियों की भर्ती

3901. **डा० के० एल० राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में दक्षिण रेलवे सेवा आयोग द्वारा गत चार वर्षों में श्रेणी III के कितने कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी आन्ध्र प्रदेश के निवासी हैं ; और

(ग) यदि आंन्ध्र प्रदेश से भर्ती किये गये कर्मचारियों तुलनात्मक दृष्टि से कम हैं, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारियों की भर्ती से सम्बन्धित सूचना केवल रेलवे-वार रखी जाती है न कि राज्य वार। पिछले चार साल में रेल सेवा आयोग, मद्रास ने नियुक्ति के लिए जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की थी उनकी संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	जोड़
दक्षिण	428	180	540	758	1,906
दक्षिण मध्य	304	566	115	992	1,977
सवारी डिब्बा कारखाना	35	27	12	19	93
	767	773	667	1,769	3,976

वर्ष 1974-75 में पश्चिम बंगाल में रेल-गाड़ियों में चोरियां और वैगन तोड़ने की घटनायें

3902. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1974–75 में पश्चिम बंगाल राज्य में रेलगाड़ियों में बहुत बड़ी संख्या में चोरियां और वैगन तोड़े जाने की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारियों ने राज्य में इस प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये कोई विशेष कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या रेलवे ने राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिये सक्रिय सहयोग देने के लिये अनुरोध किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे अपराधियों की कार्रवाईयों और गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्र करने तथा उन्हें दण्ड देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल पुलिस में एक गुप्तचर अनुभाग स्थापित किया गया है जिसका खर्च रेलें देती हैं। सामान्य कानूनों के अधीन कार्रवाई करने के अलावा, पश्चिम-बंगाल राज्य में, 1974 के दौरान 40 अपराधियों को आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन पकड़ा गया है जिसमें चुरायी गयी रेलवे की सम्पत्ति लेने वाले भी शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकार पुलिस से सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है और रेलों पर होने वाले अपराध की कारगर ढंग से रोक-थाम करने तथा उसका पता लगाने के लिए उनका सक्रिय सहयोग लिया जाता है।

उर्वरक सन्यन्त्रों में विद्युत सन्यन्त्र स्थापित करना

3903. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक संयंत्रों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) उर्वरक एककों में कैप्टिव बिजली संयंत्रों की स्थापना उनके गुणों के आधार पर की जाती है। कोटा, गोवा, कोचीन और सिन्दरी संयंत्रों में कैप्टिव बिजली की सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं। भारतीय उर्वरक निगम, दुर्गापुर, ट्रोम्बे और गोरखपुर में कैप्टिव बिजली जनन के विकास संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I have given notice of an adjournment motion. You kindly give your consent. It is regarding Haryana Government...

Mr. Speaker : How can it be raised here ? It is a state subject. It is not a subject for Parliament. Order. Order. I have not called any member. All of you please sit down.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : A lady has committed suicide. ... (interruptions)

Mr. Speaker : I cannot understand as to how it can be raised here?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वह महिला वैज्ञानिक है । उसने आत्महत्या की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि इस पर एक वक्तव्य दें ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the amount taken by Haryana Government for Haryana has lapsed.

Mr. Speaker : It is for Haryana Assembly to enquire. It cannot be raised here.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, the treatment meted out to Shri Shankar Deoji at Pawnar Ashram should be discussed here... (interruption)

Mr. Speaker : All these things would go on record. After 50 years people will see and wonder as to how all of you speak together.

Shri Shankar Dayal Singh : I have a submission to make. Sir, yesterday you took up calling attention about the Banaras Hindu University and to-day also it is regarding education.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 और मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1975

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 7 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 129 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मट्टी तेल, (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 139 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9208/75)

पंजाब के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा, 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत पंजाब राज्य के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 37 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखती हूं जो दिनांक 26 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 113(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9209/75)

राष्ट्रीय बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1975

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय-बचत पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 284 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9210/75)

न्यासधारी (अंशों तथा ऋण पत्रों की घोषणा) संशोधन नियम, 1974

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत न्यासधारी (अंशों तथा ऋण-पत्रों की घोषणा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 236 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9211/75)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सत्याग्रह आरम्भ करने का कथित निर्णय

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा सत्याग्रह आरम्भ करने के कथित निर्णय, जिसके परिणामस्वरुप परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं तथा 80,000 छात्रों के भविष्य पर कुप्रभाव पड़ा है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : जैसा कि सदन को मालूम है, दिल्ली तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय वेतनमानों को अपनाने वाले संगठनों के अध्यापकों के वेतनमानों को गत सितम्बर, 1971 में संशोधित किया गया था, जो कि 27 मई, 1970 से लागू हुए थे । इन वेतनमानों से न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार हुआ, टाईम-स्केल के विस्तार में कमी हुई और विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों में विद्यमान कुछ असंतुलन भी समाप्त हो गए । इन वेतनमानों को मन्जूर करते समय, यह परिकल्पना की गई थी कि ये वेतनमान तीसरे वेतन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों की शर्त पर होंगे और यह अध्यापकों को भी स्वीकार्य था ।

तीसरे वेतन आयोग ने जिसे दिल्ली के अध्यापकों सहित, केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, अध्यापकों के वेतनमानों के संबन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । उन सिफारिशों को तैयार करते समय, तीसरे वेतन आयोग ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के पश्चात् अध्यापकों के मामले में जो वेतन परिशोधित किए गए थे, उन्हें भी ध्यान में रखा था । अध्यापकों के संबंध में अपनी सिफारिशें करते समय आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

> "दिल्ली प्रशासन के अधीन शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण, हमारी जांच पड़ताल के परिणाम की शर्त पर वर्ष 1971 में किया गया था और तदनुसार, हमने मामले पर पुनः विचार किया । दिल्ली प्रशासन के अधीन शिक्षकों के वेतनमानों में पिछले पांच वर्षों में अक्सर हुई बढोत्तरियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यद्यपि वर्तमान कुल परिलब्धियों को ही मुख्यतः सुरक्षित रखा जाना चाहिए, किन्तु इन वेतनमानों में अब आगे वृद्धि की आवश्यकता नहीं है । तथापि, हम इस बात से सन्तुष्ट हैं कि इस आधार पर जिन वेतनमानों की हम सिफारिश कर रहे हैं, उनसे 1971 के पुनरीक्षण के पूर्व उपलब्ध कुल परिलब्धियों में की गई बढ़ोत्तरियों से और जिसको हमने अन्य वर्गों के संबंध में तदनुरूपी वेतनमानों के लिए आमतौर पर सुझाव दिए हैं, कम नहीं हैं । हमारा यह भी अभिमत है कि शिक्षकों तथा अन्य वर्गों के वेतन-मानों की समयावधि तथा वेतन वृद्धि सम्बन्धी प्रणाली लगभग एक जसी होनी चाहिए। "

वेतन आयोग की सिफारिशें घोषित किए जाने के समय से ही शिक्षक प्रतिवाद कर रहे हैं और वेतनमानों में सुधार की मांग करते हुए तथा तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में कुछ असंगतियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने सरकार के अभ्यावेदन भेजे हैं। उन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा विचार किया गया परन्तु तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से हटना संभव नहीं हो सका, क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के अन्य वर्गों पर व्यापक प्रतिक्रिया होती। अध्यापकों के प्रतिनिधियों को सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गयी थी। किन्तु उन्होंने सरकार से प्रस्तावित वेतनमानों में तथा कथित असंगतियां दूर करने का आग्रह किया।

अध्यापकों ने काफी बड़ी संख्या में 1 मार्च, से बैठ-हड़ताल आरम्भ कर दी तथा 7 मार्च, 1975 से आरम्भ होने वाले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बहिष्कार की भी धमकी दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ शासित प्रदेश में स्कूलों को 5 मार्च से 17 मार्च 1975 तक (दोनों दिन सम्मिलित करके) बन्द कर दिया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा स्थगित कर दी, जिसमें दिल्ली के लगभग 500 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के करीब 52,000 छात्र बैठते हैं। तथापि, अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, जिसमें बोर्ड से सम्बद्ध दिल्ली के 35 स्कूलों सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित अनेक स्कूलों के बच्चे बैठते हैं, 7 मार्च, 1975 से यथानिर्धारित समय-सारणी के अनुसार हो रहा है।

यह आशा थी कि अध्यापक अपना आन्दोलन समाप्त कर देंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली अध्यापक संघ की संयुक्त परिषद् ने 18 मार्च, 1975 से एक सप्ताह के लिए अपनी बैठ-हड़ताल को जारी रखने का निर्णय किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि उन्होंने इस बात का निर्णय किया है कि यदि उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई, तो वे सत्याग्रह का आश्रय लेंगे।

अध्यापकों के आन्दोलन के जारी रहने के परिणाम स्वरूप, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ शासित प्रदेश के स्कूलों को और आगे 18 मार्च, 1975 से 24 मार्च, 1975 तक (दोनों दिन सम्मिलित करके) बन्द रखने का निर्णय किया है।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अध्यापकों के आन्दोलन के परिणाम स्वरूप स्कूलोंके बन्द होने से युवा छात्रों में पर्याप्त मानसिक तनाव है और अभिभावकों में भी चिन्ता उत्पन्न हुई है। अध्यापकों की कुछ भी शिकायतें हों, परन्तु युवा बच्चों को, विशेषकर ऐसे समय में अनुचित कठिनाई में डालना उचित नहीं होगा जबकि वे अपनी परीक्षाएं समाप्त करने के लिए चिन्तित हैं। सरकार तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्दर अध्यापकों द्वारा उठाए गए मदों की जांच कर रही है। मुझे पूरी आशा है कि दिल्ली के अध्यापक इस परिस्थिति की गंभीरता को महसूस करेंगे और तत्काल अपना आन्दोलन समाप्त करके, अपना कार्य पुनः आरम्भ करेंगे तथा अपने व्यवसाय की महान परम्पराओं के अनुसार इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को उनकी परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण कोई कठिनाई न हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान से सुना है, परन्तु खेद की बात है कि इसमें कुछ भी नहीं है।

1971 से शिक्षक कठिनाईयां सहन कर रहे हैं। सितम्बर, 1971 में जब देश बंगला देश के संकट का सामना कर रहा था, दिल्ली में शिक्षकों ने बलिदान देने का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह माना कि जब तक संकट समाप्त नहीं होता हम पुराने वेतनमान ही लेते रहेंगे। अब जब वे लोग धरना दे रहे हैं तो हमें उन्हें देश भक्ति या विद्यार्थियों के प्रति उनके कर्तव्य की बात नहीं करनी चाहिये।

उन्होंने 12 दिसम्बर, 1974 को प्रधान मंत्री को अपने एक पत्र में मांग की थी कि प्रधान-मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें।

1971 में शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके हाथ मजबूत किये जायें। इस पर दिल्ली शिक्षक संघ की संयुक्त परिषद ने प्रधान मंत्री से भेंट की। उसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि मामले पर फिर से विचार किया जायेगा। परन्तु कुछ नहीं किया गया और वेतन आयोग ने और अधिक विषमताएं उत्पन्न कर दीं। प्रिंसिपल को 220 रुपये का लाभ दिया गया और एक प्राथमिक स्कूल अध्यापक को केवल 2 रुपये का लाभ दिया गया है एक पी० जी० शिक्षक को 4 रुपये का लाभ दिया गया है और एक टी० जी० शिक्षक को 6 रुपये की हानि का सुझाव दिया गया है। यह सब कुछ वेतन आयोग ने किया है।

जिन वेतनमानों की सिफारिश की गई हैं उनमें वर्तमान वार्षिक वृद्धि में कमी कर दी गई है। एक शिक्षक के वेतनमान के पूरा होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। शिक्षकों के कुछ वर्गों को छोड़ दिया गया है। जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट तथा पी० ई० टी० शिक्षकों को छोड़ दिया गया है।

हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों को अधिक वेतन मिले। वे राष्ट्र निर्माता हैं। परन्तु उनका आपसी अन्तर बहुत अधिक नहीं होना चाहिये। मेरे माता जी एक शिक्षिका थीं। मेरे पिता जी एक क्लर्क थे। इस प्रकार मैं जानता हूं कि स्थिति कैसे है। डा० कैलास तो धनी व्यक्ति हैं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : ऐसी बात नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं।

शिक्षक चाहते हैं कि प्रिंसिपल के और अन्य शिक्षकों के वेतनमान में जो विषमता है उसे दूर किया जाये। उनमें जो अन्तर है वह कम होना चाहिये। वार्षिक वेतन वृद्धि की दर में सुधार करके उसे युक्ति संगत बनाया जाये। मंत्री महोदय स्वयं एक शिक्षक हैं। उन्हें शिक्षकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिये। मंत्री महोदय बतायें कि उनके क्या प्रस्ताव हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : एक शिक्षक के नाते मेरी कुछ शिकायतें हो सकती हैं। परन्तु मुझे वह काम नहीं करना चाहिये जिससे मेरे विद्यार्थियों के हितों को हानि हो। अतः यदि शिक्षक समझते हैं कि सरकार की नीति गलत है तो उन्हें बातचीत का माग अपना कर आगे बढ़ना चाहिये परन्तु छात्रों के हितों को हानि नहीं पहुचानी चाहिये। मैं अपील करता हूं कि पहले अच्छा वातावरण उत्पन्न करने में हम सब प्रयत्न करें।

दूसरी बात यह है कि 1971 के निर्णय अस्थायी थे और उन्हें तीसरे वेतन आयोग के निर्णयों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना था। यह उस समय तय किया गया था। हां यदि अब कोई अन्तर किया जाना है तो वह वेतन आयोग की सिफारिशों की परिधि में ही होगा। मेरी शिक्षकों से अपील है कि वे तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर बातचीत करें। एक

माननीय सदस्य ने कहा है कि विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कोठारी आयोग ने भी प्रिंसिपल के वेतन मान को एक टी०जी० शिक्षक से तीन गुना रखा था। इस तरह अब तो कोठारी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विषमता कम हो गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अन्य मांगों के बारे में क्या स्थिति है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : वास्तव में प्रधानाचार्य और साधारण शिक्षकों को समान नहीं समझा जा सकता। दूसरे, जहां तक मुझे पता है प्राथमिक शिक्षकों के लिए दो वेतन-मान नहीं रखे गए हैं। तीसरे वेतन आयोग के अनुसार उनके लिए 330–560 रुपये का वेतनमान रखा गया है **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 6 वर्ष से अनधिक की समयबद्ध सलेक्शन ग्रेड देने की और पायंट-टु-पायंट वेतन निश्चित करने की शिक्षकों की मांगों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : सलेक्शन ग्रेड तो दिया जा चुका है परन्तु दूसरी मांग वेतन आयोग ने अस्वीकार कर दी है। तथापि यदि शिक्षक छात्रों के हितों का ध्यान रखें तो उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सकता है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Thousands of Delhi Students face an uncertain future due to the decision of Delhi teachers to lauch Satyagrah and extend their strike for an indefinite period. I want Government to come to an immediate negotiated settlement to save the helpless students.

The hon. Minister has himself conceded that he is prepared to hold talks in connection with removal of anomalies in implementing Pay Commission's recommendation. I, therefore, urge that urgent steps be taken in this regard to minimise the loss to students.

I suggest that the period for granting Selection Grade may be fixed at 8 or 10 years as against 6 years as demanded by the teachers. Similarly, you should concede that in Delhi the disparity between the pay-scale, of teachers and principals is two fold which is maximum as compared to other States. This should be reduced and I want the hon. Minister to hold negotiations with teachers as he had promised in Rajya Sabha so that the future of students is not jeopardised.

Prof. S. Nurul Hasan : The hon. Member is perhaps not aware that since I took charge of this Ministry, I had had discussions with almost every category of teachers Unions and their Joint Council but, I am afraid, they have not adopted a realistic stand in this regard. The first thing for them is to accept the Pay Commissions recommendations. But all their demands fall outside these recommendations and it is not possible for the Government to consider them as such. If you look at the Comparative pay structure of Delhi teachers and teachers of various States, you will see that Delh-teachers are much better-off.

Shri Shashi Bhushan : I had mentioned vide disparity in the pay scale of Principals and H.S. teachers.

Prof. S. Nurul Hasan : The designation of Principals does not exist in all States. If they so desires, I will collect information and furnish it to him.

Shri Atal Bihari Vajpaye (Gwalior) : Sir, Delhi teachers are fighting for their damands since 1959 but, strongly their case was not referred to the 2nd Pay Commission. Now, referring to the Third Pay Commission, the hon Minister said that they would be broadly protected. What does this mean? According to this Commission's recommendations, the rate of increment of almost all categories of teachers have been reduced. Are such Commissions appointed for this purpose? How can teachers accept them. We also cannot ask them to do so. Secondly, we do not want the pay of Principals to be reduced but we ask for narrowing the difference between the pay scales of teachers and Principlas.

The Pay Commission's Report is not sacrosant. You have already modified them in 26 cases. The hon Minister had stated that in no State selection grade is granted on time-scales basis, but I have been told that in Kerala. . . .

Prof. S. Nurul Hasan : I think I had not said that I had said that in Pay Commission's Report there is no provision to provide such scale for any post.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I submit that when it can be granted in Kerala and Karnataka, why can, it not be done in Delhi also? How can you expect teachers to do justice to their work when they will stagnate on the same pay-scale for twenty years and more ? I submit that it is a negotiable point and he should sit with teachers' representative to arrive at a negotiated settlement. I ask whether it ia a question of prestige for Govrnment ?

Prof. S. Nurul Hasan : No Sir.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I, therefore, want to know what concrete step Government propose to take to solve this tangle. We are all concerned at their strike.

Prof. S. Nural Hasan : I may submit that teachers of all categories stand to gain by accepting pay-scales recommended by the third Pay Commission.

Secondly, we have never been rigid about these recommendations and that is why I have already said that I am prepared to look into the points. But the basic structure of these scales shall have to be accepted as the basis. The question of point to point fixation cannot be conceded as it has not been accepted in respect of any category for any post.

श्री नुरुल हुडा (कचार) : इस चर्चा में यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि जहां दिल्ली के 75,000 स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता को परेशानी और चिन्ता हुई है, वहां 40,000 शिक्षकों ने भी 2–3 वर्ष तक अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रतीक्षा करने के बाद ही आंन्दोलन का सहारा लिया है। वह समय बीत चुका जब शिक्षक 200–300 रुपये में ही संतोष कर लिया

करते थे क्योंकि अब आर्थिक कठिनाई बहुत बढ़ गई है और इसीलिए वे आज आन्दोलन कर रहे हैं ।

इस संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न यह है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद से अब तक यह मामला लटका क्यों हुआ है ?

दूसरे, जहां प्रधानाचार्यों को इतने अच्छे वेतनमान दिए गए हैं, वहां कम वेतन पाने वाले अध्यापकों के साथ यह अन्याय क्यों ?

तीसरे, स्नातकोत्तर शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड देने में धांधली और अनियमितताएं तथा अन्याय क्यों किया गया है जिससे उनमें असंतोष फैला है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभी पात्र शिक्षकों को यह ग्रेड दिया जाएगा और क्या उसी तारीख से दिया जाएगा जिससे उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को यह ग्रेड मिला है ?

चौथे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की वार्षिक वेतन-वृद्धि की दर में कमी हुई है ?

पांचवे, क्या यह भी सच है कि वरिष्ठता का मापदण्ड कुछ सेवा-अवधि न मान कर वरिष्ठता-सूची तैयार करने में भेद-भाव और भाई-भतीजावाद बरता गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सरकार यह आशा कैसे करती है कि शिक्षक अपनी ओर से इकतरफ़ा आधार पर अपना आंदोलन वास्तव में वापस ले लेंग ? क्या कोई बातचीत इस संबंध में हुई है या क्या उन्होंने ऐसा वचन सरकार को दिया है ?

समाचार पत्रों में छपा है कि सरकार की ओर से रचनात्मक समाधान प्रस्तुत किये जाने वाले हैं । क्या यह सच है ?

अंत में शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह शिक्षकों के साथ मिल कर समस्या का समाधान निकालें ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं यह बात मानने को उद्यत नहीं हूं कि सारा विवाद बढ़े हुए मूल्यों के कारण है । दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बम्बई कलकत्ता के मूल्यों से अधिक नहीं हैं दूसरी ओर प्रस्तावित किये गये वेतनमान उल्लेख किये गये नगरों के शिक्षकों के वेतनमानों से बेहतर हैं ।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू न किये जाने का कारण पूछा गया है । वास्तव में शिक्षकों द्वारा उन्हें स्वीकार न किये जाने के कारण ही विलम्ब हुआ है ।

प्रिंसपलों के वेतनमान को 1050 से बढ़ा कर 1100 किये जाने पर मैं पहले ही प्रकाश डाल चुका हूं वरिष्ठता सूची में यदि कोई भूल हो तो मैं उसमें सुधार करने का आश्वासन देता हूं । पदों के स्थायी बनाये जाने पर भी शीघ्रता से विचार किया जायेगा । वेतनों में वार्षिक वृद्धि की दर को 25 और 30 रुपये बनाये रखा गया है ।

श्रमजीवी पत्रकारों एवं समाचार पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये मजदूरी बोर्डों की स्थापना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : SETTING UP OF WAGE BOARDS FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALISTS NEWSPAPER EMPLOYEES

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ रेड्डी अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : वह उसे पढ़ कर सुनायें।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रमजीवी पत्र कार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों व गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन की व्यवस्था है, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों अथवा-गैर पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों, जैसी भी स्थिति हो, का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति ; और

(ग) तीन स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है और जो उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा ।

2. अब सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेना-निवृत्त न्यायाधीश, श्री डी०जी० पालेकर की अध्यक्षता में श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए मज़दूरी बोर्डों का गठन करने का निर्णय किया है । इन मज़दूरी बोर्डों के अन्य स्वतंत्र सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होंग :

(1) श्री बी० सी० भगवती, संसद सदस्य,

(2) श्री आर० सी० दत्त, भारत सरकार के सेवा-निवृत्त सचिव ।

श्रमजीवी पत्रकारों संबंधी मज़दूरी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री एस० बी० कोल्पे और श्री टी० आर० रामास्वामी, श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय संघ के क्रमश: अध्यक्ष तथा महा सचिव, तथा गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों सम्बन्धी मज़दूरी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि, श्री एस० वाई० कोल्हाटकर तथा श्री के० एल० कपूर, अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ के क्रमश: अध्यक्ष व महासचिव, होंगे । जहां तक नियोजकों के प्रतिनिधियों का संबंध है, भारतीय व पूर्वी समाचार-पत्र सोसायटी तथा भारतीय भाषा समाचार-पत्र एसोसिएशन से इन मज़दूरी बोर्डों में से प्रत्येक में एक एक व्यक्ति नामित करने के लिए प्रार्थना की गई है । उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । **(व्यवधान)**

श्री राम सहाय पांडे (राज नन्दगांव) : दो संघों के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रश्न अप्रैल 1974 में उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखे जा सकते ।

श्री समर गुह : मुझे किसी भी पत्रकार संघ के बारे में कुछ नहीं कहना । इस मामले पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा हो चुकी है । मंत्री महोदय ने एक संगठन के प्रति पक्षपात का रवैया प्रदर्शित किया है । एवं दो संगठन के चैयरमैन तथा सचिव को नामांकित किया गया है दूसरी यूनियन, नैहानल यूनियन ऑफ जर्नेलिस्ट, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रेस परिषद और दत्त समिति द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है, को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियों (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE CENTRAL AND OTHER SOCIETIES (REGULATION) BILL, 1974

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा केन्द्रीय तथा अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री शंकर देव द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा के सदस्य चौधरी नीतिराज सिंह को नियुक्त किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा केन्द्रीय तथा अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री शंकर देव द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा के सदस्य चौधरी नीतिराज सिंह को नियुक्ति किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश 1975 का अध्यादेश संख्या 2, 1975 संबन्धी साविधिक संकल्प तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक

STATUTORY REGULATION Re : NORTH EASTERN (REORGANISATION), AMENDMENT ORDINANCE 1975 (ORDINANCE NO. 2 OF 1975 AND NORTH EASTERN AREA'S (REORGANISATION) AMENDMENT BILL

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विषय को लिये जाने की कल कोई सूचना नहीं दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक सूचना जारी की गई थी।

Shri Jagannathrao Joshi (Shojapur) : I move the following resolution : "That this House disapproves the North-Eastrn Areas (Reo rganisation) Amendment ordinance 1975 (Ordinance No. 2 of 1975), promulgated by the President on 20th January, 1975."

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Dy. Speaker in the Chair.

The Government still indulges into the practice of issuing ordinances, which is matching more than the misuse of emergency provisions. In fact there is no such kind of emergency in the country to warrant the issue of this ordinance. So I sppose the issue of an a ordinance.

Under the Principal Act the Assam State Electricity Board was in close to function and was to be dissolved on the expiry of the pericd of three years i.e. on 20th January, 1975.

Originally its tenure was two years and it was extended for one more year but still the purpose of re-organisation has not been completed. By the proposed legislation its tenure is being extended from 3 yeras to thereby eight months.

The Government should by a statement on the Table of the House giving reasons for not completing the process of re-organisation within that period.

The reason has not been given in the statement. The Minister in his reply should tell us that what are the difficulties in completing the process of reorganisation.

This whole area was reorganised with the intention to develop it fully and to use its natural resources.

I want to ask a simple thing that why after so many years of independence the ruling party has no base in Nagaland and Mizoram. This area has been totally neglected. They have their men in Meghalaya, but they are in small number. The Government should change its attitude towards Eastern region. This region has such natural resources but from the development point of view it is neglected. It lacks transport means and during the rainy season

this region is out off from the rest of the country. In such circumstances the people of that region feel that they are being neglected. Any of the Ministers in the Home Ministry should take up responsibility for bringing about the development of this region. Concrete steps should be taken in this direction.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस विधेयक से बाहर की बात है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इतने वर्षों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा क्यों होती रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पृथक से चर्चा की जा सकती है। यहां तो प्रश्न केवल दो महीनों की अवधि को बढ़ाना है।

Shri Jagannath Rao Joshi : The Government should give up such an attitude towards this region. The hon. Minister should tell us as to what are the reasons for promulgating the ordinance. With these words, I opposet his ordinance.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): उठे।

उपध्यक्ष महोदय : मैं वादविवाद नें बाधा नहीं डालना चाहती। किन्तु आप श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी के स्थान पर कैसे बोल रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : उन्होंनें मुझे इसका अधिकार दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई है।

श्री एफ० एच० मोहिसन : यदि ऐसा है तो मुझ खेद है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियमन, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

इस विधेयक का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 का स्थान लेना है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान क अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत 20 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित किया था। यह अध्यादेश असम राज्य विद्युत बोर्ड के भविष्य में कर्मकारण के सम्बन्ध में असम और मेघालय की सरकारों द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने में हुए विलम्ब के कारण उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाई को हल करने के लिए प्रख्यापित किया गया।

1971 के मूल अधिनियम के अन्तर्गत असम राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 21 जनवरी, 1972 से असम राज्य बिजली बोर्ड अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय निकाय, बन गया। इसी धारा की उपधारा (3) के अंतगत, जिसका संशोधन उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 1974 के अनुसार किया गया था, असम राज्य बिजली बोर्ड तीन साल की अवधि अर्थात् 20 जनवरी, 1975 को भंग हो जाना चाहिए था।

बोर्ड के भविष्य के कार्यकर के लिये किसी समझौते पर पहुंचने के लिये दोनों राज्यों के बीच काफी बातचीत हुई। 19 जनवरी, 1975 को ऊर्जा मंत्री दो राज्यों के बीच समझौता करने के लिये राजी करने में सफल हुए। चूंकि दो सरकारों द्वारा अपने राज्यों में

राज्य बिजली बोर्ड बनाने के लिये उपक्रमों, परिसम्पत्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों संबंधी ब्योरा शीघ्र उपलब्ध न हो सके और केन्द्र शासित क्षेत्र मिजोरम को भी पूछा जाना था, इसलिये अन्तर्राज्य बोर्ड विद्युत के कार्यालय को 20 जनवरी, 1975 से दो महीनों के लिये बढ़ाना आवश्यक समझा गया। चूंकि संसद सत्र में नहीं था, अतः इस उद्देश्य के लिये राष्ट्रपति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 जारी किया। इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश का स्थान लेना है।

अब मैं विधेयक के एक एक खंड का उल्लेख करता हूं। खंड एक का सम्बन्ध संक्षिप्त शीर्षक से है। खंड दो में "तीन वर्ष" के स्थान पर "अढ़तीस महीने" शब्द को प्रतिस्थापित करना है। खंड 3 का सम्बन्ध निरसन तथा बचत से है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी ने कहा है कि समयावधि बढ़ाने का कारण नहीं बताया है। विवरण में भी कारण का उल्लेख किया हुआ है।

20 जनवरी, 1975 के आदेश के अनुसार वेयर हाउसिंग भी अब भंग समझा जायेगा। विद्युत बोर्ड तथा दोनों राज्यों के बीच समझौता करने की बात 19 जनवरी 1975 को हुई। हमारा उद्देश्य यही है कि इसकी अवधि दो महीनों के लिये बढ़ा दी जाये। एक साल की अवधि पहले बढ़ती गई है और इस विधेयक से अवधि दो महीनों के लिये और बढ़ाई जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। हमने वहाँ विकास कार्य के लिये बहुत कुछ किया है। और इस सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूं। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमने वहां के विकास के लिये कुछ किया है... (**व्यवधान**) हमने वहां उत्तरोत्तर अधिक धन व्यय किया है।

श्री नुरुल हुडा (कचार) : मूल्य वृद्धि की क्या स्थिति है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह दूसरी बात है। वहां जो कुछ प्रगति हुई है, मैं उसके बारे में भी आंकड़े दे सकता हूं। 1960-61 में वहां सड़कों की कुछ लम्बाई 7,763 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1971-72 में 55,181 किलो मीटर हो गई। 1962-63 में वहां कुल 43 कालेज थे, 1972-73 में वहां 125 कालेज हो गये। इस प्रकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हमने संतोषजनक प्रगति की है। वैसें वहां अभी भी पिछड़ापन है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है अपितु अविकसित है

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस तरह तो समूचा देश ही अविकसित है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारा देश विकसित है... (**व्यवधान**) इन सब बातों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण विधेयक है। इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य केवल इतना है कि इस अवधि को दो महीनों के लिये और बढ़ा दिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । हमें यह मद समाप्त कर लेनी चाहिए । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । जब हमसे कोई गलती होती है तो आप कई बातें करते हैं । यह सब क्या है ? **(व्यवधान)** इस मद् को समाप्त करने के पश्चात् ही मैं किसी की बात सुनूंगा । आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । मेरे यहां बैठने का क्या फायदा है ? **(व्यवधान)**

* **श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये बहुत कुछ किया गया है । यह बात सही नहीं है । त्रिपुरा के लिये कुछ बिजली आसाम से ली जाती थी लेकिन अब कुछ समय से वह बंद हो गई है ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी आदिवासी लोगों की दशा दयनीय है । उनकी न्यायोचित मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं । उन पर अत्याचार किये जाते हैं । और उन्हें मारा भी जाता है । त्रिपुरा में पेट्रोलियम संशोधन हैं और वहां पेट्रोलियम गैस का पता भी लगाया गया है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार है कि यदि व्यापारिक दृष्टि से गैस पैदा की जाये तो उससे अर्जित राशि उक्त क्षेत्र के अन्वेषण कार्य पर लगाने के लिये पर्याप्त होगी । किन्तु इस दिशा म कुछ भी नहीं किया जा रहा है । यातायात की कठिनाइयों के कारण वहां नये उपकरण नहीं भेजे जा रहे हैं । बंगला देश से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण हम बंगला देश के थोड़े से क्षेत्र से होकर एक छोटी सी लाइन बना सकते हैं ताकि त्रिपुरा समूचे देश से जुड़ सके ।

जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है इस क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष कार्य नहीं किया है । इसके समुचित विकास के लिये कुछ अधिक कार्य करना होगा ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है किन्तु विधेयक की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है । इसका सम्बन्ध बिजली से है । मिजोरम राज्य से परामर्श करके असम तथा मेघालय के बीच समझौता हो चुका है । इस समझौते की मुख्य बातें सभा पटल पर रख दी जानी चाहिये थीं । इस समझौते के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है । समाचार पत्रों में कहा गया है कि मेघालय में विद्युत संयंत्र है जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् 1981 तक असम को बिजली सप्लाई करेगा । लेकिन 1981 के पश्चात् क्या होगा ? स्वाभाविक है कि असम में बिजली का संकट उत्पन्न हो जायेगा । हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि क्या 1981 तक हमें बिजली मिलेगी भी या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पर्याप्त बिजली मिलेगी ।

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : दूसरा पहलू यह है कि असम सरकार ने किरदेम-कुलाई जैसी परियोजनाओं पर बहुत बड़ी धन राशि व्यय की है । गत वर्ष असम ने 2 करोड़ रुपये व्यय किये हैं । मुझे पता नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर गृह मंत्री कैसे देंगे । इसका उत्तर तो केवल ऊर्जा मंत्री ही दे सकते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : केन्द्र सरकार के विरुद्ध मेरी एक शिकायत है । मैं कुछ आंकड़े दूंगा ताकि पता चल जाये कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1,22,094 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है । असम में ऐसे गांवों की संख्या 670 है तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1,090 । अब आप इनकी तुलना अन्य राज्यों से कीजिये । आन्ध्र प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 9,252 है । मैं यह नहीं कह रहा कि आन्ध्र प्रदेश में ऐसा क्यों है । मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की विषमता दूर हो । अब कृषि के विषय पर आयें । 1972 तक देश में कुल 19 लाख पम्प सेट लगाये गये । इनमें से असम में केवल 105 लगाये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने विस्तार में जाएँगे तो वह इन सब बातों का उत्तर कैसे देंगे ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इन सब बातों के लिये वही जिम्मेदार हैं क्योंकि यह गृह मंत्रालय क अधीन है । किन्तु समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इन पम्प सेटों की संख्या कुल 131 है । इसकी तुलना आन्ध्र से कीजिये । यह केवल .0007 प्रतिशत होता है । तब भी आप कहते हैं कि वहां के विकास के लिये बहुत कुछ किया गया है । आपको यह क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करना होगा । आन्ध्र प्रदेश में इनकी संख्या 2,22,467 है तथा महाराष्ट्र में 2,39,865 ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बता दूं कि इस समय चर्चा क्षेत्रीय असंतुलन पर नहीं हो रही है अपितु विद्युत बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ प्रबन्ध करने हेतु इन दो राज्यों में उस अवधि को दो महीनों के लिये बढ़ाने हेतु हो रही है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : उन्होंने कहा है कि वहां बहुत कुछ किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे सीमा से बाहर चले जायें तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप भी वैसा ही करें ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : 1974-77 के दौरान पन तथा तापीय परियोजनाओं को आरम्भ करने की संभावना है । सारे देश के लिये कुल 7,838 मेगावाट बिजली पैदा किये जाने की संभावना है लेकिन आसाम के हिस्से में केवल 60 मेगावाट बिजली आयेगी और समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में 70 मेगावाट इसकी तुलना अन्य राज्यों से की जा सकती है । हम इन सब बातों के लिये मांग करते आये हैं । यह आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी है । आपने कहा है कि वहां अधिक ध्यान दिया जायेगा । यदि

स्थिति ऐसी ही रही तो वहां स्थिति गम्भीर हो जायेगी । श्री कुरेशी ने कहा है कि वित्तीय कठिनाई के कारण वहां कई परियोजनाओं को आरम्भ नहीं किया गया है जबकि यहां बताया गया है कि पहल नहीं की गई है ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I support the Bill but I also agree with the hon. members who say that no solution will come out from repressive measures.

This region is very backward and needs rapid development. Top priority in the matter of development should be given to this area. Government should bring a comprehensive bill for the development of this region.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य कार्य अवधि बढ़ाना है इसके लिये कोई विरोध नहीं होना चाहिये । बिजली के बारे श्री गोस्वामी ने कुछ आंकड़े दिये हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और बिजली के बारे उपेक्षा हो रही है ।

आसाम तथा मेघालय के लिये बिजली बोर्ड स्थापित करने के बारे जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वे बहुत ही निराशाजनक हैं ।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनकी भी इस क्षेत्र के बारे जिम्मेवारी है। मेघालय से 1981 के बाद कोई भी बिजली नहीं मिलेगी लेकिन आसाम में अभी तक कोई भी पनबिजली कारखाना शुरु नहीं किया गया है । यदि स्थिति ऐसी ही रही तो वहां कोई भी कारखाना स्थापित न हो सकेगा ।

इस क्षेत्र के विकास के लिये उद्योगों, सड़कों तथा रेलों के विकास की ओर ध्यान देना भी जरूरी है । सम्बन्धित मंत्रालयों को इस क्षेत्र के विकास के हेतु प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें । यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी आक्रमण के समय ही इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है ।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) जनवरी, 1972 में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आसाम, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों का गठन किया गया । भारत सरकार तीन वर्षों के अन्दर इन तीन राज्यों के लिये अन्त: राज्य बिजली बोर्ड नहीं स्थापित कर सकी । इस विधेयक का उद्देश्य अवधि को दो महीने के लिये बढ़ाना है । जो काम सरकार तीन वर्षों में नहीं कर सकी, क्या उसे दो महीनों में पूरा किया जा सकेगा ? उप मंत्री ने यह नहीं बताया कि जिस उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है, क्या वह प्राप्त किया जा चुका है ?

यह बात स्पष्ट है कि भारत सरकार इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के प्रति विकास के मामले में उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है ।

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।**

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.**

पूर्वोत्तर क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है । राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये इस क्षेत्र के लोगों का खुश तथा सन्तुष्ट रहना जरूरी है । माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि इस क्षेत्र के विकास सम्बन्धी सभी योजनायें केवल कागजों पर ही हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र के लिये कोई विशेष ठोस कार्य नहीं किये हैं । मिजोरम की बिगड़ती कानून और व्यवस्था का कारण यही है कि वहां के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया । उनके असंतोष को गोलियों से दूर नहीं किया जा सकता बल्कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने से ही यह असंतोष दूर हो सकता है ।

काश्मीर के लोगों को रियायती दरों पर गेहूं दिया जाता है । मिजोरम के लोगों को भी रियायती दरों पर चावल क्यों नहीं दिया जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है ।

श्री जे० माता० गौडर : यह मैं इसलिये कहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य भी काश्मीर की तरह सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं । दिल्ली बैठ कर कानून बनाने मात्र से ही काम नहीं चलेगा । इस क्षेत्र के विकास के लिये प्रभावशाली कदम उठाना जरूरी है ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : एक आदमी . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न उठाने का यह कोई तरीका नहीं है । कृपया चुप रहें ।

***श्री राम सहाय पांडे :**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । विधेयक का उद्देश्य अवधि को दो महीने बढ़ाना है ।

इस सम्बन्ध में जो विलम्ब हुआ है उसका कारण यह है कि उत्तर-पूर्वी परिषद् प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रही है । हम देखते हैं कि परिषद् का काम अब सिफारिशें करना मात्र ही रह गया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस क्षेत्र में बिजली की कमी है । बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है । कोपिली पन-बिजली परियोजना कमेंग परियोजना तथा गेयर हिल्ज़ तापीय परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जायें ।

इस पुनर्गठन से हम पूर्णतः निराश हुए हैं । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र की कृषि को आधुनिक बनाने के लिये उचित कदम उठाने चाहियें ।

***कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।**

***Not recorded.**

श्री एफ० एच० मोहसिन : जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे अपने सुझाव दिये हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं । मैं श्री गोस्वामी की भावनाओं को समझता हूं । बिजली उत्पादन के लिये ऊर्जा मंत्रालय जिम्मेवार है गृह मंत्रालय नहीं ।

मैं यह नहीं कहता कि इस क्षेत्र के विकास के लिये जो कुछ किया गया है वह पर्याप्त है । अभी बहुत कुछ किया जाना है । उस क्षेत्र के विकास के लिये हम जितनी राशि उपलब्ध कर सकते थे, वह हमने की है । उत्तर-पूर्वी परिषद् चौथी योजना के अंत में बनायी गयी और उसके बाद इस क्षेत्र के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये दिये गये हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये भी 100 करोड़ रुपये उपलब्ध किये गये हैं । वर्ष 1975-76 के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की समस्याओं के बारे हम पूर्णतः परिचित हैं और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना सारे देश के पिछड़ेपन को दूर करने का एक भाग है ।

माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Jagannathrao Joshi : I opposed the bill on the ground that why the work was not finished during the first extended period. Secondly Government has become habitual of functioning through the ordinances.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित् पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2, 3, 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जहां प्रधान मंत्री को साक्ष्य देना था, हथियार ले जाने के कथित प्रयास के बारे में

RE: REPORTED ATTEMPT TO CARRY ARMS IN ALLAHABAD HIGH COURT WHERE THE PRIME MINISTER HAD TO GIVE EVIDENCE

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक माननीय सदस्यों ने इलाहाबाद में हुई कथित दुर्घटना पर चर्चा करने का अनुरोध किया है।

एक माननीय सदस्य : उच्च न्यायालय ।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो गया है। यह एक गम्भीर मामला है। अतः मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरेमपुर): उपाध्यक्ष के रूप में आपको यह प्रश्न स्वयं उठाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे उठा चुका हूं।

यह सचमुच चिंताजनक मामला है। हमें इस विषय पर सयंमता तथा ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये ।

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपको स्वयं सभा की भावनायें प्रगट करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : This is a very serious issue. What type of atmosphere is being created in the country. We cannot side-track this issue which is of far reaching consequences. The Home Minister should tell us whether adequate security arrangements have been provided for the stay of Prime Minister at Allahabad.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस दुर्घटना के बारे में वे तुरंत एक वक्तव्य

दें तथा इसकी जांच शुरु करवायें। राजनैतिक दृष्टि से हम प्रधान मंत्री का विरोध कर सकते हैं लेकिन एक प्रधान मंत्री के नाते उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकलि) : मैंने भी ग्रंथालय में रिपोर्ट देखी है। अभी .पूरी स्थिति के बारे में कोई पता नहीं है। इस समय मैं इस बारे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। इस समय तो मैं केवल इतना ही कहता हूं कि प्रधान मंत्री किसी भी दल से सम्बन्ध रखें, उन्हें उनके पद के नाते पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिये।

जैसा कि श्री बनर्जी और श्री पाण्डे ने कहा है मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये। सुरक्षात्मक उपायों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सभा को यह आश्वासन दिया जाये कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है।

प्रो० मधु दण्डवते : लोकतन्त्र में हमें व्यक्तियों से नहीं बल्कि नीतियों के साथ संघर्ष करने के लिये तैयार रहना चाहिये। अपने दल की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते समय हमें मानव जीवन का सम्मान अवश्य करना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य देंगे।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): I congratulate the persons incharge of security arrangements for capturing a social criminal right in time. Such incidents have been taking place in the country for the last so many days. One person had come in Parliament House with a revolver. Shri L.N. Mishra's case is before us. It has also been revealed that a West German national, bringing arms has been caught on Pakistan-Naga border etc. etc. The police should take these incidents very seriously. These should be thoroughly investigated. Prime Minister is the leader of the masses, and no body can succeed in evil designs against her.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Prime Minister is not only the leader of your party. She is also the leader of this country and this House. It is a matter of concern to all of us in the opposition Groups. We outrightly condemn this incident.

Shri R.S. Pandey (Rajanandgaon) : In the present atmosphere of violence and hatred such incidents are not a surprise. Samastipur episode has happened recently.

It is for the first time in the history that the Prime Minister agreed to appear in an open court. Otherwise a Commission would have been appointed. But the Prime Minister enhanced the prestige of the Court. But we simply shudder to hear that an a person had ill intention against her and had come with a revolver.

Sir, I request the Home Minister to make a statement giving full details.

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : इस समाचार से हमें गहरा आघात लगा है कि एक युवक ने इलाहाबाद न्यायालय के उस कमरे में घुसने का प्रयास किया जहां प्रधान मंत्री को साक्ष्य देने के

लिये उपस्थित होना था। लोकतन्त्र में संसदीय तरीके से ही समस्याओं का हल निकालना होता है हिंसा से नहीं।

हमें इस घटना से गहरा क्षोभ हुआ है। हमें देश में स्वस्थ वातावरण निर्माण करने के लिये प्रयास करना चाहिये। श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री ही नहीं सदन की तथा देश की भी नेता हैं। उन्हें यदि कोई हानि पहुंचाता है तो समूचे देश को नुक्सान होगा।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The Prime Minister by attending the Court has proved that she holds supreme the democratic and moral values. Otherwise she was not bound to attend the Court.

Therefore when a conspiracy is hatched against the Prime Minister, it is a conspiracy against the Democracy. We are happy that security personnel caught him at the right time. We want a statement from the Home Minister to clarify the matters regarding the individual concerned. Whether it was a case of madness or something else. The atmosphere of hatred and bitterness being created in the country may not eat the very vitals of democracy.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इलाहाबाद से प्राप्त समाचार बहुत गम्भीर और दुःखद हैं। प्रधान मंत्री पर किया गया हमला देश पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया गया हमला है। प्रधान मंत्री न केवल सभा की वरन् देश की भी नेता हैं। उनके दल के साथ किसी के चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हों, लेकिन लोकतन्त्र में इस प्रकार का तरीका कदापि नहीं अपनाया जाना चाहिये।

पिछले कुछ महीनों से देश में घृणा और कटुता का वातावरण तैयार किया जा रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्यकर नहीं है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। इसके साथ-साथ सभा समस्त देश को यह संदेश देगी कि यह सभा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और किसी भी स्तर पर हिंसा और व्यक्तिगत वैमनस्य को सहन नहीं किया जायेगा।

Shri Krishnachandra Pandey (Khalilabad) : Sir, The whole country is disturbed with the news received from Allahabad. This is the result of the atmosphere of hatred being created in the country for the last 5 to 6 months.

The organisation having a hand in this bitter episode should be banned. One can not imagine the situation if their attempt had succeeded. I want to convey this feelings to the Home Minister that this country is not prepared to tolerate this violent method. I also want to congratulate the persons looking after the security arrangements.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिस घटना का वर्णन किया है, मुझे उससे बहुत दुःख हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाये। इस सदन में कोई भी दल या व्यक्ति हिंसा में विश्वास नहीं रखता।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को दृष्टि में रख कर प्रधान मंत्री न्यायालय में साक्ष्य के लिये पहुंची थीं। उन्होंने न्यायालय की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। जो शक्तियां देश में गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं, उन्होंने ही श्री ललित नारायण मिश्र

पर हमला किया और अब भी वे उसी रास्ते पर चलते रहना चाहती हैं। इस देश के प्रधान मंत्री को, जो राष्ट्र की प्रगति के दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं, हर संभव सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिये। मैं सुरक्षा अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने समय पर कार्य किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी बहुत से सदस्यों ने बोलना है। यदि आप कहें तो मैं सभी सदस्यों को बोलने के लिये एक-एक मिनट का समय दूं। मैं एक-एक के नाम लूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि संक्षिप्त रूप में भाषण करें।

Smt. Sahodrabai Rai (Sagar): I am greatly pained to hear this news. Incidents of violence have been happening for quite some time in the country. There is every need to take strangent measures against the persons responsible. I will appeal to the Home Minister to make a statement. Proper arrangements should be made for the safety of our leaders.

Shri Ramchandra Vikal (Baghpat) : This House as well as the country unanimously condemn this ghastly incident. The person responsible for this should be brought to book immediately and this House should be apprised of all the details. This matter should be fully investigated.

Shri. M.C. Daga (Pali) : Sir, Mr. Deputy Speaker you have expressed your opinion about this dastardly attempt. One thing is clear that all the Members of Parliament are united in condemning this incident and express our anger against it.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : वेदना और परिताप की इस घड़ी में यह राहत और संतोष का विषय है कि दलगत बातों को छोड़ कर समूचे सदन ने राष्ट्र के नेता का जीवन समाप्त करने की घृणित प्रयास की इस घटना की एक होकर निन्दा की है।

श्रीमती गांधी निर्वाचित संसद् की नेता हैं, राष्ट्र की नेता हैं और भारत की प्रधान मंत्री हैं। इस घटना की केवल निन्दा करना ही पर्याप्त नहीं है, जो लोग लोकतंत्र और उसके मूल्यों का आदर करते हैं उन्हें देश में व्याप्त प्रवृति पर ध्यान देना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाये कि लोकतंत्र तथा जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं पर किये जाने वाले आक्रमण बन्द किये जायें। राजनीतिक मतभेद वाद-विवाद तथा तर्क विवादों तक ही सीमित रहने चाहियें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यह अभिव्यक्त किये गये विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूं। मैं गृह मंत्री का ध्यान उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें माननीय प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के बाहर एक बंदूकधारी व्यक्ति पकड़ा गया था। उसका क्या हुआ ? गृह मंत्री बतायें कि वे और क्या सुरक्षात्मक उपाय करने जा रहे हैं।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : It is very sad and disturbing news. The Prime Minister has uphold the dignity of the Court by attending it. I congratulate the security men who have averted a very delicate situation. Anything could have happened. I will request the Home Minister to make a statement in the House.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The incident that has happened in Allahabad High Court is very serious and disturbing. It appears that there is a

planned conspiracy behind it. An attempt has been made on the life of Prime Minister. Such incidents have happened earlier also. We should whole-heartedly condemn such dastard attempts.

श्री वसंत साठे (अकोला) : हमें इस खबर से बहुत धक्का लगा कि न्यायालय के मन्दिर में एक व्यक्ति घातक हथियार लेकर पहुंच गया । परन्तु यह बड़े सन्तोष की बात है कि प्रधान मंत्री सकुशल हैं ।

यह बहुत गम्भीर बात है । अभी कुछ दिन पहले हमारा सहयोगी एक हिंसात्मक घटना का शिकार हो गया । हमें अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिये कि ऐसी प्रवृत्ति क्यों पनप रही है ? यदि हम किसी एक नेता को तानाशाह बना दें तभी यह प्रवृति पनपती है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था बनाये रखें । हम सभी इस घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हैं । श्री साठे के जो भी विचार हों वे उन्हें किसी और समय के लिये सुरक्षित रखें । अप्रिय घटना होने से बच गई है अतः हमें राहत की सांस लेनी चाहिये ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : देश में बढ़ रही प्रवृत्ति के विरुद्ध यह घटना एक चेतावनी है । आपने ठीक ही कहा है कि हमें किसी विवाद में न पड़ कर अपने अन्दर झांकना चाहिये । सभी दलों को अपने सदस्यों के लिये एक आचार संहिता बनानी चाहिये । इस समय मात्र निन्दा करना ही पर्याप्त नहीं होगा । देश की स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिये ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : न केवल संसद् सदस्यों वरन् सारे देश को इस घटना से दुःख हो रहा है । मैं सुरक्षा कर्मचारियों को बधाई देता हूं । मैं गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि स्थिति को देखते हुए अधिक सुरक्षात्मक उपाय किये जायें । हम इस समय यह संकल्प करें कि हम प्रधान मंत्री की सलाह मानेंगे । उन्होंने पहले ही उस खतरनाक स्थिति के बारे में बता दिया था जो हिंसा और घृणा का वातावरण पैदा करने से पैदा हो सकती है ।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : संसद् में द्रुमुक के नेता और श्री मावलंकर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं । मैं सुरक्षा अधिकारियों को भी बधाई देता हूं । प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें देश में भय, असंतोष और घृणा का वातावरण तैयार नहीं करना चाहिये ।

Shri. Bibhuti Mishra (Motihari) :I congratulate the officer who has seized this dangerous weapon. But I must condemn the atmosphere of violence and hatred being created in the country. Although we all talk of democracy yet the tendency of violence is increasing.

It is the responsibility of the Government to ensure the safety of the Prime Minister. The tendency of violence should be checked otherwise lives of all of us are in danger. We should try to create the atmosphere of peace.

श्री समर गुह (कन्टाई) : संसद में समाजवादी दल की ओर से मैं इस घटना की निन्दा करता हूं । यदि हत्या के इसी प्रकार प्रयास होते रहे तो लोकतन्त्र की ही हत्या हो जायेगी । अतः हमें सावधान रहना है । हम केवल निन्दा ही न करके यह सुनिश्चित करें कि देश में हिंसात्मक वातावरण ही न पनपे । न्यायालय में जाकर श्रीमती गांधी ने साहस का परिचय दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस बारे में बहुत कहा जा चुका है ।

निर्माण, आवास और संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यह संतोष का विषय है कि संसद में सभी दलों ने दलगत भावना छोड़ कर एक स्वर से इस घटना की निन्दा की है । सभा की भावनाओं को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा एक मत से न्यायालय में, जहां प्रधान मंत्री साक्ष्य देने वाली थीं, हथियार ले जाने के प्रयत्न की निन्दा करती है और इच्छा प्रकट करती है कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा एक मत से न्यायालय में, जहां प्रधान मंत्री साक्ष्य देने वाली थीं, हथियार ले जाने के प्रयत्न की निन्दा करती है और इच्छा प्रकट करती है कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—रेलवे, 1975-76—जारी

Demands for Grants—Railways, 1975-76—*contd.*

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Deputy Chairman, one of the reasons why railways are losing revenue is that employees are not doing their duty sincerely. In the Jhansi workshop, for example although the staff and the expenditure have increased three times, yet the output of the actual work has gone down. The workers come in the workshop, mark their presence and then while away their time.

Niwani is a big station in Tikamgarh district from where wheat, fertilizers, cement, etc. are loaded in large quantities, The station needs a shed body so that all these things are not damaged in the rains.

डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए

Dr. Henri Austin in the chair.

Harijan and Adivasi candidates are not getting any justice. They qualify themselves in the written test but are declared unsuitable in the interview. Their percentage in the railway services is much lower than what it should be. When

Shri Buta Singh was the Chairman of the Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, he had sent some suggestions to the Railway Ministry. Now that he is the Deputy Minister of Railways we hope he would look into it and see that justice is done to these people.

There are no railway lines in the backward areas. The least the Government can do is to have a survey of the lines that are needed in those areas. After these they can be taken up as and when necessary funds, are available.

Shri Dhanshah Prodhan (Shahdol) : The railway is facing great financial difficulty. There is a shorfall of Rs. 12 crores, 45 lakhs in the income of the railway during last year because of shortfall in the estimated goods traffic. The number of rail passengers has also gone down. This has also affected railway finances.

The Railway Minister has said that the railway strike and rising prices are responsible for the bad financial position of the railways. The fact is that on account of high rail fares passenger traffic has gone down.

There is need to increase the operational efficiency of the railways. Pilferage of coal should be checked. Special attentions should be paid towards providing more amenities to II class passengers.

There should be a separate provision in the railway budget for providing rail facilities in the tribal areas. That will help in the development of tribal areas to a great extent.

The Railway Board should be abolished. Effective steps should be taken to check ticketless travel. Attention should also be paid to checking of theft of railway property.

The passenger train going from Chirmn to Anup Pur should be extended to Shahdol. Utkal Express should run daily. An underground bridge should be provided at Shahdol and a loco shed should be provided at Anup Pur. A railway line should be constructed connecting Satia with Beohari via Rewa, Mirzapur and Govindgarh.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : रेलवे के नक्शे से पता चलता है कि अखंड भारत में 75 से 80 प्रतिशत तक रेलवे लाइनों का निर्माण सिन्धु गंगा के मैदान में हुआ है और अब गंगा के मेदान में हो रहा है । नक्शे से पता चलता है कि गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के भागों को छोड़ कर बाकी देश में रेलवे लाइनों का निर्माण नहीं हुआ है ।

"डक्कन हैराल्ड" के एक समाचार में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के पास अन्य राज्यों में परियोजनायें चालू करने के लिये तो पर्याप्त धन आ पाता है किन्तु कर्नाटक के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है ।

हुबली और कारबार को मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये । इस लाइन के बन जाने से डीजल ट्रकों पर व्यय होने वाली करोड़ों रुपये की विदेशी

मुद्रा बच जायेगी और पूरे क्षेत्र का विकास हो जायेगा । इससे कारबार बन्दरगाह का भी विकास होगा । मंत्री महोदय इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में एक निश्चित आश्वासन दें ।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : There is a lot of lawlessness on the North-eastern railway. It has become very risky to travel at night. Thefts and dacoities are order of the day. Attenticn should be paid to this matter.

A railway line connecting Dohrighat with Gorakhpur should be provided. A survey was conducted for railway line from Nangal to Talwara. Special attention should be paid for providing this line.

There was an accident at Barhod. One person had died in that accident. A sum of Rs. 5C0 has been given to the family of that person. That family should be helped by providing a job to some person from that family.

In the Samastipur incident, certain persons received serious injuries. There were a few deaths including the tragic death of the former Railway Minister. Adequate financial help to those persons who had been injured and also to the families of those persons who had died should be provided.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : A railway line connecting Vidisha Bina and Sagar should be provided. This line would help in the development of that backward area.

Young students get into class compartments in large numbers and cause lot of inconvenience to the passengers. The railway administration should take effective steps to check this practice.

The railways should pay special attention to the needs of backward areas. At present what happens is that developed areas are receiving more attention while backward areas continue to be neglected.

Passengers particularly lady passengers are feeling very insecure while travelling in trains. Lot of incidents are taking place on the railways. Stern measures should be taken to ensure safety of passengers.

The condition of our railways is worst than bullock carts. The Railway Minister should take concrete action to improve the situation.

You should give contracts for eatening services, on the Railway stations to Harijans and Adivasis. The Raiways should help in Relief operation durig this hard times.

The Railway employees who were dismissed or suspended form participating in Railway strike should be taken back. As a matter of fact these employees were mislead by certain political parties. Their cases should be considered sympathetically.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि रेलवे में अब अन्धकार का समय समाप्त होने जा रहा है । तथा अब

अच्छे कार्य एवं वित्तीय लाभों की आशा की जा सकती है। मंत्री महोदय हमें बतायें की क्या अंधकार की समाप्ति का कोई मार्ग दिखाई दिया है। क्या उक्त मार्ग इतना शाश्वत है कि रेलें इस पर कार्य कर सकती हैं।

रेलवे के संचालन एवं प्रशासन कार्यों की निरन्तर आलोचना की जाती रही है। यात्री, माल ढुलाई एवं नई लाइनों के निर्माण से रूप विकास कार्य किये गये हैं जो कि इस महान देश के लिये स्वाभाविक ही हैं।

रेलवे के लिये नई संहिता की मांग की जाती रही है। वर्षों के अनुभव से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वह ही हमारा मार्ग दर्शन करेगा और जो भी अच्छी तथा महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें नयी संहिता में लिया जाना चाहिये। क्या रेल मंत्री रेलवे संहिता की भली प्रकार जांच करके उसमें संशोधन लायेंगे ?

रेलवे बजट में प्रगति की चर्चा तो की गई है परन्तु नई लाइनों के निर्माण के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया।

दिल्ली से बम्बई और कलकत्ते के लिये राजधानी एक्सप्रेस चलती है परन्तु दिल्ली से मद्रास के लिये राजधानी एक्सप्रेस की व्यवस्था नहीं की गई है। मद्रास से ऊटी तक जो कि एक पहाड़ी प्रदेश है तथा विश्व का दूसरा स्वास्थ्य स्थल है, जाने वाली रेल में डीजल ईंजन की व्यवस्था नहीं है। दक्षिण को यह सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं।

जो बात दक्षिण क्षेत्र के बारे में कही गई है वह पिछड़े वर्गों पर भी लागू होती है। यदि रेलवे को एक सार्वजनिक उपयोग का निगम माना जाता है तो लाभ प्रदाता को एक मात्र निर्णायक तत्व नहीं माना जाना चाहिये। फिर भी हमें इसकी पूर्णत: उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यदि हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो हमें कुछ समय हानि वहन करने के लिये उद्यत रहना चाहिये।

गुजरात में भावनगर ताहापुरे रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा रेल प्रशासन को यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे लाइन पर शुरू शुरू में जितनी हानि होगी उसे राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा। यदि ऐसा है तो इस कार्य को शीघ्र क्यों नहीं किया जाता क्योंकि गुजरात इस समय सूखे और अभाव की स्थिति का सामना कर रहा है। कई मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलवाने की मांग की गई है। इनमें दिल्ली अहमदाबाद और नाडियाड-मोदामा-कापडवंज लाइन का कापडवंज से आगे विस्तार करना तथा उसे बडी लाइन में बदलने की मांग भी सम्मिलित है।

कोंकन एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें रेल लाइनें जल्दी से जल्दी बिछाई जानी चाहियें। अहमदाबाद और बड़ौदा को विद्यमान दो लाइनों के अतिरिक्त चार लाइनें और दी जानी चाहियें।

रेलवे में गाड़ियों में समय की पाबन्दी को सुनिश्चित करना चाहियें। सूरत और दक्षिण गुजरात में ताप्ति वैली लाइन में समय का पालन नहीं किया जाता। उक्त स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। सौराष्ट्र क्षेत्र में मेल गाड़ियों के लिये डीजल ईंजन नहीं हैं। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेलवे में खानपान व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

यात्री दो टियर वाले डिब्बों में आराम से नहीं सो सकते हैं। कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बिठाते जाते हैं क्योंकि उन्हें यात्रियों से रिशवत मिलती है। दो टियर वाले शयनायानों में रात्रि में केवल सोने की ही व्यवस्था होनी चाहिये बैठने की मनाही होनी चाहिये।

अहमदाबाद से वाराणसी तक बरास्ता भोपाल, लखनऊ और इलाहाबाद एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिये।

संचलन लागत में वृद्धि का प्रश्न भारतीय रेलवे के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या है। पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो गई है। 1964 में रेलवे में प्रति व्यक्ति लागत 1,984 रुपये थी लेकिन अब यह 4,037 रुपये हो गई है। इसके बावजूद भी यदि रेलवे संचलन कुशलता, अत्यधिक कर्मचारियों तथा बचत की समस्याओं की जांच कर सके तो वह एक नये युग का आरम्भ होगा।

Shri Mohammed Ismail (Barrackpur) : The Railways have always been seeking cooperation from the general public but the Railway Administration has paid no heed to the grievances of the people. The Railway Administration is anti-people.

There are passengers associations at different places in West Bengal. These asso ciations have been bringing to the notice of the railway authorities the difficulties of the people but no attention has been paid to the removal of the difficulties, The members have been pursuing these matters but nothing has been achieved.

Despite repeated demands for providing a halt station in the area, the same has not been provided as yet.

A sum of 250 crores have been sanctioned from the underground railway project but the Administration is not serious about it. In one year three General Managers have been provided. This is a serious and genuine demand of the people. It should be fulfilled.

The Railway Administration wanted the workers cooperation. But the Administration should know that there is discontentment among the workers. It is because that there is no parity in the Railway workers.

An accident took place at Daltanganj station involving the Darjeeling Mail. A number of persons were killed. Although traffic has been increased

but there has been no improvement in the station for the last 50 years. Attention should be paid to this matter.

The running time of Kalka-Howrah Mail has been increased. Although the running time has been increased yet the railways charge a surcharge of Rs. 5/-. It is difficult to understand the justification for this surcharge.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : आसाम अभी भी पिछड़ा और उपेक्षित राज्य है । रेल मंत्री को शायद पता ही होगा कि कलकत्ता से बोगाइगांव तक बड़ी लाइन की स्वीकृति हम किस प्रकार प्राप्त कर सके थे । 1962 के आक्रमण के समय सेना वहां नहीं जा सकी थी । विरोध के बावजूद श्री नेहरू ने उसे स्वीकृति प्रदान की । उस लड़ाई के कारण ही यह बड़ी लाइन स्वीकार की गयी थी । यह लाइन नये बोगारगांव तक थी। बीच में कुछ दूरी तक नई नहीं थी । इस लाइन का उद्देश्य इसे नये बोगाइगांव से आगे भागीगोपा होकर गोहाटी तक ले जाना था जिससे सेना की आवश्यकता पूरी हो सके । यहां नदियों पर पुल बनाये गये और मजबूत किये गये हैं जिससे बड़ी लाइन को बोगाईगांव से गोहाटी और वहां से तिनसुखिया तक बढ़ाया जा सके । स्वर्गीय रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने इस बड़ी लाइन को बढ़ाने का आश्वासन दिया था और उसके लिये रुपया भी स्वीकृत किया गया था, परन्तु अब उसमें कटौती कर दी गई है । इस लाइन को तनसुखिया तक बढ़ा दिया जाये ।

हम अनुरोध करते हैं कि फरक्का बांध होते हुए दिल्ली से गोहाटी तक एक गाड़ी चलाई जाये । स्वर्गीय रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी थी । इसे तनसुखिया एक्सप्रेस नाम दिया गया था । यह गाड़ी सप्ताह में दो दिन चलनी थी । इसे बड़े अनमने ढंग से चलाया जा रहा है । डिब्बे पुराने और टूटे फूटे हैं तथा उनमें रोशनी की व्यवस्था नहीं है । हमने इसमें भाप के इंजन के स्थान डीजल इंजन की मांग की थी । एक डाइनिंग कार लगाने का अनुरोध भी किया था जिसे मना कर दिया गया है ।

मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

Shri Awadhesh Chandra Singh (Farrukhabad): In Manipur and Farrukhabad districts of Uttar Pradesh not only there has been no development after independence so far as the Railways are concerned but even the one divisional office located at Fatehgarh has been shifted from there.

On the Shikohabad Farrukhadad line formerly four trains used to run, but now only two trains are running. This has caused great inconvience to the people of that area as the population has gone up. If the two trains could not be restored at least one fast train should be started from Farrukhabad to Delhi *via* Agra.

The Vaishali Express on the N.E. Railway which at present starts from Kesganj, which is a very small place should be extended upto Agra. The express train running between Lucknow and Agra should be extended upto Jaipur.

All N.E. Railway trains running in this area are driven by steam engines with the result that their speed is very slow and this causes great inconvenience to the passengers. So diesel engines should be introduced there.

During the steward ship of Shri L.N. Mishra survey from Farrukhabad —Shajahanpur-Galagakaranath line was started. That work should be completed and construction of that line should be soon sanctioned.

The Railway suffer huge loss on account of pilferages and ticktless travels. I hope that the new Minister would set things right.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The Railway Board is a useless body and the new Minister should do away with it.

There is no broad gauge line in Eastern Uttar Pradesh which is a very backward area.

In Bailedilla area of Madhya Pradesh there is a big iron ore mine in which a large number of people from Uttar Pradesh are engaged. But there are no means of transport for these people. If passenger bogies are added to the goods train that are already running there it would greatly benefit them.

An overbridge should be constructed on the level crossing near Mhow station where people have to face great inconvenience due to shunting of trains for hours together.

An assurance was given that Government would not be vendictive to the employees who took part in the Railway strike. But there were two cases wherein the Government appeared to be vendictive. One is of Shri Hazara Singh of Delhi and the other of Shri A. Lal of Katihar. These persons were found not guilty by the court. But they have not been reinstated. An enquiry should be ordered in their cases.

There is a registered union in the North Eastern Railway but it is not being recognized by the Railway Board. On the other hand the union that has been reorganised, does not have even an office. This kind of discrimination should be removed.

Hasanpur which is an important tehsil of Moradabad district of Uttar Pradesh should be connected with a railway line.

Shri Hari Singh (Khurja): Railway Budget and Demands have already been discussed in detail. A large number of peopl come to Delhi from Bulandshahar daily to attend offices and to do other jobs They have to experience lot of difficulties because there is no direct train between Delhi and Bulandshahar. It should be provided.

Narora has acquired great importance recently. A direct train between Narora and Delhi should be introduced.

There is no over-bridge at Khurja. It should be constructed as sooon as possible.

There is problem of ticktless travelling by students A scheme should be formulated to tackle the problem. A survey of all those lines should be conducted where students travel. Monthy passes should be introduced for students and the amount be charged through heads of educational institutions. This way the problem of Chain pulling can be minimised.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : At this moment I am remembered of late Shri L.N. Mishra, former Railway minister. He has laid his life for the development of railways.

The new Railway Minister has presented a balanced budget He has kept in view the difficult situation in the country. It is gratifying that rail fares have not been increased and there is only a small increase in railway freights in respect of certain items.

There is large scale pilferage of steel and Coal in the railways. These thefts take place with the connivance of R.P.F. or G.R.P. personnel. Steps should be taken to check these thefts.

The number of employees belonging to scheduled castes & scheduled tribes is almost negligible. I will request the hon. Minister to increase their representation.

I consider the Railway Board, a symbol of redtapism. There is need for improvement.

I am also against saloon system. it should be abolished.

Vaishali express on the Eastern railway goes upto Kasganj Junction. It should be extended upto Agra. There is a need for a long railway line on the Eastern railway.

The speed of our trains is very slow. In Japan trains run at 400 Km per hour but in our country there is not a single train with a speed of even 100 Km. This speed should be increased.

There was great need for providing over-bridges at Ramghat crossing and G.T. road crossing at Aligarh.

I am thankful to the hon. Minister for reintroducing a shuttle train between Hathras Junction and Hathras City.

Hathras is an important industrial centre and a big city. There are no arrangements for first class reservation and for sleepers in second class at Hathras. Reservation facilities should be provided.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की घटना के बारे में वक्तव्य

Statement Re.-incident at Allahabad High Court

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : अभी कुछ समय पहले सभा ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प को एक मत से पास किया है :—

"सभा न्यायालय में, जहां प्रधान मंत्री को साक्ष्य देना था, शस्त्र ले जाने के कथित प्रयास की सर्वसम्मति से निन्दा करती है और इच्छा व्यक्त करती

है कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय के भीतर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें ।"

सभा में व्यक्त विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से परामर्श करके तथा उसके पूर्ण सहयोग से इलाहाबाद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये विस्तृत प्रबन्ध किये हैं । उच्च न्यायालय में केवल बार तथा प्रेस के सदस्यों के लिये न्यायालय के कक्ष में प्रवेश करने की अनुममति दी थी । उच्च न्यायालय की बार द्वारा बार के सदस्यों के लिये पास जारी किये जाने थे । जन सम्पर्क निदेशालय को प्रेस के प्रतिनिधियों के लिये पास जारी करने थे । एक व्यक्ति जो गोविन्द मिश्र को, जो 'श्री विजय' पत्रिका के सम्पादक हैं, को आज सुबह लगभग 9 30 बजे उस समय गिरफ्तार किया गया जब उनके पास एक देशी पिस्तौल तथा तीन कारतूस पाये गये । कल श्री मिश्रा ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने एक प्रवेश पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया था लेकिन उन्हें इन्कार कर दिया गया था । आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है । चूंकि इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रबन्ध करने में लगातार व्यस्त हैं अतः उत्तर प्रदेश सरकार के लिये इस विषय में अधिक सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हुआ है । देश में प्रधानमंत्री के दौरे तथा यात्राओं के दौरान सुरक्षा के लिये किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में विस्तृत अनुदेश पहले ही विद्यमान है जब कभी प्रधानमंत्री राज्य के किसी भाग में जाती हैं सम्बन्धित राज्य सरकारें अनुदेशों के अनुसार सभी आवश्यक प्रबन्ध करती रही हैं । मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्तमान सन्दर्भ में न्यायालय के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये गये हैं और प्रधानमंत्री की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय छोड़ा नहीं जायेगा ।

Shri Narsingh Narain Pandy (Gorakhpur) : When there are proper security arrangements Director of Security is there, and persons are allowed entry only after checking their identity then how this person was able to enter in the garb of a lawyer. This incident would have been successful if detactor or electric current had failed. It shows that proper arrangements of security for the Prime Minister have not been made. Whether security arrangements have been left to the Uttar Pradesh Government or the Central department which is more efficient also shares the responsibility.

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur) : Sir, today India wants to know the details about Govind Mishra. We want to know whether the words of Prime Minister which she had uttered in the condolence meeting of Late Shri L.N. Mishra.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : महोदय, मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार एसोसियेशन और जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा कब तक प्रवेश पत्र जारी किये जाते रहेंगे ? यदि इस घटना के बाद प्रवेश

पत्र उन्हीं के द्वारा जारी किये जाते हैं तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है । गृह मंत्री जी इस तरीके को रोकें ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : महोदय, गृह मंत्री के पास समय कम होने के कारण वे अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर पाये हैं । मुझे आशा है कल तक हमें विस्तृत जानकारी मिल सकेगी । लेकिन सभा का उत्तरदायित्व अधिक है । दुर्भाग्य की बात है कि इलाहाबाद में बराबर ऐसी घटनायें हो रही हैं ।

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य भी उसके भागीदार हैं (व्यवधान)

श्री श्यामनन्दनमिश्र : आप इसमें राजनीतिक विचार धारा क्यों ला रहे हैं?

Mr. Chairman : Mr. Salve, you know the entire House is condemning the incident with or one voice. Please do not poison the atmosphere by inparting political motives to it.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा निवेदन है कि न्यायालय को तमाशा न बनाया जाये । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केवल उन्हीं को प्रवेश की इजाजत हो जिनका वहां जाना आवश्यक हो ।

Shri Jharkhanda Rai (Ghosi) : I want to convey it to the Home Minister through you Sir, that no doubt the Prime Minister went to attend the Court to cherish the democratic values but after this incident it is my view that the Prime Minister, should not have been called in the Court by the judges. It should be investigated if any judge has a hand in this incident.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Sir, Perhaps Mr. Salve is unaware of the fact that the House has unanimously passed the resolution. So I will appeal to him not to create misunderstandings by poisoning the atmosphere. Hon. Minister for Home Affairs should apprise us of the full facts in this regard.

श्री समर गुह (कंटाई) : सभा ने एक मत से इस घटना पर चिन्ता व्यक्त की है । इस घटना की जितनी निन्दा की जाये उतनी ही कम है ।

परन्तु न्यायालय को यह अनुदेश देना उचित नहीं है कि किस को न्यायालय में आने की अनुमति दी जाये और किस को नहीं या न्यायालय की कार्यवाही कहां होनी चाहिये । यह उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये सभी सम्भव उपाय करे । कुछ उपाय किये भी गये हैं । लेकिन हमें चिन्ता तथा उत्कंठा व्यक्त करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्रीमती गांधी देश की नेता हैं, सरकार के लिये प्रधानमंत्री हैं और इस सदन की भी नेता हैं । अतः उनकी सुरक्षा पर होने वाले व्यय पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिये ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : समूची सभा ने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया है । हम भी सभा में विपक्षी दल के अपने मित्रों को बताना चाहते हैं कि हम कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते ।

गृह मंत्री द्वारा सभी प्रकार के आश्वासन दिये जाने पर भी हमारे मन में यही शंका है कि क्या सभी प्रकार की एहतियातें बरतने और सुरक्षा के उपाय करने पर भी उनमें कुछ त्रुटियां और खामियां रह गई हैं । यह शंका बनी रही है कि सम्भवतया पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये गये हैं । सरकार की ओर से न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिये कि प्रधानमंत्री का साक्ष्य नियुक्ति के आधार पर ले लिया जाये ।

Swami Brahmanandji (Hamirpur) : Mr. Chairman, Sir, it is a very shameful incident. I condemn the behaviour of judges who declared that statements will be recorded in the Court and every body will be allowed to witness the proceedings. Those who have created the atmosphere of violence should be arrested. Otherwise we will not tolerate it. We are not Gandhites. We are also revolutionaries.

श्री वसंत साठे (अकोला) : अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि प्रैस वालों और वकीलों को बार कौंसिल के माध्यम से प्रवेश पत्र दिये जा रहे थे और श्री गोविन्द मिश्रा को प्रवेश पत्र देने से मना किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मना कर दिया गया ।

श्री वसंत साठे : यदि मना कर दिया गया तो मैं जानना चाहूंगा कि श्री गोविन्द मिश्र उच्च न्यायालय में कैसे दाखिल हुए । यह भी समाचार मिला है कि उन्होंने वकील का गाउन पहन रखा था । केवल गाउन पहनने से मतलब हल नहीं होता क्योंकि बार कौंसिल ने पास जारी किये थे । क्या श्री गोविन्द मिश्र न वार कौंसिल द्वारा जारी किये गये पास को इस्तेमाल किया था अथवा कोई और पास । यह सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मैं मन्त्री द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हूं कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थें । मंत्री हमें तथा इस सदन को आश्वासन दें कि प्रधान मंत्री द्वारा 2 दिन तक उच्च न्यायालय में साक्ष्य देनें के दौरान उनकी सुरक्षा कें पर्याप्त प्रबन्ध किये जायेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : वस्तुत: इस देश और इस सदन की परम्पराओं को दृष्टि में रखते हुए इस गम्भीर घटना पर सार्वभौम चिन्ता व्यक्त की गई है, और इस देश में कुछ समय से कई अवसरों पर ऐसी प्रवृत्ति की भी सार्वभौम निन्दा की गई है । लेकिन मैं न्यायालय में किये गये प्रबन्धों की आलोचना नहीं करना चाहता । यह देखना तो न्यायालय की जिम्मेदारी है । फिर भी मैं नहीं चाहता कि इस घटना को इस सदन में किसी विशेष अर्थ में लिया जाये । हमें अभी तक यह पता नहीं कि इस आक्रमण का केवल एक व्यक्ति ही लक्ष्य था या कि अन्य व्यक्ति भी लक्ष्य थे । प्रधान मंत्री का जीवन अत्यन्त मल्यवान है । वह हमारे समूचे देश का प्रतीक है । लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि न्यायाधीश का जीव न भी अत्यन्त मूल्यवान है । अब तक तो अभियुक्त को बयान दे देना चाहिये था । उसने क्या बयान दिया है ? गृह मंत्री ने अभी तक यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने अब तक क्या वयान दिया है । उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी जाये तो सदन इससे सन्तुष्ट हो जायेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यह घटना सुबह घटी। गृह मंत्री को व्यक्ति के नाम तथा उसके पेशे के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कल विस्तृत जानकारी दें ताकि सदन इस सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : सुरक्षा प्रबन्धों में कुछ तो कमी रह जाती है। सब कुछ करने पर भी जोखिम की शंका तो रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव देने में कोई बुराई नहीं है कि वह यह याचिका दायर करे कि न्यायालय में केवल उन्हीं व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जाये जिनका सम्बन्ध कानूनी कार्यवाही से है।

डा० बी० के० आर० वर्दराज राव (बल्लारी) : गृह मंत्री कल एक विस्तृत वक्तव्य दें जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के उत्तर दिये हुए हों। हमें प्रधान मंत्री की सुरक्षा की चिन्ता है। आज एक अनधिकृत व्यक्ति न्यायालय में हथियार लेकर दाखिल हुआ। उसका उद्देश्य न केवल जज को धमकी देना हो सकता है अपितु अपने आप को जनता के सामने गोली मारना भी हो सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि न्यायालय में प्रवेश के नियम/विनियम सरकार को अपने हाथों में ले लेने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और सदन की प्रधान मंत्री की सुरक्षा के बारे में चिन्तित और उत्कंठित होना स्वाभाविक ही है। मेरे विचार में यह सूचना बहुत साधारण है और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि में सूचना मिलने पर सदन को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करूंगा।

उत्तर प्रदेश सरकार नें पर्याप्त प्रवन्ध किय थे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार नें यथा सम्भव प्रबन्ध किये होंगे। सम्पूर्ण उच्च न्यायालय के भीतर तथा न्यायालय के कमरें में पर्याप्त प्रबन्ध करने के लिए उच्च न्यायालय का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि उच्च न्यायालय आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिए हमें अनुमति दे देगा।

ताजी सूचना यह है कि वह व्यक्ति न्यायालय के कमरे के भीतर नहीं बल्कि कमरे के बाहर ही पकड़ा गया था। प्रधान मंत्री के दिल में न्यायपालिका के लिए आदर और सम्मान की भावना के कारण ही उन्होंने एच साधारण व्यक्ति की हैसियत से उच्च न्यायालय के कमरे में ही साक्ष्य देना स्वीकार किया। यह उनके उदार चरित्र की भावना है। न्यायाधीश सुगमता से उन्हें नियुक्ति पर साक्ष्य देने की अनुमति दे सकते थे, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका के प्रति मान और सम्मान का संकेत किया है।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) **1975-76—जारी**

Demands for Grant (Railways), 1975-76—contd.

Dr. Laxminarian Pandeya (Mandsaur) : The development of the railways has not been on proper lines. That is why we find so much regional imbalance. while in some areas there has been much development there are others where there are no railway lines at all. This should be properly attended to.

Recently the powers and pay scales of the Divisional Superintendents have been brought at par with the General Managers. The result is that the present zones have become meaningless. Therefore, a reconsideratin is necessary in regard to the zones. The number of zones should be reduced and the D.S. offices should be allowed to do all the work.

The question of reorganisation of Railway Board also needs consideration so that the public can get more facilities and the railways can discharge their duties efficiently.

In the Report of the Indian Railways for 1973—74 it has been stated that the number of passengers has gone down. It is because the fare policy is faulty. The fares of air conditioned class has been increased so much that they are more than the air fares. As a result, the air conditioned class has become redundent and should better be abolished. There should be only two classes in the railways, one sitting and the other sleeping and all other classes should be done away with.

If the increase in the price of platform tickets to 50 paise has resulted in loss of revenue to the railways the matter requires reconsideration. His information is that the people prefer to purchase a ticket for the shortest distance which costs only 35 paise. This anomaly should be removed.

The Minister has talked loudly about the progress made in regard to punctual running of trains. But the fact is that the running time of trains has been so much increased that they will reach their destinations much in advance of the scheduled time if they are not detained at previous stations.

The work of construction of Dohad-Khandwa, Dohad-Kotah, Banswara-Ratlam, Raipur-Jagdalpur and Ramganj Mandi-Neemuch lines should be taken up immediately as they will benefit Adivasi areas.

The Viramgaon-Okha metre gauge line should be converted into broad gauge. Similarly, the Ajmer-khandwa line should be converted into broad gauge.

The General Manager of Western Railway has passed an order on 11th April, 1974, that the sleeper coach staff of one Division should not encroach upon the other Division. But this order is not being observed by the Ajmer Division Staff. This should be looked into.

The Allahabad High Court had in 1964 ordered for the reinstatement of one Shri Pushkar Nath Sharma of Allahabad Loco Workshop. But this has not been done to this day. This should also be looked into.

The proposed Meenakshi Express between Khandwa and Ajmer via Ratlam can be made to run between Hyderabad and Delhi via Khandwa and Ajmer. The 25 Dn and 26 Up trains should stop at Shyamgarh station.

There is enough of electricity in Kerala and Madhya Pradesh, which can be used for electrification of railways in those States.

Instead of stitched uniforms cloth should be provided to the railway employees so that they can get it stitched according to their measurements. The casual labour should be made permanent and Hindi should be encouraged in Railway Administration. Educated unemployed persons may be allotted book stalls, which is not being done at present. Harijans and Adivasis may be given preference in the matter of recruitment. R.P.F. should be reorganized.

Shri Damodar Pandey (Hazaribag): Mr. Chairman, I support the demands for grants in respect of Railways.

Mr. Chairman : The honbl'e Member to please continue his speech next day.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 मार्च, 1975/28 फाल्गुन, 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई :

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday March 19, 1975/Phalguna 28, 1896 (Saka).

M/P(N)3LSS—200—28-8-75—GIPS